

671

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Response of petitioner no. 2 to the "Report of Joint committee" filed
through reply affidavit dated 01.03.2025 by "DM Gautam Budh Nagar"**

IN

ORIGINAL APPLICATION No. 641 of 2023

IN THE MATTER OF

**SUMAN CHAUHAN & 49 OTHERS VS GOVERNMENT OF UTTAR
PRADESH & OTHERS**

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1	Response of Petitioner no. 2 to the "Report of Joint Committee" filed through reply affidavit dated 01.03.2025 by DM Gautam Budh Nagar	2-6
2	Annexure 1: A true copy order dated 30.05.2023 of the Hon'ble High Court directing status quo on demolition of the deponent's property and similarly placed properties in the vicinity.	7-8
3	Annexure 2: A true copy of orders of the Hon'ble High Court directing status quo on demolition of the petitioners properties and similarly placed properties in the vicinity.	9-40
4	Annexure 3: A true copy of registered sale deed of petitioner's property, with stamp duty duly paid for developed farm land	41-44
5	Annexure 4: A true copy of the relevant pages of the order of the Noida Authority which acknowledge that the petitioner's properties were earlier approved by the Zila Panchayat and received NOC from the Irrigation Department.	45-46
6	Annexure 5: A true copy of a historical Google Earth image dated 26.08.2016 of deponent's property	47-48
7	Annexure 6: A true copy of demolition notice issued by Noida Authority for demolishing petitioner's properties	49-49
8	Annexure 7: A true copy of the counter affidavit filed by Noida Authority in the lead petition & other connected matters on legality of houses of petitioners & other houses in the area.	50-151
9	Proof of Service	152

Manoj Singh
Name and Signatures of petitioner no. 2
Dated: 21.04.2025 Place: Delhi



672

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Response of petitioner no. 2 to the "Report of Joint committee" filed
through reply affidavit dated 01.03.2025 by "DM Gautam Budh Nagar"

IN

ORIGINAL APPLICATION No. 641 of 2023

IN THE MATTER OF

SUMAN CHAUHAN & 49 OTHERS VS GOVERNMENT OF UTTAR
PRADESH & OTHERS


To,

The Hon'ble Chairman of the National Green Tribunal and His Companion
Judges.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Manoj Singh, son of Sh. Matwar Singh, aged about 53 years, presently
residing at 48A, Green Beauty, Near Sector 135, Noida, do hereby solemnly
affirm and state on oath as under:


1. That I am the Petitioner No. 2 in the above-mentioned matter and as such am
well acquainted with the facts and circumstances of the case and competent to
depose this affidavit.
2. That the present response could not be filed earlier due to my & my wife's ill
health, personal responsibilities regarding my bachelor daughter's & son's
career, and simultaneous engagement in the parallel proceeding in the same
matter in Hon'ble High court of Judicature at Allahabad.
3. That a response dated 18.02.2025 was filed by the petitioners to the report of
Joint committee filed through reply affidavit dated 18.11.2024 by "DM
Gautam Budh Nagar." The said report had provided the details of 37
properties of 37 petitioners herein. Further one more report dated 01.03.2025
of the joint committee providing details of all the 50 properties of 50
petitioners herein was filed by "DM Gautam Budh Nagar." Both the reports
were same having only a difference that previous was for 37 properties &



673

later was for all 50 properties.

4. That the current response of petitioner no. 2 is in continuation to the earlier response dated 18.02.2025 filed by all the petitioners.
5. That deponent's property is registered in the name of his wife, and its legality is currently under adjudication before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad (Uttar Pradesh) in "WRIT - C No. - 18496 of 2023".
6. That the Hon'ble High Court has passed an interim order dated 30.05.2023 directing status quo on demolition of the deponent's property and similarly placed properties in the vicinity. A true copy of the said order is enclosed herewith as *Annexure 1*.
7. Similar petitions concerning other petitioners herein and other properties in the villages of petitioners are also pending before the Hon'ble High Court, where status quo orders against demolition have been granted. Copies of some such orders are annexed herewith as *Annexure 2*.
8. The said matters pending in Hon'ble High court involves several respondents including the **State Government, Noida Authority, Uttar Pradesh Irrigation Department, and the National Mission for Clean Ganga**. Except the Noida Authority, the remaining respondents are yet to file their counter affidavits.
9. That the Hon'ble High Court is presently seized of the matter and is examining the legality of the development in light of the **development laws of the state & Union Govt.** and the "**Ganga Notification of 2016**" issued by the Ministry of Water Resources, Government of India, applicable for the **petitioners properties alleged by Noida Authority to be in flood plains**.
10. That the Hon'ble Supreme Court has categorically held that proceedings before other fora should not continue when the matter is pending adjudication before a superior court. A copy of the relevant Supreme Court judgment dated 01.06.2022 in *civil appeal no(s). 4522 & 4524 of 2022, the state of andhra pradesh versus raghu ramakrishna raju kanumuru (m.p.)* stating that the NGT should not proceed when the matter is seized by the High Court



W/M

is already on record at Page No. 628 of the paper book.

11. That the Hon'ble NGT has also held in various matters that parallel proceedings need to be dismissed. Few excerpts of order dated 16.04.2025 of this Hon'ble Tribunal in a matter "Original Application No. 151/2025, Rajgiri Maharaj Versus State of Uttar Pradesh are:


2. *On the perusal of the record, it is noticed that the Writ Petition No. 18530/2020 at the instance of the same petitioner on the same issue is pending before the High Court where the matter is under consideration. Counsel for the Applicant has submitted that there is huge pendency before the High Court but that does not furnish a ground to initiate parallel proceedings.*

4. *Once the issue is pending before the High Court, it will not be proper to initiate the parallel proceedings before the Tribunal.*

5. *It is also submitted by the counsel for the petitioner that the complaint of noise pollution was made to the UP PCB, but no action has been taken. If such a complaint is made by the Petitioner, then the violation is required to be ascertained, and appropriate action in accordance with law is required to be taken by the PCB. We hope that the PCB will take action in accordance with the law. The OA is accordingly disposed off.*

12. That the deponent had purchased the developed farm land, along with three temporary rooms, from *Zenith Portfolio & Insurance Advisors Pvt. Ltd.*, which in turn had acquired the property from *Sh. Manoj Kumar Kapoor*. The said Kapoor had bought it from *Late Sh. V.P. Tyagi* in 2007, who was the original promoter of the property and other such properties in the area. A true copy of my registered sale deed, with stamp duty duly paid for developed farm land, is annexed herewith as *Annexure 3*.

13. The said development & other developments of petitioners were approved by the Zila Panchayat vide "769/Ji. Pan./03 dated 06.05.200", issued by *Apar Mukhy Adhikari*, Jila Panchayat, *Gautam Budh Nagar*, and *No Objection Certificate (NOC)* vide letter no. *35/Ha.Va.kh./badh chetr*, dated 19.09.2005 from *U.P. Irrigation department* & vide letter no. "A.Sha. Patrank 4086/Ha.Va.Kh.", dated 05.11.2005 & vide letter no. "253/Ha.Va.Kh.-Okhla/A.K.", dated 03.02.2005, issued by *Adhishashi*



W/M-

675

Abhiyanta, Head Works Khand, Agra Nahar, Canal Colony, Okhla.

14. A letter from the Additional Divisional Magistrate of Sadar Tehsil confirming the said approvals by the Zila Panchayat & the Irrigation Department is already on record at Page No.352-353 of the paper book.
15. The relevant pages of the order dated 14.02.2023 of the Noida Authority also acknowledge that the petitioner's properties were earlier approved by the Zila Panchayat and received NOC from the Irrigation Department. The same is enclosed as *Annexure 4*. The petitioners & other property owners in the area have challenged the said order & similar orders of Noida Authority in the Hon'ble High court. The matters are currently pending & status quo is in operation.
16. That the property of the deponent is solely used for residential purposes by him and his family. The deponent also rear two cows, one calf, and three pet street dogs, all of whom reside within the premises. No commercial activity is carried out at the said property. The open area is used for growing vegetables & grains for self consumption only.
17. That similarly, the properties of other applicants in the present matter are also being used purely for residential purposes.
18. That a historical Google Earth image dated 26.08.2016 of deponents property is annexed herewith as *Annexure 5*. The image shows the distance of the petitioner's property as 2.4 kilometers from the edge of the river. Images of earlier periods are not visible due to cloud cover. The petitioner's property does not lie in the active flood plain of the river, wherein the construction is prohibited as per clause 6(3) of Ganga order-2016.
19. That the issue raised by respondent is barred by limitation clause 14(3) & 15(3) of NGT Act-2010.
20. That the issue raised by the respondent development Authority is already pending in Hon'ble High court in the above mentioned matters. The matters started when Noida authority issued demolition notices (Enclosed as



W/M-

676

Annexure 6) to the properties of the petitioners & others in the villages of petitioners on the grounds that the properties are constructed on the floodplains of Yamuna. The petitioners challenged the demolition notice & all matters are currently connected with the lead matter “WRIT C No. 10021 of 2023, Ratna Mitra Vs. New Okhla Industrial development Authority & others. In the said matters, the Noida Authority has filed a counter affidavit. A copy of said counter affidavit is enclosed as *Annexure-7*.

21. That in light of the above submissions and the withdrawal application earlier filed, I respectfully pray for:
- a. Condonation of delay in filing the present response; and
 - b. A direction to not proceed with the present matter before this Hon’ble Tribunal, in view of the parallel proceedings pending before the Hon’ble High Court.

VERIFICATION

I, the deponent above-named, do hereby verify that the contents of this affidavit are true and correct to my personal knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom. Verified at Delhi on the 21st day of April, 2025.

W/M-

(Signature)

DEPONENT



21 APR 2025

Solemnly affirmed before me read over & explained to the deponent

Sauraj Singh
NOTARY PUBLIC, DELHI

Commission Expiry
on 10 Feb 2030

21 APR 2025

W/M-

Annexure-1

Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 18496 of 2023

Petitioner :- Meena Negi And 7 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar

Counsel for Respondent :- C.S.C, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.

Shri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for respondent-Development Authority prays for and is granted two weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioners to file rejoinder affidavit.

Connect and list along with Writ-C No. 10021 of 2023.


Till the next date of listing, status quo, as on date, may be preserved.

Order Date:- 30.5.2023

CS/-

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, C.J.)




678**Court No. - 21****Case :-** WRIT - C No. - 18496 of 2023**Petitioner :-** Meena Negi And 7 Others**Respondent :-** New Okhla Industrial Development Authority And Another**Counsel for Petitioner :-** Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar**Counsel for Respondent :-** C.S.C, Aditya Bhushan Singhal, Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra, J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 10021 of 2023

Petitioner :- Ratna Mitra

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And
2 Others

Counsel for Petitioner :- Pushkar Mehrotra

Counsel for Respondent :- A.S.G.I., Ankur
Agarwal, Kaushalendra Nath Singh, Rajesh Tripathi

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Saumitra Dayal Singh, J.

Sri Ankur Agarwal, learned counsel appearing for the Development Authority and learned counsel appearing for respondent no. 2 pray for and are granted two weeks' time to file counter affidavit. Petition may have one week thereafter to file rejoinder affidavit.

List in the week commencing 2nd July, 2023.

Till the next date of listing, status quo as on date may be preserved.

Order Date :- 1.5.2023

Shiraz

(S.D. Singh, J.)

(Pritinker Diwaker, C.J.)



Court No. - 40

Case :- WRIT - C No. - 10021 of 2023

Petitioner :- Ratna Mitra

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And
2 Others

Counsel for Petitioner :- Pushkar Mehrotra

Counsel for Respondent :- A.S.G.I., Ankur
Agarwal, Kaushalendra Nath Singh, Rajesh Tripathi

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi, J.

Hon'ble Anish Kumar Gupta, J.

1. Heard Mr. V.K. Singh, learned Sr. Advocate, assisted by Mr. Pushkar Mehrotra, learned counsel for the petitioner and Mr. Rajesh Tripathi, learned counsel for the respondent No.2.
2. In deference to the order dated 21.2.2024 passed by this Court, pleadings have been exchanged between the parties. However, till date no objection/counter affidavit has been filed by the respondent No.2 in the matter.
3. On the joint request made by the parties, let the matter be listed **on 18.04.2024.**
4. It is open to the respondent No.2 to file objection/counter affidavit on or before the next date fixed in the matter.
5. Interim order, if any, stands extended till the next date of listing.

Order Date :- 1.4.2024

Sachin



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 18496 of 2023

Petitioner :- Meena Negi And 7 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar

Counsel for Respondent :- C.S.C, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.

Shri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for respondent-Development Authority prays for and is granted two weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioners to file rejoinder affidavit.

Connect and list along with Writ-C No. 10021 of 2023.

Till the next date of listing, status quo, as on date, may be preserved.

Order Date:- 30.5.2023

CS/-

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, C.J.)



Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 18496 of 2023

Petitioner :- Meena Negi And 7 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar

Counsel for Respondent :- C.S.C, Aditya Bhushan Singhal, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice

Hon'ble Kshitij Shailendra, J.

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)

Order Date :- 18.12.2023

Jaideep/-



Court No. - 40683

Case :- WRIT - C No. - 18196 of 2024

Petitioner :- Jaiveer Lohia And Another

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Devansh Misra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.

Hon'ble Anish Kumar Gupta,J.


1. Heard Sri Devansh Mishra, learned counsel for the petitioners, Sri Fuzail Ahmad Ansari, learned standing counsel for the State-respondents and Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent No.3.

2. The present writ petition is preferred questioning the validity of the public notice dated 08.06.2022 issued by the Chief Executive Officer, NOIDA, District Gautam Budh Nagar (respondent No.3) and it is further prayed that a mandamus may be issued to the respondent Nos.3 and 4 not to take any coercive measures against the petitioners in respect of the structure standing on the disputed plots pursuant to the notice dated 08.06.2022.

3. At the very outset, learned counsel for the petitioners has placed reliance upon an interim order dated 21.02.2024 passed in Writ-C No.10021 of 2023 (Ratna Mitra vs. New Okhla Industrial Development Authority and 2 others) wherein the Division Bench had entertained the writ petition and directed the authorities to file response in the matter and interim protection granted earlier was directed to continue till the following date of listing. He states that initially the first petitioner was recorded tenure holder of the disputed plot and thereafter the first petitioner had executed an agreement to sell in favour of one D.N. Jumera Real Estate Pvt. Ltd. and thereafter, the same was transferred in favour of the second petitioner. He submits that even though the public notice was issued on 08.06.2022 by the respondent - authority but till date the proceeding has not been finalized. He states that the matter is squarely the same and similar indulgence may also be extended in favour of the petitioners as the Division Bench is seized with the matter. In case interim protection is not accorded, the petitioners would suffer irreparable loss and injury.

4. Matter requires consideration.

5. All the respondents are accorded three weeks time to file




684
counter-affidavit. Petitioners shall have a week thereafter to file rejoinder affidavit.

6. Connect with Writ-C No.10021 of 2023 (Ratna Mitra vs. New Okhla Industrial Development Authority and 2 others).

7. Considering the order passed in leading Writ-C No.10021 of 2023, till the next date of listing, parties shall maintain status quo qua the property in dispute and petitioners are also directed not to create any third party interest or alienate the same and raise any further construction on the spot.

Order Date :- 27.5.2024

NLY



Court No. - 40685**Case :-** WRIT - C No. - 18162 of 2024**Petitioner :-** Jaiveer Lohia And Another**Respondent :-** State Of U.P. And 3 Others**Counsel for Petitioner :-** Devansh Misra**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.****Hon'ble Anish Kumar Gupta,J.**

1. Heard Sri Devansh Mishra, learned counsel for the petitioners, Sri Fuzail Ahmad Ansari, learned standing counsel for the State-respondents and Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for the respondent No.3.

2. The present writ petition is preferred questioning the validity of the public notice dated 08.06.2022 issued by the Chief Executive Officer, NOIDA, District Gautam Budh Nagar (respondent No.3) and it is further prayed that a mandamus may be issued to the respondent Nos.3 and 4 not to take any coercive measures against the petitioners in respect of the structure standing on the disputed plots pursuant to the notice dated 08.06.2022.

3. At the very outset, learned counsel for the petitioners has placed reliance upon an interim order dated 21.02.2024 passed in Writ-C No.10021 of 2023 (Ratna Mitra vs. New Okhla Industrial Development Authority and 2 others) wherein the Division Bench had entertained the writ petition and directed the authorities to file response in the matter and interim protection granted earlier was directed to continue till the following date of listing. He states that initially the first petitioner was recorded tenure holder of the disputed plot and thereafter the first petitioner had executed an agreement to sell in favour of one D.N. Jumera Real Estate Pvt. Ltd. and thereafter, the same was transferred in favour of the second petitioner. He submits that even though the public notice was issued on 08.06.2022 by the respondent - authority but till date the proceeding has not been finalized. He states that the matter is squarely the same and similar indulgence may also be extended in favour of the petitioners as the Division Bench is seized with the matter. In case interim protection is not accorded, the petitioners would suffer irreparable loss and injury.

4. Matter requires consideration.

5. All the respondents are accorded three weeks time to file

counter-affidavit. ~~686~~ Petitioners shall have a week thereafter to file rejoinder affidavit.

6. Connect with Writ-C No.10021 of 2023 (Ratna Mitra vs. New Okhla Industrial Development Authority and 2 others).

7. Considering the order passed in leading Writ-C No.10021 of 2023, till the next date of listing, parties shall maintain status quo qua the property in dispute and petitioners are also directed not to create any third party interest or alienate the same and raise any further construction on the spot.

Order Date :- 27.5.2024

NLY



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 18584 of 2023

Petitioner :- Rahul Bhatt And Another

Respondent :- State Of U P And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Devansh Misra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kaushlendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker,Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Shri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for respondent-Development Authority prays for and is granted two weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioners to file rejoinder affidavit.

Connect and list along with Writ-C No. 10021 of 2023.

Till the next date of listing, status quo, as on date, may be preserved.

Order Date:- 30.5.2023

CS/-

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, C.J.)




Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 18584 of 2023**Petitioner :-** Rahul Bhatt And Another**Respondent :-** State Of U P And 2 Others**Counsel for Petitioner :-** Devansh Misra**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Kaushlendra**Hon'ble Manoj Kumar Gupta,Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra,J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 20367 of 2023

Petitioner :- Aviroop Banerjee And 23 Others

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Abhay Pratap Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker,Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava,J.

Sri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel appearing for the Development Authority and learned counsel appearing for respondent no. 3 pray for and are granted two weeks' time to file counter affidavit. Petition may have one week thereafter to file rejoinder affidavit.

Connect and list this case along with Writ-C No. 10021 of 2023, in the week commencing 24th July, 2023.

Till the next date of listing, status quo as on date may be preserved.

Order Date :- 4.7.2023

Deepak/

(Ashutosh Srivastava,J.) (Pritinker Diwaker,C.J.)



Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 20367 of 2023**Petitioner :-** Aviroop Banerjee And 23 Others**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others**Counsel for Petitioner :-** Abhay Pratap Singh**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta,Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra,J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 20487 of 2023

Petitioner :- Smt. Renu Khanna And 3 Others

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Ashish Kumar Singh, Ajay Kumar Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C., A.S.G.I., Arvind Kumar Goswami, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.

Learned counsel for the respondents pray for and are granted two weeks' time to file counter affidavit. Petitioner may have one week thereafter to file rejoinder affidavit.

Connect and list along with Writ-C No. 10021 of 2023.

Till the next date of listing, status quo as on date may be preserved.

Order Date :- 6.7.2023

Ravi Prakash

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, CJ.)



Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 20487 of 2023

Petitioner :- Smt. Renu Khanna And 3 Others

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Ashish Kumar Singh, Ajay Kumar Singh

Counsel for Respondent :- C.S.C., A.S.G.I., Arvind Kumar
Goswami, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice

Hon'ble Kshitij Shailendra, J.

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)

Order Date :- 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 22864 of 2023

Petitioner :- Manoj Kumar Singh And 7 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar

Counsel for Respondent :- CSC, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.

Shri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for respondent-Development Authority prays for and is granted two weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioners to file rejoinder affidavit.

Connect and list along with Writ-C No.10021 of 2023.

Till the next date of listing, status quo, as on date, may be preserved.

Order Date :- 27.7.2023

pks

(Ashutosh Srivastava, J) (Pritinker Diwaker, CJ)



Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 22864 of 2023**Petitioner :-** Manoj Kumar Singh And 7 Others**Respondent :-** New Okhla Industrial Development Authority And Another**Counsel for Petitioner :-** Sanjay Kumar Om, Praveen Kumar**Counsel for Respondent :-** CSC, Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra, J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 25541 of 2023

Petitioner :- Parveen Jain And 16 Others

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Prashant Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.

1. Connect and list this case along with Writ-C No. 10021 of 2023 (Ratan Mitra versus New Okhla Industrial Development Authority and 2 others).
2. Till the next date of listing, status quo as on date may be preserved.

Order Date :- 3.8.2023

Ravi Prakash

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, C.J.)



Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 25541 of 2023**Petitioner :-** Parveen Jain And 16 Others**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others**Counsel for Petitioner :-** Prashant Shukla**Counsel for Respondent :-** C.S.C,Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta,Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra,J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Court No. - 21

Case :- WRIT - C No. - 40383 of 2023

Petitioner :- Mohd. Sharique Farooqi And 4 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Manoj Kumar Gupta,Acting Chief Justice

Hon'ble Donadi Ramesh,J.

1. Learned counsel for the petitioners states that the instant impugned order is also under challenge in large number of writ petitions filed before this Court, leading being Writ-C No.10021 of 2023 wherein an order of status quo is in operation.
2. Learned counsel for the respondent-authority does not dispute the above factual position.
3. Connect and list with Writ-C No.10021 of 2023.
4. Parties will exchange affidavits in the meantime.
5. Till the next date of listing, status quo as on date shall be maintained by the parties.

(Donadi Ramesh, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)

Order Date :- 24.11.2023

rkg

Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 40383 of 2023**Petitioner :-** Mohd. Sharique Farooqi And 4 Others**Respondent :-** New Okhla Industrial Development Authority And Another**Counsel for Petitioner :-** Sanjay Kumar Om**Counsel for Respondent :-** C.S.C.,Ankur Agarwal,Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta,Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra,J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 8983 of 2023

Petitioner :- Satyaveer Singh And 3 Others

Respondent :- State Of U.P. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Raghuvansh Misra, Devansh Misra

Counsel for Respondent :- C.S.C., Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Saumitra Dayal Singh, J.

Sri Anoop Trivedi, learned senior Advocate assisted by Sri Devansh Misra, learned counsel for the petitioners, Ms. Akanksha Sharma, learned standing counsel for the State-respondents and Sri Kaushlendra Nath Singh, learned counsel for the NOIDA.


List this case on 30.05.2023 along with Writ C No. 13936 of 2023.

Status quo, as on date, may be preserved till the next date of hearing.

Order Date :- 8.5.2023

SK

(S.D. Singh, J.) (Pritinker Diwaker, C.J.)



Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 8983 of 2023**Petitioner :-** Satyaveer Singh And 3 Others**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others**Counsel for Petitioner :-** Raghuvansh Misra, Devansh Misra**Counsel for Respondent :-** C.S.C., Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra, J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



Chief Justice's Court

Case :- WRIT - C No. - 23221 of 2022

Petitioner :- Rajesh Aggarwal And 10 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority
And Another

Counsel for Petitioner :- Ashutosh Tiwari, Devansh Misra

Counsel for Respondent :- CSC, Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Pritinker Diwaker, Chief Justice

Hon'ble Ashutosh Srivastava, J.


1. Shri Kaushalendra Nath Singh, learned counsel for respondent-Development Authority prays for and is granted two weeks' time to file counter affidavit. One week thereafter is granted to the petitioner to file rejoinder affidavit.
2. Connect and list along with Writ-C No. 10021 of 2023.
3. Till the next date of listing, status quo as on date may be preserved.

Order Date :- 30.5.2023

Ravi Prakash

(Ashutosh Srivastava, J.)

(Pritinker Diwaker, CJ.)



Court No. - 21**Case :-** WRIT - C No. - 23221 of 2022**Petitioner :-** Rajesh Aggarwal And 10 Others**Respondent :-** New Okhla Industrial Development Authority And Another**Counsel for Petitioner :-** Ashutosh Tiwari, Devansh Misra**Counsel for Respondent :-** CSC, Kaushalendra Nath Singh**Hon'ble Manoj Kumar Gupta, Acting Chief Justice****Hon'ble Kshitij Shailendra, J.**

1. List after three weeks.
2. Interim order, if any, is extended till the next date of listing.

(Kshitij Shailendra, J.) (Manoj Kumar Gupta, A.C.J.)**Order Date :-** 18.12.2023

Jaideep/-



**Court No. - 703****Case :-** WRIT - C No. - 17179 of 2022**Petitioner :-** Rajesh Aggarwal And 12 Others**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others**Counsel for Petitioner :-** Ashutosh Tiwari**Counsel for Respondent :-** C.S.C.**Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J.****Hon'ble Sameer Jain,J.**

On oral prayer made by the learned counsel for the petitioners that the matter is extremely urgent as there is threat of demolition of the house of the petitioners, we sent for the record of the case and it is heard in presence of learned counsel for the parties.

The petitioners have called in question a public notice dated 08.06.2022.

Learned counsel for the petitioners as well as Sri Manish Goyal, learned Additional Advocate General appearing for the respondents and Sri Anuj Srivastava for the NOIDA authority states that the instant matter is covered by the order passed today in Writ C No. 17175 of 2022 (Harit Kisan Kalyan Samiti Vs. New Okhla Industrial Development Authority and others). The said writ petition was disposed of with the following directions:-

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties.

In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent-authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed of in same terms.

Order Date :- 14.6.2022/AK Pandey

**Court No. - 29****Case :-** WRIT - C No. - 24450 of 2012**Petitioner :-** Ved Prakash Tyagi**Respondent :-** State Of U.P.Thru Secy. And Another**Petitioner Counsel :-** Sudhanshu Srivastava,B.K.Srivastava**Respondent Counsel :-** C.S.C.**Hon'ble Vineet Saran,J.****Hon'ble Virendra Vikram Singh,J.**

Heard learned counsel for the petitioner as well as learned Standing counsel appearing for the respondents and perused the record.

With the consent of learned counsel for the parties we dispose of the writ petition without calling of counter affidavit.

The case of the petitioner is that he had purchased some land, close to the river, by registered sale deed some time in the year 2007. Copy of the registered sale deed has been filed along with the writ petition. He is aggrieved by the order dated 5.5.2012 passed by respondent no.2 whereby it is directed that construction made by the petitioner over the land be removed within seven days.

The submission of learned counsel for the petitioner is that he is the owner of the land and carrying on agricultural activities on the land and thus after fencing his property by barbed wire, he has constructed a room, which is purely for agricultural purposes. It is contended that the communication dated 5.5.2012 though termed as a notice, but in fact is a direction to remove the construction without giving any opportunity to the petitioner before passing of such direction.

Learned Standing Counsel has, however, submitted that constructions have been made without permission and thus the same are liable to be demolished.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W.M.' with a horizontal line underneath.

Be that as it may, since the respondents have straight way passed an order of demolition of the property without giving any opportunity to the petitioner, we direct that the communication letter dated 5.5.2012 to be treated as notice to the respondents who may submit his reply within two weeks. If such reply is filed within said period the order dated 7.5.2012 shall remain in abeyance and status-quo shall be maintained by the parties over the land in question till the respondent authority passes appropriate order in accordance with law and furnish a copy of the same to the petitioner.

With these observations the writ petition is disposed of.

Order Date :- 18.5.2012

Hsc/

(Virendra Vikram Singh, J.) (Vineet Saran, J.)



**Court No. - 36**

Case :- WRIT - C No. - 44104 of 2013

Petitioner :- Dkrrish Builders Pvt. Ltd. And 49 Others

Respondent :- State Of U.P. And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Atul Mehra, Shashi Nandan

Counsel for Respondent :- C.S.C., Shivam Yadav

Hon'ble Vineet Saran, J.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, J.

The petitioners are owners of some plots of land in Villages Chak Mangraula and Dostpur Mangrauli Khadar, Pargana Dadri, Tehsil and District-Gautam Budh Nagar.

The petitioners are aggrieved by the order dated 21.6.2013, passed by the respondent no.3, directing the petitioners to remove the constructions raised by them on the plot in question. The contention of the learned counsel for the petitioner is that NOIDA does not have any authority to issue any such direction as the village Chak Mangraula and Dostpur Mangrauli Khadar wherein the plots in dispute are situated do not fall within the notified area.

We have heard Sri Shashi Nandan, learned senior counsel along with Sri Atul Mehra, learned counsel appearing for the petitioners as well as learned Standing Counsel for the respondents, Sri Shivam Yadav and Sri Nisheeth Yadav, learned counsel appearing for the respondent-NOIDA and have perused the record. With the consent of the learned counsel for the parties, we dispose of this writ petition, at this stage, without calling for counter affidavit.

The impugned order has been passed in pursuance of certain directions issued by the National Green Tribunal dated 20.5.2013, whereby, a direction has been issued to all the authorities and corporations to ensure that no illegal and unauthorised constructions are raised upon the flood plain zone of river Yamuna and wherever any illegal and unauthorised constructions have been raised, steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

From a perusal of the impugned order passed by the respondent no.3, it is clear that the impugned order has been passed without giving any opportunity of hearing to the petitioner. As such, since the order has been passed without complying the principles of natural justice, we are

of the opinion that the same can not be said to be in accordance with law.

Considering the facts and circumstances of this case, we dispose of this writ petition with a direction that the order dated 21.6.2013 passed by the respondent-NOIDA shall be treated as a notice to the petitioner to which the petitioner may submit their response within three weeks from today. On receipt of such replies, if any, the respondent-NOIDA shall pass reasoned and speaking orders as expeditiously as possible after considering the replies and, if necessary, giving opportunity of hearing to the petitioner.

With the aforesaid directions/observations this writ petition stands disposed of.

Order Date :- 29.8.2013

dps

(Manoj Kumar Gupta, J.)

(Vineet Saran, J.)



Neutral Citation No. - 2023:AHC:128376-DB

Court No. - 40

Case :- WRIT - C No. - 20371 of 2023

Petitioner :- Rajiv Singhal And 13 Others

Respondent :- New Okhla Industrial Development Authority And Another

Counsel for Petitioner :- Sanjay Kumar Om, Atul Srivastava

Counsel for Respondent :- C.S.C., Kaushalendra Nath Singh

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi, J.

Hon'ble Gajendra Kumar, J.

1. Heard learned counsel for the petitioner; learned Standing Counsel for State respondent and Ms. Anjali Upadhyay, learned counsel for Noida Authority.

2. Present writ petition has been preferred for a direction to respondent no.1 not to demolish petitioners' constructions raised on their respective land, as mentioned in para 4 of the writ petition and for a direction to respondent no.1 to get the master plan approved as per NCR Planning Board Act, 1985 after amendments made considering the existing structures of the petitioners and formulate an action plan to regulate the farm house activity in a rationale manner with a balanced approach.

3. Learned counsel for the petitioner has submitted that similar controversy has earlier been raised in Writ-C No.18498 of 2023 (Meena Negi & Ors. v. New Okhla Industrial Development Authority & Anr.) in which the Coordinate Bench of this Court has accorded interim order on 30.5.2023. Reliance has also been placed on the order dated 7.6.2023 in Writ-C No.17568 of 2022 (Suchit Malhotra & Ors. v. State of U.P. & Ors.) in which the Court has accorded indulgence. As such it is submitted that the petitioners being on similar footing are also entitled for similar indulgence. For ready reference, the order dated 7.6.2023 is quoted as under:-

"Sri Devansh Mishra learned counsel for the petitioners submits that Writ C No. 17568 of 2022 be segregated from the bunch and be taken up and disposed of.

Heard Sri Devansh Mishra learned counsel for the petitioners and Sri Ankur Agarwal learned counsel appearing for respondent No. 2.

Petitioners are aggrieved for the demolition exercise being carried out pursuant to the general notice issued by the authority on 08.06.2022 wherein a reason has been assigned that in the



flood plane areas no construction activity can be carried out by anyone in view of the directions issued by the National Green Tribunal.

Sri Mishra has argued that not only objections have been filed to the notice but even the land in question has not been acquired by the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) so as to restrain the petitioners from raising any construction. It is also argued that pending objection before the competent authority propriety demanded that any demolition exercise ought to have been carried out any further only after the decision was taken by the authority.

Sri Ankur Agarwal learned Advocate appearing for NOIDA submits that given a direction the authority will be disposing of the objection filed by the petitioners dated 10.06.2022 strictly in accordance with law.

In view of the above, without entering into the merits of the claim of the parties we dispose of this writ petition with a direction to the competent authority to decide the objection filed by the petitioners dated 10.06.2022 in response to the public notice issued on 08.06.2022 strictly in accordance with law. It will be open for the petitioners to raise all such grounds as may be available to them or may be advised including the ground regarding competence of the authority in issuing orders for demolition over and above the land in question.

It is given to understand that the petitioners shall also not be raising any further construction over the land in question.

The appropriate decision shall be taken by the authority within a period of 30 days of production of certified copy of this order.

It is also hereby provided that until the decision is taken by the authority competent in the matter, no further demolition exercise shall be carried out pursuant to the notice issued on 08.06.2022.

It will remain open for the petitioners to file objection within a period of three weeks from today."

4. So far as factual and legal aspect is concerned, the same could not be disputed by learned counsel for the respondents.

5. Learned counsel for the petitioners has argued that not only objections have been filed to the notice but even the land in question has not been acquired by the New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA) so as to restrain the petitioners from raising any construction. It is also argued that pending objection before the competent authority propriety demanded that any demolition exercise ought to have been carried out any further only after the decision was taken by the authority.

6. In view of the above, without entering into the merits of the claim of the parties we **dispose of** this writ petition with a direction to the competent authority to decide the objection filed by the petitioners in response to the public notice issued on 08.06.2022 strictly in accordance with law. It will be open for the petitioners to raise all such grounds as may be available to them or may be advised including the ground regarding competence of the authority in issuing orders for demolition over and above the land

Wm-

in question.

7. It is given to understand that the petitioners shall also not be raising any further construction over the land in question.

8. The appropriate decision shall be taken by the authority within a period of 30 days of production of certified copy of this order along with objection.

9. It is also hereby provided that until the decision is taken by the authority competent in the matter, no further demolition exercise shall be carried out pursuant to the notice issued on 08.06.2022 qua the petitioners are concerned.

10. It will remain open for the petitioners to file objection within a period of three weeks from today.

Order Date :- 23.6.2023

SP/



711

D 10393/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

TWEENTY THOUSAND RUPEES

000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 480124

- 1 -

विक्रय पत्र हिस्साकशी (कृषि भूमि/फार्म भूमि)

1. विक्रय मूल्य 31,79,000/-रु
2. सरकारी रेट के अनुसार मूल्य 31,70,000/-रु
3. अदा किया गया स्टाम्प 1,38,700/-रु
4. ग्राम कोड नं 1136, पेज नं 45 के कम सं 70 पर अंकित सामान्य भूमि का सर्किल रेट रु 1,02,85,000/-रु प्रति हेक्टेयर का निर्धारित है किन्तु उक्त विक्रित भूमि फार्म भूमि (जिसमें रास्ता, केबल व नेट लगे हैं) के रूप में विक्रित कर विक्रय की जा रही है, जिसका सर्किल रेट रु 2,30,00,000/-रु प्रति हेक्टेयर का है।
5. कय किये जाने का प्रयोजन कृषि/फार्म भूमि
6. विक्रित सम्पत्ति स्थित ग्राम एक गंगशील, परगना दास्ती, जहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर
7. विक्रित क्षेत्रफल 0.1978 हेक्टेयर
8. नगर पालिका सीमा के अन्दर/बाहर X
9. मुख्य मार्ग से दूरी लगभग 2 किलो मीटर
10. फसल, पेड़, बोसिंग का निर्माण नहीं
11. 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि भूमि स्थित है। हां
12. अनुसूचित जाति/जनजाति है / नहीं है। नहीं
13. पूर्व में इकरतनामा हुआ या नहीं नहीं
14. महिला की हस्त हां

FORWARD TO Portfolio & Treasurer Advisor (P) L U

[17] 12/5 05/17/2017/2017/2017



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 480125

- 2 -

हम कि विपिन कुमार (PAN ABAPT0214A, D.L. No. NT-19053/N/97) पुत्र श्री महमप्रकाश सिंह निवासी भंगेल बेगमपुर, फेस-2, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (विकित रकबा 0.0519 हैक्टेयर मालियती मू 11,94,000/-रु० स्टाम्प मू 49,700/-रु०) व जेनिथ पोर्टफोलियो एण्ड इन्स्योरेंस एडवाइजर्स प्रा०लि० (PAN AACZ3752D) रजिस्टर्ड कार्यालय 281, आरती सी.जी.एच.एस. लि० प्लॉट नं० 1ए, सेक्टर-2, द्वारका नई दिल्ली-110075 द्वारा डायरेक्टर श्री राम भक्तार अग्रवाल (D.L. No. 0920100058165/P) पुत्र स्व० श्री एल.आर. गुप्ता निवासी 281, आरती सी.जी.एच.एस. लि० प्लॉट नं० 1ए, सेक्टर-2, द्वारका नई दिल्ली-110075 (विकित रकबा 0.0659 हैक्टेयर मालियती मू 19,76,000/-रु० स्टाम्प मू 88,800/-रु०) विक्रेतागण/फरीक अव्वल।

एवं

श्रीमती मीना नेगी पत्नी श्री मनोज सिंह नेगी निवासी 16/07, पाम रोड, शिप्रा सन सिटी, इन्दापुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (PAN AKBPN7220Q, Passport No. M7636710) क्रेता/ फरीक दोगम।

For Zenith Portfolio & Insurance Advisors (P) Ltd.

Handwritten signature

Handwritten signature
 Director

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 480126

- 3 -

विवरण सम्पत्ति जो कि विक्रय की जा रही है स्थित ग्राम चक मंगरीला, परगना दादरी तहसील व जिला गौतम बुद्ध नगर के खाता सं० 7 के खेत सं० 40/2मि० रकबा 38-12-0 पुख्ता में अपना रकबा 8-2-0 पुख्ता में से केवल विक्रित रकबा 0.0519 हेक्टेयर व खाता सं० 7 के खेत सं० 40/2मि० रकबा 43-6-0 पुख्ता में रकबा 1.0288 हेक्टेयर अर्थात् 4-1-6 सही 2/3 पुख्ता में अपना रकबा 0.2689 हेक्टेयर में से केवल विक्रित रकबा 0.0858 हेक्टेयर इस प्रकार कुल विक्रित रकबा 0.1378 हेक्टेयर (शून्य दशमलव एक तीन सात आठ हेक्टेयर) भूमिधरी को वास्ते कास्त बैनामा राजा में विक्रय किया गया है। उक्त विक्रित भूमि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से लगभग 2 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। उक्त ग्राम में कृषि भूमि का सर्किल रेट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर द्वारा रु० 1,02,85,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर का निर्धारित है, किन्तु उक्त कृषि भूमि फार्म भूमि (जिसमें रास्ता, पौधाग व रोड लगे हैं) के रूप में विक्रित कर विक्रय की जा रही है। जिसका सर्किल रेट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर द्वारा रु० 2,30,00,000/-रुपये प्रति हेक्टेयर का निर्धारित है। सरकारी स्टाम्प अधिसूचना

Praxis Zenith Portfolio & Insurance Advisors (P) Ltd.

Ramab. Aggarwal

Director

Ramab. Aggarwal

Meehan

Meehan

WMM

Annexure-4

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सेक्टर-6, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर - 201301

पत्रांक - नौएडा/भूलेख/23/.....²⁶²³
दिनांक^{14/07/23}

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-18009/2022, अंकित गुप्ता व 29 अन्य बनाम नौएडा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2022 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

* The petitioners have called in question a public notice dated 08.06.2022.

"We are of the opinion that the aforesaid course, if adopted, will sub-serve the ends of justice. We, accordingly, permit the petitioner-society and its members to file objection within ten days in pursuance of the impugned public notice, as also agreed to by learned counsel for the petitioner, and in which event, the same shall be decided by respondent no.2 by means of a speaking order. For a period of twenty days from today, the status quo as of date shall be maintained by all the parties. In case, the petitioner and its members fail to file objection within ten days from today, it shall be open to the respondent-authority to proceed further in pursuance of the impugned public notice."

Accordingly, the instant petition also stands disposed off in same terms."

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचीगणों की ओर से संजय कुमार एण्ड एसोशियेट्स, टी0-01/1502, सुप्रीम टॉवरस, सैक्टर-99, नौएडा द्वारा दिनांक 21.07.2022 को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में मुख्यतः कथित किया गया कि नौएडा प्राधिकरण की ओर से फार्म हाउसों के विरुद्ध सोशल/प्रिन्ट मीडिया व चस्पानगी के माध्यम से जारी सार्वजनिक नोटिस दिनांक 08.06.2022 विधि विरुद्ध है एवं प्रश्नगत फार्म हाउस पर डूब क्षेत्र (Active Flood Zone) सम्बन्धी नियम लागू न होने एवं प्राधिकरण की अधिकारिता के सम्बन्ध में बिन्दुओं को उठाया गया है।

याचिका संख्या-18009/2022 में पारित मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 05.07.2022, याचिका एवं नौएडा नौएडा प्राधिकरण के सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन व परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति उभर कर सामने आती है:-

1. याचिका में वर्णित ग्राम-चक मंगरोला, दोस्तपुर मंगरोली आदि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र का ग्राम है। ग्राम-चक मंगरोला उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1730-भाऊ/18-10-97 लखनऊ, दिनांक 06 अगस्त, 1997 में नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित ग्राम है।
2. उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के सुसंगत प्रावधानों के तहत नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में बिना नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि U.P. Industrial Area Development Act, 1976 में विहित धारा-2 (डी) में यह स्पष्ट किया गया है कि-

(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification;

iii. ऐसे क्षेत्र जो प्रस्त- (1) एवं (2) से आच्छादित नहीं है, उसमें औचित्य पाये जाने पर नार्दन इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज एक्ट-1873 की धारा-55 के अन्तर्गत क्षेत्रों को अधिसूचित करते हुए अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए।”

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या 1560/12-27-सि-3-43एल/08टी0सी0 दिनांक 19.09.20 2:-

“.....जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 319 फार्म हाऊस 124.437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर है। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी.....”

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्मन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

“..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नीएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।.....”

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा० उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भी याचिका संख्या -2112/2002, वजीरपुर बर्तन निर्माता संघ बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में Yamuna-Removal of encroachment committee को उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा आदेश दिनांक 08.12.2005 के माध्यम से निम्नवत निर्देश दिये गये थे:-


“.....No encroachment either in the form Jhuggi Jhopri clusters or in any other manner by any person or organization shall be permitted....We are making it clear that no structure whether it pertains to religious, residential or commercial or any other purpose shall be allowed to exist...”

10. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.02.2017 में MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT, AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION DATED 07-10-2016 का उल्लेख किया है। इस नोटिफिकेशन के प्रमुख अंश निम्नवत है, जिनके द्वारा गंगा व उसकी उपनदियों (यमुना सहित) में डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण विधि विरुद्ध बताया गया है व पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देशित किया गया है:-

- 3 (f) " flood plain" means such area of River ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years.
- 4 (ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free zone of reduce pollution sources pressures and to maintain its natural ground water recharge functions.
5. Ecological flow of water in River Ganga to be maintained.



Handwritten signature or initials



WCM-



दिनांक 08 जून, 2022

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976, के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार नौएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य करना अनुमन्य नहीं है, क्योंकि ऐसे अनधिकृत निर्माण से संबंधित भूमि की प्रकृति/स्टेटस में परिवर्तन हो सकता है, जिसका नौएडा के समुचित नियोजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं जनसामान्य के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में पड़ने वाली यमुना / हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भी किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में इस प्राधिकरण के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग / निकाय/संस्था को किसी भी प्रकार के निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत करने अथवा निर्माण की अनुमति देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में यह भी सूचित करना है कि वर्तमान समय में चूंकि नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण बड़े पैमाने पर तीव्र गति से फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए पूर्व में प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाओं, नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में लगाए गए विभिन्न नोटिस बोर्ड, समय-समय पर अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अतिक्रमण उन्मूलन अभियान एवं नौएडा की अधिकृत वेबसाइट noidaauthorityonline.com के माध्यम से भी अनधिकृत निर्माण से संबंधित सार्वजनिक सूचना का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है।

अतः सार्वजनिक रूप से जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि नौएडा के अधिसूचित/डूब क्षेत्र में कोई भी निर्माण किया जाना पूर्णतः अवैध है। अगर किसी के द्वारा कोई निर्माण किया गया है तो तत्काल स्वयं हटा लें अन्यथा की दशा में नौएडा के अधिसूचित/डूब क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण पाये जाने पर उसे ध्वस्त किया जायेगा। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर होने वाले व्यय की वसूली भी भू-राजस्व के बकाये की भौति अनाधिकृत निर्माणकर्ता से ही की जायेगी। इसके अतिरिक्त इसमें संलिप्त अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

720 Annexure-7

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

INDEX

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2

Others

.....RESPONDENTS

S.No.	Particulars	Date	Ann No.	Page
1.	Civil Misc. Application u/s 151 C.P.C.			1-2
2.	Counter Affidavit on behalf of Respondent No. 1			3-27
3.	Copy of the order dated 20.05.2013 issued in Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others	20.05.2013	CA1	28-32
4.	Copy of the Notification issued by the Ministry of	07.10.2016	CA2	33-55

W/M-

721

	Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
5.	Copy of the order passed in Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others by the learned National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi	10.02.2017	CA3	56-58
6.	Copy of the Notification	11.07.1989	CA4	59-61
7.	Copy of the Office Memo	01.10.2020	CA5	62-78
8.	Copies of the site maps, news articles, drone photos and news photos (colly.)		CA6	79-99
9.	Aadhar Card			100

Dated: 05/11/2023


(ANKUR AGARWAL)

Counsel for Respondent No. 1

A.O.R.: A/A-0123/2017

Chamber No. 72,

High Court, Allahabad

Mob: 9936797235

W/M-

722

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

CIVIL MISC. APPLICATION NO. of 2023

(Under Section 151 of C.P.C.)

IN**COUNTER AFFIDAVIT****(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)****IN****CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023**

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)Ratna Mitra, D/o Late Sh. D.N. Das R/o KB-001,
Sector 63A, Noida, Uttar Pradesh - 201307.

.....Petitioner

Versus

1. NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY THROUGH ITS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT ADMINISTRATIVE COMPLEX, SECTOR-6, NOIDA - 201301, DISTRICT GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA.
2. NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA MINISTRY OF JAL SHAKTI (DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION) GOVERNMENT OF INDIA 1ST FLOOR, MAJOR DHYAN CHAND NATIONAL STADIUM, INDIA GATE, NEW DELHI - 110002.
3. STATE OF UTTAR PRADESH THROUGH ITS CHIEF SECRETARY.

.....**RESPONDENTS**

To,

The Hon'ble Chief Justice and his other
companion Judges of the aforesaid Court.

W/M-

T

723

2

The humble application of the above-named applicants Most Respectfully shows as under:

1. That the full facts and reasons have been mentioned in the accompanying affidavit which forms part of this application.
2. That in view of the facts and circumstances narrated in the accompanying counter affidavit, it is expedient in the interest of justice that this Hon'ble Court may graciously be pleased to accept the present counter affidavit and treat it as part of the case.
3. That this application will be filed on .2023 and it will be taken up on .2023.

PRAYER

It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to accept the present counter affidavit and treat it as part of the case and or to pass any other and further order which may deem fit and proper under the facts and circumstance of the case so that justice be done.

Dated: 05/11/2023



(ANKUR AGARWAL)

Counsel for the Respondent No. 1

A.O.R.: A/A-0123/2017

Chamber No. 72,

High Court Allahabad.

Mob: 9936797235



IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

**COUNTER AFFIDAVIT
(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)**

IN

**CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023
(Under Article 226 of the Constitution of India)****(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)**Ratna Mitra, D/o Late Sh. D.N. Das R/o KB-001,
Sector 63A, Noida, Uttar Pradesh - 201307.

.....Petitioner

Versus

1. NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY THROUGH ITS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT ADMINISTRATIVE COMPLEX, SECTOR-6, NOIDA - 201301, DISTRICT GAUTAM BUDH NAGAR, UTTAR PRADESH, INDIA.
2. NATIONAL MISSION FOR CLEAN GANGA MINISTRY OF JAL SHAKTI (DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION) GOVERNMENT OF INDIA 1ST FLOOR, MAJOR DHYAN CHAND NATIONAL STADIUM, INDIA GATE, NEW DELHI - 110002.
3. STATE OF UTTAR PRADESH THROUGH ITS CHIEF SECRETARY.

.....**RESPONDENTS**

Affidavit of Devendra Pratap Aged about 45 years, Son of Shri Hari Lal Ram, Presently posted as Officer On Special Duty in New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Gautambudh Nagar, Religion: Hindu, Nationality: Indian, Occupation: Service

(Deponent)


725

4

I, the deponent above named do hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That the Deponent is posted as Officer On Special Duty in New Okhla Industrial Development Authority (NOIDA), Gautambudh Nagar and as such he is well acquainted with the facts of the case deposed to below.
2. That before giving a parawise reply to the averments as contained in the aforesaid writ petition, certain material facts and orders need to be bought on record for deciding the controversy at hand.
3. That the learned National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as 'NGT') in *Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others* vide its order dated 20.05.2013 issued an ad interim injunction which stated as follows -

"In view of the above circumstances, we hereby issue ad interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

.....

Similar order and injunction shall operate in regard to river Hindon as well."

W.M.

Copy of the order dated 20.05.2013 issued in Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others is filed herewith as **ANNEXURE No. CA1.**

4. That subsequently, the Central Government vide a Notification dated 07.10.2016 issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation providing for the protection of the flood plain, fixation thereof and the activity which can be carried out in the flood plain. Copy of the Notification dated 07.10.2016 issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation is filed herewith as **ANNEXURE No. CA2.**

5. That the aforesaid Notification dated 07.10.2016 has been issued by the by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the following aims and objectives: -

"Whereas it is necessary to constitute authorities at Central, State and District levels to take measures for prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and to ensure continuous adequate flow of water so as to rejuvenate the River Ganga to its natural and pristine condition and for matters connected therewith or incidental thereto;

And whereas the River Ganga is of unique importance ascribed to reasons that are geographical, historical, socio-cultural and economic giving it the status of a National River;

And whereas the River Ganga has been facing serious threat due to discharge of increasing quantities of sewage, trade effluents and other pollutants on account of rapid urbanisation and industrialisation;

And whereas, the demand for water of River Ganga is growing for irrigation, drinking water supplies, industrial use and hydro-power due to increase in population, urbanisation, industrialisation, infrastructural development and taking into account the need to meet competing demands;

And whereas there is an urgent need-

W.M.

(a) to ensure effective abatement of pollution and rejuvenation of the River Ganga by adopting a river basin approach to promote inter-State and inter-sectoral co-ordination for comprehensive planning and management;

(b) to maintain ecological flows in the River Ganga with the aim of ensuring continuous flows throughout its length so as to restore its ecological integrity that enables it to self-rejuvenate;

(c) for imposing restrictions in areas abutting the River Ganga in which industries, operations or processes, or class of industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards;

(d) to make provision for inspection of any premises, plants, equipment, machineries, manufacturing or other processes, materials or substances and giving direction to the authorities, officers and persons as may be necessary to take steps, for prevention, control and abatement of environmental pollution in the River Ganga;

(e) for carrying out and sponsoring investigations and research relating to problems of environmental pollution in the River Ganga and examination of such manufacturing processes, material and substance as are likely to cause environmental pollution;

(f) for collection and dissemination of information in respect of matters relating to environmental pollution in the River Ganga and preparation of manual, codes or guide relating to the prevention, control and abatement of environmental pollution;

And whereas the State Governments concerned, being equally responsible for Ganga rejuvenation, are required to co-ordinate and implement the river conservation activities at the State level, and to take steps for comprehensive management of the River Ganga in their States;

And whereas it is required to have planning, financing, monitoring and coordinating authorities for strengthening the collective efforts of the Central Government and the State Governments and authorities under this Order for effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga;"

6. That subsequently, it was stated in clause (1) of the aforesaid Notification that this Notification may be called as **"River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016."**

(hereinafter referred to as 'Order, 2016').

7. That the aforesaid Order, 2016 further in Clause (2) stated that "This Order shall apply to the States

W.M.

comprising River Ganga Basin, namely, Himanchal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Haryana, Rajasthan, West Bengal and the National Capital Territory of Delhi and such other States, having major tributaries of the River Ganga as the National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga may decide for the purpose of effective abatement of pollution and rejuvenation, protection and management of the River Ganga."

8. That under Clause (3) of the Order, 2016 various definitions have been provided. The following definitions are of importance to the controversy at hand -

(c) "**Buffer Area**" means an area which extends beyond the flood plain of a stream;

(l) "**Flood Plain**" means such area of River Ganga or its tributaries which comes under water on either side of it due to floods corresponding to its greatest flow or with a flood of frequency once in hundred years;

(s) "**River Bed**" means the dried portion of the area of River Ganga or its tributaries and includes the place where the River Ganga or its tributaries run its course when it fills with water and includes the land by the side of River Ganga or its tributaries which retains the water in its natural channel, when there is the greatest flow of water;

(ze) "**Tributaries of River Ganga**" means those rivers or streams which flow into River Ganga and includes **Yamuna River, Son River, Mahananda River, Kosi River, Gandak River, Ghaghara River and Mahakali River** and their tributaries or such other rivers which National Council for Rejuvenation Protection and Management of River Ganga may, by notification, specify for the purposes of this Order.

9. That Clause (4) of the Order, 2016 provides -

4. Principles to be followed for rejuvenation, protection and management of River Ganga. - (1) The following principles shall be followed in taking measures for the rejuvenation, protection and management of River Ganga, namely:-

(i) the River Ganga shall be managed as a single system;

W.M.

M

(ii) the restoration and maintenance of the chemical, physical, and biological quality of the waters of River Ganga shall be achieved in a time bound manner;

(iii) the River Ganga shall be managed in an ecologically sustainable manner;

(iv) the continuity of flow in the River Ganga shall be maintained without altering the natural seasonal variations;

(v) the longitudinal, lateral and vertical dimensions (connectivities) of River Ganga shall be incorporated into river management processes and practices;

(vi) the integral relationship between the surface flow and sub-surface water (ground water) shall be restored and maintained;

(vii) the lost natural vegetation in catchment area shall be regenerated and maintained;

(viii) the aquatic and riparian biodiversity in River Ganga Basin shall be regenerated and conserved;

(ix) the bank of River Ganga and its flood plain shall be construction free Zone to reduce pollution sources, pressures and to maintain its natural ground water recharge functions;

(x) the public participation in rejuvenation, protection and management, revision and enforcement of any regulation, standard, effluent limitation plan, or programme for rejuvenation, protection and management shall be encouraged and made an integral part of processes and practices of River Ganga rejuvenation, protection and management.

(2) National Mission for Clean Ganga may, having regard to the needs of the people of the country, advances in technology and socio economic conditions of the people and to preserve the rich heritage of national composite culture, specify additional principles in addition to the principles specified under sub-paragraph (1).

10. That pertinently, in Clause (6) of the aforesaid Order, 2016 the following has been provided –

6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries. -

(1).....

(2).....

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries;

W/M-

✍

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.

(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.

(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.

11. That, thus, with the issuance of the Order, 2016 it is amply clear that the intent of the Government is to protect the flood plain area of the River Ganga and its tributaries including the river Yamuna, Hindon etc. and consequently, the Order, 2016 is patently clear that no person shall construct any structure, **whether permanent or temporary** for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries.

12. That, consequently on 10.02.2017, after the issuance of the aforesaid Notification/Order dated 07.10.2016, the *Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others* was dismissed as infructuous by the learned National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. Copy of the order dated

W/M-

H

10.02.2017 passed in Application No. 89/2013 - Akash Vashishtha & Another vs Union of India & Others by the learned National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi is filed herewith as **ANNEXURE No. CA3.**

13. That the statutory provisions are also of relevance to the issue at hand. Section 2(d) & 10 of the U.P. Industrial Area Development Act, 1976 state -

"(d) 'Industrial Development Area' means an area declared as such by the State Government by notification."

Pertinently, the village Nagla Nagli has been notified in on 11.07.1989 and is part of the riverfront development zone under the Master Plan 2031 of the Noida Development Authority. Copy of the notification dated 11.07.1989 is filed herewith as **ANNEXURE No. CA4.**

14. That Section 17 of the Act is explicitly lucid and states -

17. Overriding effect of the Act. - Upon any area being declared on industrial development area under the provision of this act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban planning and Development Act, 1973, or any development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan.

The Petitioner has not adduced any evidence/documents wherein any permission for construction has been extended by the Noida Authority.

15. That Clause 20.2. and 20.3 of the Noida Area Building Regulations, 2010 propounds -

20.2 - "Unsafe Building": An unsafe building shall be considered to constitute danger to public safety hygiene and sanitation and shall be restored by repair or demolished or dealt with as otherwise directed by the Chief Executive Officer of the Authority.

20.3 "Unauthorised development": In case of Unauthorised development, the Chief Executive Officer or an authorized officer by the Chief Executive Officer shall-

(i) Take suitable action which may include demolition of unauthorized works, sealing of premises, prosecution and criminal proceedings against the offenders in pursuance of relevant Acts in force.

(ii) Take suitable action against the technical person concerned."

16. That the petitioner in the aforesaid petition has raised objections regarding the jurisdiction of the Noida authority. Apropos the jurisdiction of the Noida Authority it is pertinent to point out that the Chief Engineer/ Head Of Department of the Irrigation Department vide letter no. 38/का0प्र0अ0भू-09अ.नि.म.-3 dated 15.01.2015 issued directions to the Noida Authority, which is as under -

परिपत्र

उ0प्र0 की विभिन्न नदियों में समय-समय पर फ्लड प्लेन जोन/ फ्लड प्लेन क्षेत्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा होती रहती है। इस क्रम में उ0प्र0 की नदियों के लिए एतद्द्वारा फ्लड प्लेन जोन/फ्लड प्लेन एरिया निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

फ्लड प्लेन जोन/एरिया

1. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबंधों के मध्य का क्षेत्र।
2. जहाँ नदी के दोनों ओर मार्जिनल तटबंध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्वात तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्वात का डूब क्षेत्र।



अधिकांश अभियंता हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली-25 द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि - ".....यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन/फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारों बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सेक्टरों में भार जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के कार्यक्षेत्र में ग्राम-नौरंगबाद खादर, रायपुर खादर, असगरपुर, चकबसंतपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर खादर, नगला नगली, नगली बहरामपुर, नगली शागपुर, वाजिदपुर, छपरोली खादर, छपरोली बांगर, असदुल्लापुर, चकमंगरोला, दोस्तपुर मंगरौली खादर, किदावली आदि की भूमिमें यमुना नदी तटबंध के निकट से बह रही है बाढ़ की दृष्टि से जनपद-गौतमुबद्धनगर संवेदनशीलता की श्रेणी में है।

..... अब तक हुये अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटाया जाना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी बाढ़ की विभिषिका का सामना करना पड़ सकता है। यह भी अवगतनीय है कि मा10 नैशनल ग्रीन ट्रुव्यूनल की प्रिंसिपल बैंच नई, दिल्ली के आदेश सं0-89/2013, आकाश वशिष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दिनांक 20.05.2013 के आदेशानुसार फ्लड प्लेन जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित है तथा इस जोन को हरित जोन बनाये जाने का प्राविधान है।....."

17. That the Executive Engineer, Sinchai Nirman Khand, Ghaziabad vide its letter dated 29.06.2022 informed -

"यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध भवन फार्म हाउसों का निर्माण बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। नदियों के किनारे बनाये जाने वाले तटबंध नदियों में अधिकतम डिस्चार्ज के अनुसार डिजाइन किये गये हैं। तटबंध का डिजाइन करते समय उपरोक्त नदियों के क्षेत्र में मात्र कृषि कार्य हो रहा था, जिससे बाढ़ के समय यह

भूमि जल प्लावित हो जाती थी, और कोई अवैध निर्माण न होने के कारण बिना किसी जन-धन की हानि के बाढ़ का पानी पास हो जाता था। डूब-क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में जब भी बाढ़ के समय जल स्तर बढ़ेगा तो इन अवैध निर्माणों से पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न होने से यह पानी आगे नहीं बढ़कर तटबंध से टकरायेगा जो तटबंध को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। जिससे नोएडा के औद्योगिक एवं आवासीय सैक्टरों में भारी जन-धन की हानि होने की प्रबल सम्भावना है। इस खण्ड के नियंत्रणाधीन दो स्थानों ग्राम याकूतपुर एवं कामबक्शपुर की भूमि में यमुना नदी तटबंध के अत्यधिक निकट से बह रही है। ग्राम-याकूतपुर के निकट वर्ष-1996 में यमुना नदी के किनारे पर निर्मित तटबंध बाढ़ के समय लगभग एक कि.मी. लम्बाई में कट गया था। जिसमें सेना की मदद लेनी पड़ी थी। बाढ़ की दृष्टि से जनपद गौतमबुद्धनगर संवेदनशील की श्रेणी में है।

..... अब तक हुए अवैध निर्माणों का डूब-क्षेत्र से हटना एवं किसी भी प्रकार के स्थायी/अस्थायी निर्माणों को प्रतिबंधित किया जाना मानव सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी बाढ़ की विभिषिका का सामना करना पड़ सकता है।.....”

18. That it is also pertinent to submit here that the Master Plan - 2031 was approved by the Noida Authority Board on 25.08.2011 and the no-objection to it was granted by the State Govt. on 29.09.2011. As per the Master Plan - 2031 Noida is situate between the rivers Yamuna and Hindon and the total area covered under Noida is approximately 20,000 hectares, out of which approximately 15,000 hectares land is earmarked for urbanization and approximately 5000 hectares land is the flood plain zone of both the aforesaid rivers. This flood plain zone area land has been shown under the riverfront development zone. Clause 5.11 of the Master Plan- 2031 Report apropos riverfront development area provides -

“.....Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. De  of urban activities has not been proposed

in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river banks and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated wastewater through drain. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and sometimes due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirement, potential of reclamation and the potential of making this area physically accessible and functional."

19. That the aforesaid provision clearly specifies that are the first instance a detailed plan of the riverfront development area shall be prepared and the same will have entertainment, recreational, tourism activities etc. For entertainment, recreational and tourism activities a maximum area of 1% shall have temporary and removable structures and permission for the same shall be given by the Authority.
20. That under Chapter 7 in clause 7.1.1 of the master plan-2031 the term Use Zone has been mentioned wherein 8 Use Zones, namely, residential, commercial, industrial, recreational, public and semi-public,

W.M. J

transport, agricultural/water body, riverfront development area have been mentioned.

21. That the petitioners plot in question comes under the riverfront development area as enumerated in the Noida master plan- 2031. Under clause 3.3.1 of the master plan report, permissible activities under various land use have been mentioned and the same has been displayed in the form of a matrix. In this matrix various land use activities apropos permissible activities, conditional permissible activities, activities permitted by the Authority Board and prohibited activities have been mentioned. In this matrix riverfront development has not been mentioned and as such, thus, it is clarified that no development activity is permitted in the riverfront development area.
22. That the land use activity related to farmhouse has been mentioned under point 9.2 in the aforesaid matrix. On observing the Row of a farmhouse, it is evident that this activity is allowed in residential, institutional and agricultural land use and as such is forbidden/prohibited in any other land use. It is pertinent to mention here that firstly residential, institutional or agricultural land is acquired by the Authority and subsequently the layout is prepared by the authority and then the same is allotted. If in the layout plan the plot is proposed for a farmhouse then subsequently the authority as per provisions of the Building Bylaws, 2010 sanctions the layout map of the same. Thus, it is evident that without the express approval from Noida and without getting the permission/map sanctioned no construction is legal.
- W.M.
- X

23. That pertinently, a meeting of the District Disaster Management Committee was also convened by the DM Gautam Budh Nagar/President District Disaster Management Committee on 30.09.2020 and various decisions pertaining to the past disaster events and certain decisions were taken to reduce possible natural/man-made disasters in the future. It was decided -

"यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 30.09.2020 कार्यवृत्त के प्रस्तर-30 के बिन्दु संख्या A में उद्धृत किया गया है कि "...A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की क्षति को बचाने के लिए अवैध एवं अनधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।..." जिला गंगा समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 25.10.2021, 25.04.2022 एवं 19.05.2022 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी कार्यवृत्त में भी यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।"

Copy of the Office Memo dated 01.10.2020 is filed herewith as **ANNEXURE No. CA5.**

24. That the recent floods in the river Yamuna and Hindon wreaked havoc in the city of Noida and its surrounding areas and in particular the areas in the flood plain were completely submerged in the flood waters. The illegal structures (both allegedly temporary and permanent) were submerged and workers employed in these illegally constructed farm houses had to be rescued by the Authorities. The stand of Noida was vindicated by the turn of the recent events and the illegal structures in the flood plains of both rivers,

W.M.

J

namely, Yamuna and Hindon posed a grave threat to the public at large. Sector 135 wherein the 'Fenced developed Farmland with road access comprising 0.1265HA situated in Khata No. 3 of Khet No. 248/6 measuring 16-18-0 pukhta identified in the sale deed as Plot No. 24 Phase-2 of Green Beauty Farm' of the Petitioner is situated (in the flood plain of river Yamuna) was the one of the worst hit in the recent floods. Copies of the site maps, news articles, drone photos and news photos are collectively filed herewith as **ANNEXURE No. CA6**.

PARAWISE REPLY

25. That the contents of paras 1, 2 & 3 of the writ petition need no reply.
26. That the contents of para 4 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that in compliance to the order dated 07.07.2022 passed in Writ C No. – 18520/2022 by this Hon'ble Court, the Authority has decided the representation of the Petitioner and passed its order dated 14.02.2023 within the four corners of the prevailing law and rules. The construction done / being done by the Petitioner in the Plain Flood Zone is illegal and unauthorized as already illustrated in the preceding paras of this CA.
27. That the contents of para 5 of the writ petition need no reply.

W.M.

V

28. That the contents of paras 6 & 7 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the village *Chak Mangrola* is a notified village of the Authority since 1997. Moreover, in the impugned order dated 14.02.2023 it is clearly written - "ग्राम-चक मंगरौला व अन्य". Thus, the contention of the Petitioner is vague and untenable and is liable to be rejected. Moreover, the Respondent Authority in compliance to the order dated 07.07.2022 passed in Writ C No. - 18520/2022 by this Hon'ble Court, the Authority has decided the representation of the Petitioner and passed its order dated 14.02.2023 within the four corners of the prevailing law and rules. The construction done / being done by the Petitioner in the Plain Flood Zone is illegal and unauthorized as already illustrated in the preceding paras of this CA.
29. That the contents of paras 8 & 9 of the writ petition need no reply.
30. That the contents of paras 10 & 11 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the Authority has decided the representation of the Petitioner and passed its order dated 14.02.2023 as per law and rules. The construction done / being done by the Petitioner in the Plain Flood Zone is illegal and unauthorized.
31. That the contents of para 12 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the Authority has decided the representation of the Petitioner and passed its order dated 14.02.2023 as per law and rules and it is pertinent to submit here that all facets,

W/M-

communications and letters/orders per se have been relied upon and duly considered by the Respondent Authority before passing the reasoned and speaking order dated 14.02.2023.

32. That the contents of para 13 of the writ petition need no reply.
33. That the contents of para 14 & 15 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the Petitioner has raised permanent construction over the said plots in question and as such the constructions done / being done by the Petitioner in the Plain Flood Zone are illegal and unauthorized. With the issuance of the Order, 2016 it is amply clear that the intent of the Government is to protect the flood plain area of the River Ganga and its tributaries including the river Yamuna, Hindon etc. and consequently, the Order, 2016 is patently clear that no person shall construct any structure, **whether permanent or temporary** for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries.
34. That the contents of paras 16, 17 & 18 of the writ petition need no reply.
35. That in reply to the contents of para 19 & 20 of the writ petition it is submitted that the Respondent Authority has dealt with this in detail in paragraph '3' of its order dated 14.02.2023 and, moreover, in compliance to the orders dated 14.06.2022 & 07.07.2022 passed by this Hon'ble Court the

W/M-

Respondent Authority has decided the representation of the Petitioner and passed its order dated 14.02.2023 within the four corners of the prevailing law and rules.

36. That in reply to the contents of para 21 & 22 of the writ petition it is submitted that the representation presented by the petitioner was decided by the Respondent Authority as per the prevalent law and rules. The detailed disposal of the representation has been done vide order dated 14.02.2023 and its proper intimation/information has been made available to the petitioner.
37. The in reply to the contents of para 23, 24 & 25 of the writ petition it is submitted that a correct order dated 14.02.2023 has been passed after detailed discussion/deliberations on the points raised by the petitioner in his reply dated 16.07.2022. A detailed and a speaking order has been passed by the Authority.
38. That the contents of para 26 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that at various places in the flood plain zone area and dam road visible and clear warning boards have been installed by the Respondent Authority, in which it is clearly mentioned that no construction work is allowed in the flood plain zone area. From time to time such warnings have also been given through social media and print/electronic media by the Authority.
39. That the contents of para 27 of the writ petition are not admitted as stated and in reply it is submitted that

W.M.

*

the various people who have purchased respective plots at the area in question, have flouted the rules in making constructions over the same. With the issuance of the Order, 2016 it is amply clear that the intent of the Government is to protect the flood plain area of the River Ganga and its tributaries including the river Yamuna, Hindon etc. and consequently, the Order, 2016 is patently clear that no person shall construct any structure, **whether permanent or temporary** for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries. The same has been rightly referred to as encroachments and as far as the payment of stamp duty is concerned the same is concerned with the revenue department of the Government of U.P. and not with the answering Respondent.

40. That the contents of para 28 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the total notified area of Noida is about 20,000 ha, out of which about 5,000 ha of land is situated in the river flood zone of Yamuna and Hindon rivers. In Noida Master Plan-2031, most part of this flood plain zone is planned under River Front Development Zone. Unauthorized and illegal plotting and farmhouses are being constructed in this area by selling the land situated in the flood plain zone by some persons at a very low price. In relation to the illegal and unauthorized construction taking place in the flood plain zone in the year 2013, the following interim order

W/M-

J

was passed by the Hon'ble Green Tribunal, New Delhi on 20.05.2013, in case number - 89 / 2013, Akash Vashisht and others vs. Government of India and others -

"In view of the above circumstances, we hereby issue ad interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

.....

Similar order and injunction shall operate in regard to river Hindon as well."

Hence, the impugned order dated 14.02.2023 is totally within jurisdiction and has been passed after careful deliberation and discussion.

41. That the contents of paras 29 & 30 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the total area of the notified area of Noida is about 20,000 ha, out of which about 5,000 ha of land is situated in the river flood zone of Yamuna and Hindon rivers. In Noida Master Plan-2031, most part of this flood plain zone is planned under River Front Development Zone. Unauthorized and illegal plotting and farmhouses are being constructed in this area by selling the land
- W.M.

situated in the flood plain zone by some persons at a very low price. That pertinently, in Clause (6) of the Order, 2016 the following has been provided -

6. Prevention, control and abatement of environmental pollution in River Ganga and its tributaries. -

(1).....

(2).....

(3) No person shall construct any structure, whether permanent or temporary for residential or commercial or industrial or any other purposes in the River Ganga, Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries:

Provided that in exceptional circumstances like natural calamities or religious events at traditional locations, temporary structures can be raised after prior permission of the National Mission for Clean Ganga acting through the State Ganga Committee and the District Ganga Committee:

Provided further that in case any such construction has been completed, before the commencement of this Order, in the River Bank of River Ganga or its tributaries or active flood plain area of River Ganga or its tributaries, the National Mission for Clean Ganga shall review such constructions so as to examine as to whether such constructions are causing interruption in the continuous flow of water or pollution in River Ganga or its tributaries, and if that be so, it shall cause for removing them.

(4) No person shall do any act or carry on any project or process or activity which, notwithstanding whether such act has been mentioned in this Order or not, has the effect of causing pollution in the River Ganga.

(5) It shall be the duty of the National Mission for Clean Ganga, every Specified State Ganga Committee or specified District Ganga Protection Committee, local authority and all other authorities and persons to disseminate widely and bring to public notice, using various means, information captured in reports and the aforesaid measures in the local language in every village, town, city and other areas abutting River Ganga and its tributaries.

Moreover, the Petitioner's farmhouse is situate between the dam of the irrigation department and the Yamuna river and the same is in the flood plain zone area.

42. That in reply to the contents of para 32 of the writ petition it is submitted that the irrigation department

W/M-

X

vide its letter dated 15.01.2015 has lucidly defined a 'Flood Plain Zone/Area' and in the order dated 14.02.2023 a detailed discussion regarding the same has been done under points 4, 5, 6 & 7 respectively and in the preceding paras of this CA.

43. That the contents of para 33 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that point no. 3 of the order dated 14.02.2023 deals with the issue as averred in detail.
44. That the contents of para 34, 35 & 36 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that in light of the UP Industrial Area Development Act 1976, government orders/orders issued by Irrigation Department and orders of District Disaster Management Committee, Gautam Budh Nagar, District Ganga Committee, Gautam Budh Nagar, the action taken by the Authority is legal.
45. That in reply to the contents of paras 37, 38 & 39 of the writ petition it is submitted that illegal and unauthorized construction work has been done by the petitioner in violation of the rules in the Plain Flood Zone. Definition of flood plain zone/area, rules and orders etc. are clearly mentioned in the order dated 14.02.2023.
46. That the contents of para 40 of the writ petition are not admitted as stated hence denied and in reply it is submitted that it is the responsibility of a citizen to act in accordance with the orders, rules and laws issued by the government.



47. That contents of paras 41 & 42 of the writ petition need no reply.
48. That in reply to the contents of para 43 of the writ petition it is submitted that the irrigation department vide its letter dated 15.01.2015 has lucidly defined a 'Flood Plain Zone/Area' and in the order dated 14.02.2023 a detailed discussion regarding the same has been done under points 4, 5, 6 & 7 respectively.
49. That contents of para 44 of the writ petition need no reply.
50. That the contents of para 45 of the writ petition are denied and in reply contents of para 18 of this CA are reiterated and reaffirmed.
51. That in reply to the contents of para 46 of the writ petition it is submitted that the order dated 14.02.2023 has been passed in accordance with the rules, orders and law which is valid.
52. That the contents of para 47 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that the Petitioner has indulged in constructing a permanent structure in the Flood Plain Zone/Area and as such the same is unauthorized and illegal.
53. That the contents of para 48 of the writ petition are denied and the Petitioner is trying to subvert the issue at hand by indulging in baseless discussions.
54. That the contents of paras 49, 50 & 51 of the writ petition are denied and in reply it is submitted that contradictory statements are being taken by the petitioner to def^{ine} ~~the~~ illegal construction. On one

hand, in paragraph number 14 of the writ petition, it has been stated by him that he is doing fish farming on the land in question, whereas in paragraph number 51 of the writ petition, he has stated that he has construction on the land in question. The Petitioner is trying to confound the issue and create confusion with his contradictory pleadings.

55. That the contents of paras 52, 53 & 54 of the writ petition are denied and in reply the preceding paras of this CA are reiterated and reaffirmed. The pucca construction done by the petitioner in the plain flood zone is illegal and is unauthorized. The Petitioner's representation dated 07.07.2022 has been disposed of vide a speaking order no. Noida/Bhulekh/23/2629 dated 14.02.2023 and the Petitioner has been directed to remove the illegal construction on its land situate in the flood plain zone/area. The Petitioner is not entitled to get any relief as prayed and the instant writ petition deserves to be dismissed. Therefore, in pursuance of the facts stated above it is imperative that the aforesaid writ petition be dismissed with cost, otherwise the answering Respondent shall suffer irreparable loss and injury.

That the contents of paras 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 54, of the present counter affidavit are true to my personal knowledge and those contents of paragraph nos. 3, 4, 12, 13, 23, 24, of the present counter affidavit are matters of record, and paragraph

W/M-

W

nos. ...SS.P,..... are based on legal advice; no part of it is false and nothing material has been concealed.

So Help Me GOD



DEPONENT

I, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself/herself to be the deponent is very same person, the deponent is known to me from perusal of papers produced by him before me in this case.

()

Solemnly affirmed before me on...05..... th day ofNov....., 2023 at about 4.30 a.m/p.m. by the deponent who has been identified by the aforesaid person. I have satisfied myself by examining the deponent that he/she understood the contents of this affidavit which has been read over and explained to him/her by me.

OATH COMMISSIONER



W.M.

749

28

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-1

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2

Others

.....RESPONDENTS

J

WRM-

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Application No. 89 of 2013

Akash Vashishtha & Anr. Vs. Union of India & Ors.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE U.D. SALVI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. D. K. AGRAWAL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. G. K. PANDEY, EXPERT MEMBER
HON'BLE PROF. A.R. YOUSUF, EXPERT MEMBER

Present: Applicant: Mr. Amit Khemka, Advocate along with Ms. Sanorita D. Bharali, Advocate with Mr. Akash Vashishtha, Applicant in Person

Respondent No. 1: Ms. Neelam Rathore, Advocate
Respondent No. 2&3: Mr. Ardhendumauli Kumar Prasad, Advocate
Respondent No. 5: Mr. D. Rajeshwar Rao, Advocate
Respondent No. 6: Mr. Manjit Singh, Addl. AG
Respondent No. 8&11: Mr. Pankaj Pandey, Advocate
Respondent No. 9&12: Ms. Reena Singh, Advocate with Mr. Arjun Singh, Advocate
Respondent No. 10: Ms. Sushma Singh, Advocate
Respondent No. 13: Mr. Rajesh Chhabra, Advocate

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
<p>Item No. 2 May 20, 2013</p>	<p>All Respondents have been served.</p> <p>The service on all Respondents is complete.</p> <p>Learned counsel appearing for the respective Respondents pray for time to file Reply. Let Replies be filed within four weeks from today with advance copy to the learned counsel appearing for the Applicant who may file Rejoinder within one week thereafter.</p> <p>We make it clear that no further time would be allowed to complete the pleadings.</p> <p>It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority.</p> <p>On the contrary, these Authorities including the</p>

Wm- W

problems besides raising risk to human life and property.

Learned counsel appearing for the Applicant has brought to our notice the Notification dated 16th March, 2010 issued by the Chief Secretary of Uttar Pradesh to all the Authorities including the Police in the State of Uttar Pradesh to ensure that no constructions whatsoever is raised on the flood plain zone and whichever constructions have been raised should be removed. The relevant extract of the said notification state as under:-

"It is coming to the knowledge of government that illegal constructions / encroachments are increasing in the flood plain zones and they are not being controlled. While on one hand complexities due to obstruction of natural flow of water during floods may arise from such illegal constructions, on the other hand, there is danger of loss of life and property to the residents. In this connection, orders have been given in the past from time to time and orders have also been given by Housing Division-I, UP through its government Order No. 1773/9-A-1-1995, dated 18 May, 1995 and also GO No. 2432/9-A-1 Encroachment/2003(AB), dated 04 April 2003 but these government orders have not been followed strictly, which is leading to a rise in the number of such illegal constructions / encroachments. Hence, upon a careful deliberation, the government has taken the following decisions :

1. Clear depiction of flood plain zones along rivers as flood affected areas in the Master Plans and to prevent any constructions in these areas, these areas should be reserved as Green. It should be ensured to ban all kinds of constructions in flood plain zones under the Zoning Regulations of the concerned cities.
2. No NOC will be granted, under the RBO Act, UP Urban Planning & Development Act 1973 and Industrial Development Act 1973, to any kind of construction inside the flood plain zone and nor will be the lay-out plans of such constructions be approved. To stop such kind of illegal constructions, effective action would be taken under the provisions of the above acts.
3. Action to be taken by Irrigation Department to

W/M

J

that no compensation would be done by the government for any loss arising out of damages due to floods and flood safety/relief measures will not be undertaken and the cost of damage will be recovered by those carrying out/having illegal constructions.

People should remove off illegal construction at their own will. Effective action would be taken against illegal constructors by the concerned development authorities/industrial development authorities and Nagar Palika Parishads under applicable provisions of the acts.

6. Effective action would be ensured by SSP/SPs of all districts through the Police Station Officers to check illegal constructions inside flood plain areas.

7. Strict compliance should be made for removing illegal constructions as soon they are done in flood plain areas that belong to Irrigation Department.

8. Strict, punitive action should be taken against officers/staff workers of concerned departments, after fixing their accountability, if they fail to take the expected action in the case of illegal constructions".

Despite the above Notification and the stand taken by the Authorities, NCT of Delhi and the State of Haryana, there has been mushrooming of unauthorized and illegal constructions on the flood plain zone. It is high time that these Authorities should discharge their statutory obligations in accordance with law and with greater sense of responsibility.

Despite the said Notification and specific directions issued to all the Authorities much less constructions have been stopped or/and demolished. On the contrary there has been rapid mushrooming of unauthorized and illegal constructions on the flood plain of river Yamuna.

In view of the above circumstances, we hereby issue *ad interim* injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent,

W/M-

X

and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones. Furthermore, they shall also state, if any of the Government Department had issued No Objection Certificate for such construction on flood plain of river Yamuna.

Complete details should be furnished along with the Reply to be filed the by respective Departments / Corporations and Authorities and by the Ministry of Water Resources.

We make it clear that the responsibility of carrying out the said directions shall be of Vice Chairman, Commissioners, Secretaries of the concerned Department and Deputy Commissioner of Police of those areas.

At the oral request of the learned counsel appearing for the parties, the Delhi Development Authority and East Municipal Corporation of Delhi are impleaded as Respondent No. 14 and 15 respectively.

The learned counsel appearing for the Applicant shall serve Dasti Notice to the said Authority and Corporation.

Similar order and injunction shall operate in regard to river Hindon as well.

List on 10th July, 2013.

.....,CP
(Swatanter Kumar)

.....,JM
(U.D. Salvi)

.....,EM

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

754

33

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-2

IN

COUNTER AFFIDAVIT
(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023
(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2
Others

.....RESPONDENTS

RM

AK

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2458]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3187(अ).—गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपशमन और जल का सतत पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के उपाय करने तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकारणों का गठन करना जरूरी है, जिससे गंगा नदी का पुनरुद्धार करके इसे इसकी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति में लाया जा सके।

जहां, गंगा नदी भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों से अद्वितीय महत्व की है जो इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देता है;

और जहां, गंगा नदी तेजी से हो रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण सीवेज, औद्योगिक बहिष्काव एवं अन्य प्रदूषकों के बढ़ने के कारण गंभीर स्थिति में है;

और जहां, प्रतिस्पर्धी मांग को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, अवसंरचना विकास में वृद्धि के कारण सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक उपयोग एवं जल विद्युत के लिए गंगा नदी के जल की मांग बढ़ रही है;

और जहां, अचिलंब निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है-----

(ए) व्यापक आयोजना एवं प्रबंधन के लिए इस अंतर्राज्यीय एवं अंतर्देशीय समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण में प्रभावी कमी तथा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना;

(बी) नदी की पूरी लंबाई के क्षेत्र में सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखना जिममे इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को पुनः स्थापित किया जा सके और यह स्वयं अपना पुनरुद्धार करने में सक्षम हो सके;

4791 GI/2016

(1)

(सी) गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना जहां उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं अथवा उद्योगों का वर्ग, प्रचालन अथवा प्रक्रियाएं नहीं की जाएंगी अथवा कुछ सुरक्षा उपायों के साथ की जाएंगी;

(डी) किसी भवन, संयंत्र, उपकरणों, मशीनों, निर्माण अथवा अन्य प्रक्रियाओं, सामग्री अथवा पदार्थों के निरीक्षण का प्रावधान करना और ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों तथा व्यक्तियों को गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देना जैसा कि यह आवश्यक समझे।

(ई) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से संबंधित अन्वेषण एवं अनुसंधान करना एवं प्रायोजित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने वाली संभावित निर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री तथा पदार्थों की जांच करना;

(एफ) गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित मामलों के संदर्भ में सूचना एकत्रित एवं प्रसारित करना और पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के संबंध में मैनुअल, कोड अथवा गाइड तैयार करना;

और जहां, गंगा के पुनरुद्धार के लिए समान रूप से उत्तरदायी होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर नदी संरक्षण क्रियाकलापों का समन्वय एवं कार्यान्वयन करना होगा और उनके राज्य में गंगा नदी के व्यापक प्रबंधन के लिए कदम उठाने होंगे;

और जहां, गंगा नदी में प्रदूषण को समाप्त करने और संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए इस आदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा प्राधिकरणों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना, वित्त पोषण, निगरानी और समन्वय की आवश्यकता होगी।

अब, इसलिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 तथा 4, 5, 9, 10, 11, 19, 20 और 23 की उपधारा (2) तथा (3) के अनुच्छेद (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) तथा (xiii) के साथ उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2539(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ), 30 सितंबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) और 8 फरवरी 2010 की का.आ. 287(अ) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण में 29 सितंबर 2014 की का.आ. संख्या 2539(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार एतद्वारा-

(i) ऐसी शक्तियों तथा कार्यों को करने के उद्देश्य से इस आदेश में उल्लिखित नामों से प्राधिकरण गठित करती है (उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति के साथ और इस आदेश में उल्लिखित मामलों के संदर्भ में उपाय करने के लिए);

(ii) केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण और इस आदेश के प्रावधानों के शर्ताधीन इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों को निर्देश देती है कि वे इस आदेश में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन अथवा उपाय करेंगे जैसे कि इन प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग करने, इन कार्यों का निष्पादन करने अथवा ऐसे उपाय करने का अधिकार दिया गया है;

(iii) यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत गंगा नदी और उससे जुड़े मामलों के संबंध में इसकी सभी शक्तियों एवं कार्यों (धारा 3 की उपधारा (3) के तहत किसी प्राधिकरण के गठन की शक्ति और उक्त अधिनियम की धारा 6 और 25 के तहत नियम बनाने को छोड़कर) का प्रयोग इस आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के शर्ताधीन इस आदेश द्वारा गठित प्राधिकरणों और इस आदेश में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा।

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ- (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. आदेश को लागू करने का क्षेत्र- यह आदेश गंगा नदी में प्रदूषण की प्रभावी कमी तथा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के उद्देश्य से गंगा नदी बेसिन वाले राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड,

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, पर लागू होगा, जैसा कि गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद निर्णय ले।

3. परिभाषाएं, यदि संदर्भ में अन्य रूप में अपेक्षित न हों-

(ए) "अधिनियम" का अर्थ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) होगा।

(बी) "वेसिन" का अर्थ क्षेत्र में मृदा, जल, वनस्पति तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित जल निकास अथवा जल मार्ग के संपूर्ण आवाह क्षेत्र से है और इसमें आवाह आधार पर भूमि, जल, वनस्पति एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं।

(सी) "बफर क्षेत्र" का अर्थ उस क्षेत्र से है जो नदी के बाढ़ मैदान से आगे है।

(डी) "आवाह" अथवा "आवाह क्षेत्र" में वह संपूर्ण भूमि क्षेत्र शामिल है जिसमें वर्षा, हिम अथवा बर्फ का अपवाह जल मार्ग के गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में मिलने अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल छोड़ने से पहले एक जल निकास अथवा जल मार्ग में गिरता है।

(ई) "व्यावसायिक मछली पालन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में नेट, जहर अथवा अन्य आधुनिक फिशिंग गैयर अथवा पद्धतियों द्वारा व्यावसायिक प्रयोजन से बड़े पैमाने पर मछली पालन से है।

(एफ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्र सरकार से है।

(जी) "वनकटाव" का अर्थ विशेष रूप से गंगा नदी के आवाह क्षेत्र में वन क्षेत्र में कमी, विशेषतौर पर मानवजनित क्रियाकलापों द्वारा अथवा वन के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए नियोजित रूप से इस हटाने को छोड़कर वन में पेड़ों अथवा वनस्पति को हटाने से है।

(एच) "अवक्रमित वन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास आवाह क्षेत्र में मूल वन क्षेत्र अथवा वनस्पति घनत्व में कमी वाले वन से है।

(आई) "निर्देश" का अर्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी निर्देश से है और "निर्देश देने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(जे) "जिला गंगा समिति" का आशय पैराग्राफ 53 में उल्लिखित जिला गंगा सुरक्षा समिति से है।

(के) "इंजीनियर्ड डायवर्जन" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल को नहरों अथवा अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं में अंतरित करने के लिए बनाई गई अथवा संस्थापित संरचना अथवा यंत्र से है।

(एल) "बाढ़ मैदान" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के ऐसे क्षेत्र से है जो इसके अधिकतम प्रवाह के संगत बाढ़ अथवा 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ के समान बाढ़ के कारण दोनों ओर जल के अंदर आ जाता है।

(एम) "घाट" का अर्थ गंगा अथवा इसकी उपनदियों के तट पर ढलान वाले भाग से है जिसमें कृत्रिम रूप से निर्मित सीढ़ियां और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के जल तक मानव की सरल पहुंच के लिए प्रयुक्त भूमि के ढलान वाले क्षेत्र शामिल हैं और धार्मिक अथवा अन्य संबंधित प्रयोजन से ऐसे भागों का प्रयोग शामिल है।

(एन) "स्थानीय प्राधिकरण" में पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर नियोजन प्राधिकरण अथवा जिला परिषद अथवा अन्य कोई निकाय अथवा प्राधिकरण, जिस भी नाम से जाना जाता हो, जिसे एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं देने हेतु अथवा नागरिक सेवाओं के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए कानून द्वारा मान्यता दी गई हो।

(ओ) "राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन" का अर्थ पैराग्राफ 31 में उल्लिखित प्राधिकरण है।

(पी) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है और "अधिसूचित करने" का अर्थ इसी के अनुसार होगा।

(क्यू) "प्रदूषित पदार्थ" में ठोस अपशिष्ट शामिल होगा जिसमें पशुओं के शव, रसोई अथवा अस्तबल का अपशिष्ट, गोबर, कचरा, मड़ी हुई अथवा दुर्गंधयुक्त सामग्री और किसी भी प्रकार की गंदगी शामिल है जो सीवेज में नहीं आती।

(आर) "व्यक्ति" में निम्नलिखित शामिल हैं-

- (i) एक व्यक्ति अथवा समूह अथवा व्यक्तियों का संघ शामिल किया गया हो अथवा नहीं;
- (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत स्थापित कंपनी;
- (iii) किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कोई निगम;
- (iv) एक स्थानीय प्राधिकरण;
- (v) उपर्युक्त उपखंडों में से किसी में भी न आने वाला प्रत्येक न्यायिक व्यक्ति।

(एस) "नदी तल" का अर्थ गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के क्षेत्र के सूखे हिस्से से है और इसमें वह स्थान शामिल है जहां गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियां बहती हैं जब वे जल से भर जाती हैं और गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के किनारे स्थित भूमि शामिल है जो जल का सर्वाधिक प्रवाह होने पर अपने प्राकृतिक चैनल में जल को बनाए रखती है।

(टी) "नदी तल खेती" में जल के कम प्रवाह के समय गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के नदी तल पर मौसमी कृषि अथवा खेती से है।

(यू) "गंगा नदी" धारा का अर्थ उत्तराखंड राज्य में 6 प्रमुख धाराओं की संपूर्ण लंबाई अर्थात् अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी से है जो अपने मूल ग्लेशियर से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रूद्र प्रयाग और देव प्रयाग में उनके संबंधित संगम तक है और नदी की मुख्य धारा भी इसमें शामिल है और उसके बाद प्रयागराज सहित गंगा सागर तक और इसकी सभी उपनदियां शामिल हैं।

(वी) "कूड़ा करकट" का अर्थ राख, टूटी हुई ईंटों, गारे, टूटे हुए कांच, धूल अथवा किसी प्रकार के अपशिष्ट और गंदगी से है।

(डब्ल्यू) "मिट्टी के खनन" का अर्थ सूखे चैनल बेल्ट, वाड मैदान अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के भाग से नदी में बड़े पैमाने पर मिट्टी को हटाने से है।

(एक्स) "सीवेज अपशिष्ट" का अर्थ किसी सीवेज प्रणाली अथवा सीवेज निपटान कार्य के बहिष्कार से है और इसमें खुले नालों का सीवेज शामिल है।

(वाई) "सीवेज स्कीम" का अर्थ ऐसी स्कीम से है जो एक स्थानीय प्राधिकरण भूमिगत बंद सीवर के माध्यम से जल को फ्लश करके सीवेज हटाने की प्रक्रिया शुरू करें।

(जेड) "अनुसूची" का अर्थ इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची है।

(जेडए) "विनिर्दिष्ट जिले" का अर्थ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ऐसे अन्य राज्य जिनमें इस आदेश में उल्लिखित गंगा नदी की प्रमुख उपनदियां स्थित हैं, में गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के 15 किमी, के क्षेत्र में गंगा नदी के आस-पास स्थित प्रत्येक जिले के क्षेत्र से है।

(जेडबी) "राज्य गंगा समिति" का अर्थ पैरा 2 में उल्लिखित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिए इस आदेश के तहत गठित राज्य गंगा संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति से है।

(जेडसी) राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का अर्थ प्रत्येक राज्य में अधिनियम के तहत पूर्व गठित प्राधिकरण से है अर्थात्:-

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 8 फरवरी, 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.जा. 287(अ) द्वारा गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2495(अ) द्वारा गठित झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।

- (iii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) द्वारा गठित उत्तराखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।
- (iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2493(अ) द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।
- (v) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में दिनांक 30 सितंबर, 2009 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2494(अ) द्वारा गठित पश्चिम बंगाल राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण।
- (जेडडी) "धारा" में नदी, जल मार्ग (प्रवाहित हो रहे हों अथवा कुछ समय के लिए सूखे हों), अंतर्देशीय जल (प्राकृतिक अथवा कृत्रिम) और उपक्षेत्र जल शामिल है।
- (जेडडी) "गंगा नदी की उपनदियों" का अर्थ उन नदियों अथवा धाराओं से है जो गंगा नदी में प्रवाहित होती हैं और इनमें यमुना नदी, सोन नदी, महानंदा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और महाकाली नदी तथा उनकी उपनदियां अथवा ऐसी अन्य नदियां जिन्हें राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन परिषद इस आदेश के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट करे, शामिल हैं।
2. इस आदेश में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं पदों का अर्थ यदि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाषित किया गया है तो उनका अर्थ वही समझा जाएगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है।
4. गंगा नदी की सुरक्षा, प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए उपाय करने हेतु अपनाए जाने वाले सिद्धांत- (1) गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उपाय करने हेतु निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जाएंगे अर्थात्:-
- (i) गंगा नदी को एक एकल प्रणाली के रूप में प्रबंधित किया जाएगा;
 - (ii) गंगा नदी के जल की रासायनिक, भौतिक एवं जीव विज्ञानीय गुणवत्ता को पुनःस्थापित करने एवं इस बनाए रखने का कार्य समयबद्ध ढंग से किया जाएगा;
 - (iii) गंगा नदी को पारिस्थितिकीय ढंग से सतत पद्धति में प्रबंधित किया जाएगा;
 - (iv) गंगा नदी में प्राकृतिक मौसमी विविधता में परिवर्तन किए बिना नदी में प्रवाह बनाए रखा जाएगा;
 - (v) गंगा नदी के देशान्तरीय, लेटरल तथा ऊर्ध्वाधर आयाम (कनेक्टिविटी) नदी प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में शामिल किए जाएंगे;
 - (vi) सतही प्रवाह तथा उपसतही जल (भूजल) के बीच समग्र संबंध को पुनःस्थापित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;
 - (vii) आवाह क्षेत्र में खोई प्राकृतिक वनस्पति को पुनः सृजित किया जाएगा एवं बनाए रखा जाएगा;
 - (viii) गंगा नदी बेसिन में जलीय एवं तटीय जैव-विविधता को पुनः सृजित एवं संरक्षित किया जाएगा;
 - (ix) प्रदूषण के स्रोत, दबाव को कम करने और इसके प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण विशेषताओं को बनाए रखने के लिए गंगा नदी के तट और इसके बाढ़ मैदान को निर्माण मुक्त जोन बनाया जाएगा;
 - (x) संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन में जनता की भागीदारी, किमी विनियम, मानक में संशोधन करना एवं लागू करने, संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए बहुस्राव न्यूनीकरण योजना अथवा कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाए और गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन की प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा;
- (2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन देश के लोगों की आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में उन्नयन तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय संयुक्त संस्तुति की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए उपपैरा (1) के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अतिरिक्त सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकता है।
5. गंगा नदी में जल का पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाए रखा जाए- (1) प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि पैरा के उप पैरा (iv) में दिए गए अनुसार गंगा नदी में हर समय जल का अबाधित प्रवाह बनाए रखा जाए।

Wm
11

6

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

(2) प्रत्येक राज्य सरकार भी गंगा नदी में इसकी पारिस्थितिकीय समग्रता को बनाए रखने के लिए विभिन्न मौसम में जल का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखने के प्रयास करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध ढंग से उचित कार्रवाई करेंगे।

(3) इस पैरा के प्रयोजन से जल के औसत प्रवाह का निर्धारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी पर विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर विनिर्दिष्ट जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों द्वारा किया जाएगा।

वशत कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी पर विभिन्न बिन्दुओं के लिए नदी में जल का औसत प्रवाह निर्धारित किया जाए।

6. गंगा नदी और उसकी उप नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाना

(1) कोई व्यक्ति गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इसके तटों पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अशोधित अथवा शोधित सीवेज अथवा सीवेज कीचड़ नहीं डालेगा;

वशत कि जहाँ किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख की सीवेज अथवा कीचड़ के एकत्रण, भंडारण, ले जाने और निपटान के लिए सीवेज स्कीम अथवा अवसंरचना नहीं है अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख तक ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हों, ऐसा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्र में सीवेज के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए ऐसी अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(2) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों अथवा इनके तटों पर अशोधित अथवा शोधित व्यावसायिक वहिस्त्राव, औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ेगा;

वशत यह भी कि जहाँ किसी उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के पास इस आदेश के लागू होने की तारीख को औद्योगिक वहिस्त्राव शोधन स्कीम अथवा अवसंरचना न हो अथवा गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के आस-पास के क्षेत्र में उपर्युक्त तारीख को ऐसी अवसंरचना प्रचालन में न हो, ऐसा प्रत्येक उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन उद्योग अथवा औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में इस आदेश के लागू होने की तारीख से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में व्यावसायिक वहिस्त्राव, औद्योगिक अपशिष्ट के एकत्रण, भंडारण, ले जाने एवं निपटान के लिए अवसंरचना विकसित करेगा अथवा ऐसी अवसंरचना प्रचालन में लाएगा।

(3) कोई व्यक्ति गंगा नदी में अथवा गंगा नदी या इसकी उपनदियों के तट अथवा इनके सक्रिय बाढ़ मैदानी क्षेत्र में आवासीय अथवा वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य किसी प्रयोजन से स्थायी अथवा अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

वशत कि, अपवाद की स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा पारंपरिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के लिए राज्य गंगा समिति और जिला गंगा समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की पूर्व अनुमति से अस्थायी संरचनाएं बनायी जा सकती हैं;

वशत यह भी कि इस आदेश के लागू होने से पहले गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों के तट अथवा सक्रिय बाढ़ मैदान में यदि कोई ऐसी संरचना बनाई गई है तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ऐसी संरचनाओं की समीक्षा करेगा ताकि यह जांच की जा सके कि ऐसी संरचनाएं गंगा नदी अथवा इसकी उपनदियों में जल के सतत प्रवाह को बाधित नहीं कर रही अथवा नदी में प्रदूषण नहीं फैला रही और यदि ऐसा है तो यह उन्हें हटाने की कार्रवाई कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्रियाकलाप अथवा किसी परियोजना अथवा प्रक्रिया अथवा क्रियाकलाप नहीं करेगा अथवा जारी रखेगा। जिससे गंगा नदी में प्रदूषण हो, चाहे यह क्रियाकलाप इस आदेश में उल्लिखित हो या न हो।

(5) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति, स्थानीय प्राधिकरण और सभी अन्य प्राधिकरण तथा व्यक्ति गंगा नदी और इसकी उपनदियों के आस-पास के प्रत्येक गांव/नगर, शहर तथा अन्य क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में रिपोर्टों में दी गई सूचना तथा उपर्युक्त उपायों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार करेंगे तथा जनता के ध्यान में लाएंगे।

7. गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के प्रदूषण के मामले में आपातकालीन उपाय- किसी दुर्घटना अथवा अनदेखे कार्य अथवा घटना के कारण गंगा नदी में कोई भी विपैला हानिकारक अथवा प्रदूषक कारक पाया जाता है अथवा प्रवेश किया है, और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करनी होगी अथवा

W.M.

विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम द्वारा ऐसे कार्यों को करने हेतु निर्देश दिया जाएगा, चूंकि इसे निम्नलिखित सभी अथवा किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक समझा जाए। अर्थात्

(क) प्रदूषक की उपस्थिति के कारण किसी प्रदूषण के उपशमन अथवा निपटान के लिए इस ढंग से जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, गंगा नदी से प्रदूषक सामग्री को हटाने की पद्धति और निपटाना के साथ साथ ऐसे कार्यों को करने के लिए यथा उपयुक्त मगझा जाता है।

(ख) गंगा नदी में किसी भी विप्लवे, हानिकारक अथवा प्रदूषक सामग्री को छोड़ने से किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा संबंधित अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम को नियंत्रित करने अथवा निषेध करने संबंधी निर्देश जारी करना।

(ग) इस प्रकार की आपातकालीन समस्या के समाधान के लिए कोई अतिरिक्त कार्य अथवा कार्य पद्धति शुरू करना जैसा भी आवश्यक हो।

8. निर्देश जारी करने की शक्ति- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, इस आदेश के तहत अपनी शक्तियों और निष्पादन अथवा अपने कार्य पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है, जिसे प्रदूषण का निवारण और गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक समझा जाए। संबंधित प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्ति को लिखित में अधिनियम के तहत ऐसे निर्देश जारी करना और वे ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

व्याख्या- संदेह के निवारण के लिए एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि इस धारा के तहत निर्देश जारी करने की शक्ति शामिल की जाती है लेकिन निर्देश देने की शक्ति को सीमित नहीं किया जाता है-

(क) किसी उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रिया को बंद करना, निषेध अथवा विनियमन; अथवा

(ख) विद्युत अथवा जल की आपूर्ति अथवा अन्य किसी सेवा को रोकना अथवा विनियमन

(ग) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम अथवा बनाए गए नियम अथवा इसके तहत जारी निर्देशों के विरोधी किसी कार्य को रोकना अथवा बंद करना।

(घ) इस आदेश अथवा उल्लिखित अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन

9. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा- प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिला गंगा समिति वार्षिक समय-ढांचा के भीतर और ऐसे जिला के लिए गंगा नदी के क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रोटोकॉल के अनुसार गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षाओं द्वारा गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी और विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस संबंध में शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित इस सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करेगी, जिस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी, यदि आवश्यक हो।

10. गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी किया जाना- (1) गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वयं अथवा उपग्रह के चित्रों तथा अन्य दूरसंचाली प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा विभिन्न राज्य और केन्द्र सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले आवधिक आधार पर वास्तविक केन्द्रों, ऑनलाइन निगरानी और स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से निर्देशों द्वारा की जाएगी।

(2) उप-पैराग्राफ के प्रावधानों के बावजूद (1) केन्द्र सरकार गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में ऊपर उल्लिखित प्रदूषण की निगरानी के लिए किसी अन्य तकनीक अथवा पद्धति, जिसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जा सके, को अपनाकर गंगा तथा इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी के कार्य को किसी अन्य अभिकरण अथवा निकाय अथवा सीधे, प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के उद्देश्य से, सौंप सकती है।

11. गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का गठन - इस आदेश को लागू करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा, प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद के नाम से (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् राष्ट्रीय गंगा परिषद कहा जाएगा) एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

8 APR

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

12. राष्ट्रीय गंगा परिषद की संरचना- राष्ट्रीय गंगा परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः-	
(क) प्रधानमंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री	सदस्य, पदेन
(घ) केन्द्रीय वित्त मंत्री	सदस्य, पदेन
(ङ) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(च) केन्द्रीय विद्युत मंत्री	सदस्य, पदेन
(छ) केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	सदस्य, पदेन
(ज) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य, पदेन
(झ) केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री	सदस्य, पदेन
(ञ) केन्द्रीय पोत परिवहन मंत्री	सदस्य, पदेन
(ट) केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री	सदस्य, पदेन
(ठ) उपाध्यक्ष, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(ड) मुख्यमंत्री, बिहार	सदस्य, पदेन
(ढ) मुख्यमंत्री, झारखंड	सदस्य, पदेन
(ण) मुख्यमंत्री, उत्तराखंड	सदस्य, पदेन
(त) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	सदस्य, पदेन
(थ) मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य, पदेन
(द) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय-	सदस्य, पदेन
(ध) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव, पदेन

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद सदस्य के रूप में राष्ट्रीय गंगा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले ऐसे राज्य के एक अथवा एक से अधिक मुख्यमंत्रियों को शामिल कर सकती है जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिससे गंगा नदी के जल की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना है।

(3) राष्ट्रीय गंगा परिषद यदि आवश्यक समझे तो एक अथवा अधिक केन्द्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर सकती है।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद नदी संरक्षण, नदी पारिस्थितिकी और नदी प्रबंधन, जल विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ संगठनों अथवा संस्थानों के साथ परामर्श कर सकती है।

(5) राष्ट्रीय गंगा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा, जैसा निर्धारित किया जाए।

(6) राष्ट्रीय गंगा परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में होगा।

(7) केन्द्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

13. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का विघटन- (1) पैराग्राफ 11 में राष्ट्रीय गंगा परिषद के गठन की तिथि को और से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना का.आ. 2539(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के द्वारा गठित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को विघटित माना जाएगा।

Wm-14

(2) विघटन से पहले राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण द्वारा किए गए अथवा छोड़े गए सभी कार्य अथवा शुरू की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई अथवा खर्च किए जाने हेतु प्राधिकृत किसी राशि को इस आदेश के समान प्रावधानों के तहत किया हुआ अथवा शुरू किया जाना माना जाएगा।

14. गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य राष्ट्रीय गंगा परिषद को सौंपना- गंगा नदी के पर्यवेक्षण, निर्देशन, विकास और नियंत्रण तथा गंगा नदी में पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण, रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए संपूर्ण नदी बेसिन (विन्तीय एवं प्रशासनिक मामलों सहित) तथा इसकी प्राकृतिक और मूल स्थिति का संरक्षण नदी में जल के पर्याप्त बहाव की निरंतरता और इसके साथ जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद, इस आदेश में शामिल किसी भी चीज के बावजूद, संपूर्ण रूप से जिम्मेदार मानी जाएगी।

15. राष्ट्रीय गंगा परिषद का क्षेत्राधिकार- गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद का क्षेत्राधिकार पैराग्राफ 2 में दिए गए क्षेत्र तक होगा।

16. गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय परिषद की बैठक-

(1) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपनी बैठकों सहित अपने कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) राष्ट्रीय गंगा परिषद के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और इसके कार्यव्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

(3) उपाध्यक्ष के पास अगली बैठक में संपुष्टि के शर्ताधीन परिषद की दो बैठकों के आयोजन के बीच में परिषद के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद के लिए आवश्यक निर्णय लेने की शक्ति होगी।

(4) राष्ट्रीय गंगा परिषद अपने विवेक से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक अथवा अधिक बैठकें आयोजित कर सकती है।

17. प्राधिकरण के रूप में गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन- (1) इस आदेश को जारी करने की तिथि से अधिनियम के उद्देश्यों तथा इस आदेश और उल्लिखित अधिनियम के तहत यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने तथा कार्यों को करने के लिए गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

2 गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल में निम्नलिखित शामिल हैं, नामतः-

(क) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री	अध्यक्ष, पदेन
(ख) केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष, पदेन
(ग) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सदस्य, पदेन	
(घ) सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य, पदेन
(ङ) सीईओ, नीति आयोग	सदस्य, पदेन
(च) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य	सदस्य, पदेन
(छ) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य	सदस्य, पदेन
(ज) मुख्य सचिव, बिहार राज्य	सदस्य, पदेन
(झ) मुख्य सचिव, झारखण्ड राज्य	सदस्य, पदेन
(ञ) मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य	सदस्य, पदेन
(ट) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य, सचिव

(3) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक अथवा एक से अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों अथवा संबंधित अन्य किसी राज्य के मुख्य सचिव को सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है, यदि आवश्यक समझा जाए।

(4) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल अपने विवेकानुसार कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक अथवा इससे अधिक बैठकें आयोजित करेगा।

(5) केन्द्र सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में गंगा संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी और यह मंत्रालय ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने के उद्देश्य हेतु नोडल मंत्रालय होगा।

(18) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियां-

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों में समन्वय करेगा और सलाह देगा।

(2) खासकर और उप-पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल के कार्य और शक्तियों में गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के संबंध में उपायों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात्-

(क) यह सुनिश्चित करना कि संबंधित मंत्रालय, विभागों और राज्य सरकारों के पास-

(i) गंगा नदी के संरक्षण और परिरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खास गतिविधियों, उद्देश्यों और समयबद्धता सहित एक कार्य योजना है।

(ii) इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक तंत्र है।

(ख) समयबद्ध आधार पर इसकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय।

(ग) कार्यान्वयन प्रक्रिया की निगरानी, बाधाओं को दूर करना, शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुझाव और निर्णय लेना।

(घ) घरेलू और विदेशी सहायता के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाओं सहित नमामि गंगे

(ङ) गंगा नदी के संरक्षण और संरक्षा तथा प्रबंधन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक समझे गए ऐसे अन्य कार्यों को करना अथवा यथा आवश्यक समझी गई शक्तियों का प्रयोग करना अथवा केन्द्र सरकार द्वारा सौंपा गया हो अथवा राष्ट्रीय गंगा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को करना।

19. एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की परियोजनाओं के लिए अनुमोदन

(1) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, एक हजार करोड़ रूपए के मूल्य से अधिक की प्रत्येक परियोजना के अनुमोदन हेतु जिम्मेवार होगा, समय-समय पर यथा संशोधित।

(2) गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल उप-पैराग्राफ (1) के उद्देश्य हेतु इनके सदस्यों के बीच एक अधिकारियों की उप-समिति गठन कर सकता है।

20. विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण संरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का प्राधिकरणों के रूप में गठन तथा इनका संघटन- इस आदेश के लागू होने की तारीख से पैरा 2 में दिए गए अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य गंगा संरक्षण, संरक्षा एवं प्रबंधन समिति नामक एक प्राधिकरण गठित किया जाएगा। जिसमें इस आदेश तथा अधिनियम विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुमूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार एक अध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

21. राज्य गंगा समिति की बैठकें- (1) प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी बैठकों सहित अपने कार्यों को करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन कर सकती है।

(2) प्रत्येक राज्य गंगा समिति 3 महीने की अवधि में कम से कम अपनी एक बैठक करेगी।

W.M. J

(3) विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के अध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उल्लिखित समिति अपना उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जो विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और इसके कार्य व्यवहार को आगे बढ़ाएंगे।

22. समिति का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण- गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में संरक्षण, संरक्षा पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण एवं कमी लाने के उद्देश्य से इस आदेश में किए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद जिला गंगा समितियों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य गंगा समिति के पास होगा जिससे गंगा नदी प्राकृतिक एवं मूल स्थिति का संरक्षण किया जा सके और संबंधित राज्यों में गंगा नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए गंगानदी में जल का सतत एवं पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

23. राज्य समिति के निर्णय बाध्यकारी होंगे-- विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति की बैठकों में लिए गए निर्णय इस आदेश में निहित किसी भी मामले के बावजूद प्रत्येक जिला गंगा समिति और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा वॉर्ड अथवा ऐसे निर्णय में संदर्भित व्यक्ति पर लागू होंगे और वे राज्य गंगा समिति के निर्णयों का अनुपालन करेंगे।

24. राज्य गंगा समितियों के अधिकार, कर्तव्य और कार्य- (1) प्रत्येक राज्य गंगा समिति को इस अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा उसके तहत जारी निर्देशों तथा इस आदेश के प्रावधानों में निर्धारित नियमों के शर्ताधीन पैरा 6, 7 और 8 में उल्लिखित उपायों सहित ऐसे सभी उपायों जो वह गंगा नदी में प्रभावी प्रदूषण निवारण और नदी के संरक्षण हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यक अथवा अनिवार्य समझे, को करने का अधिकार होगा।

(2) राज्य गंगा समिति राष्ट्रीय गंगा परिषद और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित करेगी।

(3) विशेषकर और उप-पैरा (1) और (2) के प्रावधानों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना इन उपायों में निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से कोई मामला शामिल किया जा सकता है अर्थात्:-

(क) सीचरेज अवमंरचना के संवर्धन, आवाह क्षेत्र सुधार, वाइ मैदानों की सुरक्षा, जन जागरूकता फैलाने तथा राज्य स्तरीय अन्य उपायों और गंगा नदी में उसकी जल गुणवत्ता बरकरार करने के लिए उसमें प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और कम करने सहित गंगा नदी के संरक्षण संबंधी कार्यों का समन्वय और कार्यान्वयन, तथा नदी इकोलॉजी और संबंधित राज्य में प्रबंधन संबंधी अन्य उपाय करना;

(ख) संबंधित राज्य में नदी बेसिन प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

(ग) संबंधित राज्य में गंगा नदी में न्यूनतम इकोलॉजी प्रवाह को बरकरार रखना और तत्संबंधी कार्य।

(घ) इस आदेश के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत प्रवेश एवं निरीक्षण तथा धारा 11 के अंतर्गत नमूना लेने का अधिकार;

(4) राज्य गंगा समिति को पैरा 7 में रेखांकित मुद्दों पर निर्देश देने का अधिकार होगा।

(5) राज्य गंगा समिति को पैरा समिति को अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्देश देने का अधिकार होगा।

(6) राज्य गंगा समिति के अधिकार और कार्य अधिनियम, के प्रावधानों के अनुरूप न होते पर, किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सौंपे गए किसी अधिकार के पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे।

25. जिला गंगा समितियों की योजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन की निगरानी- प्रत्येक विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अपनी सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों तथा अन्य प्राधिकारियों की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करेगी और तत्संबंधी प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपेगी।

26. सभी जिला गंगा समितियों की समेकित रिपोर्टें तैयार करना और तत्संबंधी सुधारात्मक उपाय करना— (1) प्रत्येक राज्य गंगा समिति सभी जिला गंगा सुरक्षा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरणों अथवा बोर्डों अथवा निगम अथवा व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक तिमाही की समेकित रिपोर्टें तैयार करेगी जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सीमा में आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले का उल्लेख होगा।
- (क) उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के विषय में कोई अन्य कार्य;
- (ख) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता तथा तत्संबंधी सुधारात्मक कार्रवाई;
- (ग) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी में प्रवाह में कोई अवरोध तथा तत्संबंधी कारण;
- (घ) जिला गंगा समिति अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकारियों को की गई शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपाय;
- (ङ) प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा सुरक्षा लेखापरीक्षा द्वारा की गई कोई प्रतिफल रिपोर्ट;
- (च) गंगा नदी उसकी सहायक नदियों की दशा के संबंध में कोई अन्य सूचना।
- (2) उप-पैरा (1) में उल्लिखित रिपोर्टें तत्संबंधी सुधारात्मक उपायों सहित वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सौंपी जाएगी।
27. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा का आयोजन और राज्य समितियों द्वारा ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत करना— (1) राज्य गंगा समितियों का यह कर्तव्य होगा कि वे जिला गंगा सुरक्षा समितियों द्वारा गंगा लेखा परीक्षा की रिपोर्टें तत्संबंधी की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्रस्तुत करें तथा उसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध भी कराएं और अपनी वेबसाइट पर भी दर्शाएं।
- (2) गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा में वे विवरण शामिल किए जाएंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनिर्दिष्ट अंतरालों (इस आदेश में उल्लिखित अन्यथा सुरक्षित) पर यथा निर्धारित ढंग से लेखा परीक्षा की जाएगी।
28. राज्य गंगा समिति का नोडल अभिकरण होना— राज्य गंगा समिति, राज्य में इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के प्रभावी निवारण तथा नदी का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए राज्य व्यापी नोडल अभिकरण होगी।
29. राष्ट्रीय गंगा परिपद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निर्देश राज्य गंगा समिति पर बाध्यकारी होंगे— प्रत्येक राज्य गंगा समिति इस आदेश के प्रावधानों को अनदेखा करने के पूर्वाग्रह के बिना इस आदेश के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा कार्यों का निष्पादन करते समय वह ऐसे निर्णयों अथवा निर्देशों (तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित होने वाले निर्देशों सहित) जो राष्ट्रीय परिपद तथा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन समय-समय पर गंगा नदी में प्रदूषण निवारण तथा उसके संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए उसे लिखित में दिए जाएं, का पालन करेगी।
30. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों और राज्य कार्यकारी समितियों का विघटन— (1) राज्य गंगा समितियों के गठन की तारीख से, इस आदेश के लागू होने से पहले गठित संबंधित गठित संबंधित राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरणों के साथ-साथ राज्य कार्यकारी समितियों को विघटित हो गया माना जाएगा।
- (2) ऐसे विघटन से पहले, उप-पैराग्राफ (1) के अंतर्गत प्राधिकरणों और समितियों द्वारा किए गए अथवा हटा दिए जाने वाले सभी कार्यों अथवा की गई कार्रवाई अथवा खर्च की गई राशि अथवा खर्च के लिए प्राधिकृत राशि को निष्पादन कर लिया माना जाएगा अथवा इस आदेश के संगत प्रावधानों के तहत ले लिया गया माना जाएगा।
31. एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन— (1) इस आदेश के लागू होने के तारीखसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत एक सोसाइटी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम के उद्देश्य से और इस आदेश तथा अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का निष्पादन के करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत इसी नाम से गठित एक प्राधिकरण होगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन पैरा 35 में दिए गए अनुसार होगा।

32. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रचालन का क्षेत्र पैराग्राफ 2 में रूपरेखा दिया गया क्षेत्र होगा।

33. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नोडल एजेंसी होगा --- इस आदेश के प्रावधानों के राष्ट्र व्यापी कार्यान्वयन तथा प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और गंगा नदी तथा उसकी उप-नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक नोडल एजेंसी होगा।

34. एक अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन दो स्तरीय प्रबंधन के साथ एक अधिकार प्राप्त संगठन होगा जिसके पास इस आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रशासनिक, मूल्यांकन एवं अनुमोदन की शक्तियां होंगी और कर्तव्य कार्य तथा शक्तियां होंगी।

35. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का संघटन:- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वितीय निगरानी संरचना होगी और इसमें सर्वनिग परिषद और कार्यकारी समितियां शामिल होंगी

(1) सर्वनिग परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामतः-

(क)	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महा निदेशक	अध्यक्ष पदेन
(ख)	संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ग)	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	सदस्य पदेन
(घ)	संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य पदेन
(ङ)	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग	सदस्य पदेन
(च)	नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर से कम कम न हो)	सदस्य पदेन
(छ)	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य पदेन
(ज)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, बिहार सरकार	सदस्य पदेन
(झ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, झारखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ञ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य पदेन
(ट)	प्रधान सचिव, पेयजल, उत्तराखंड सरकार	सदस्य पदेन
(ठ)	प्रधान सचिव, शहरी विकास, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य पदेन
(ड)	एकजीक्यूटिव ऑफिसर (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ढ)	एकजीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(ण)	एकजीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(त)	एकजीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजना), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य पदेन
(थ)	एकजीक्यूटिव डायरेक्टर (प्रशासन), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	सदस्य-सचिव

(2) सर्वनिग परिषद में से गठित की गई कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे नामतः-

(क) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन-अध्यक्ष पदेन

(ख) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग-सदस्य पदेन

- (ग) नीति आयोग के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के स्तर का) -सदस्य पदेन
- (घ) संबंधित राज्य (राज्यों) के प्रधान सचिव-सदस्य पदेन
- (ङ) ऐक्जीक्यूटिव अधिकारी (डिप्टी डीजी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - सदस्य पदेन
- (च) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (वित्त) -सदस्य पदेन
- (छ) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (तकनीकी) -सदस्य पदेन
- (ज) ऐक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (परियोजनाएं) -सदस्य पदेन
- (3) महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यदि आवश्यक समझते हैं तो कार्यकारी समिति, गवर्निंग परिषद के अन्य कोई सदस्य के साथ काम कर सकते हैं।
- (4) गवर्निंग परिषद अपने सदस्यों में से एक उप-समिति का गठन कर सकती है और परियोजना के मूल्यांकन हेतु कुछ तकनीकी विशेषज्ञों के साथ भी कार्य कर सकते हैं।
- (5) संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि उप-समिति के सदस्य होंगे।
- (6) गवर्निंग काउंसिल के पास आधे सदस्यों का वोट होना चाहिए।
36. (1) 1000 करोड़ रुपये तक के सभी अनुमोदन इसी में निहित होंगे। इसके बचले में इसी तीन महीने में कम से कम एक बार जीसी को रिपोर्ट करेंगे।
- (2) तकनीकी विशेषज्ञों/या मान्यता प्राप्त संस्थाना या भारतीय तकनीकी संस्थानों के कंसल्टिंग द्वारा परियोजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात जीसी की उप समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी।
- (3) तृतीय पक्ष, तकनीकी मूल्यांकन उनके मूल्य को ध्यान में न रखते हुए सभी परियोजनाओं के लिए होगा।
37. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति
- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। महानिदेशक का पद भारत सरकार के अपर सचिव अथवा सचिव के समकक्ष होगा। नियुक्ति की शर्तें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- (2) कार्यकारी निदेशक, वित्त की नियुक्ति निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र सरकार की संगठित लेखा सेवाओं के अधिकारियों में से की जाएगी जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष होगा।
- (3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में प्रशासन और परियोजनाओं के लिए अलग-अलग कार्यकारी निदेशक का काम से काम एक पद होगा जिसका ओहदा भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष।
- (4) कार्यकारी निदेशकों में से एक को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उप महानिदेशक के रूप में पदनामित किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- (5) कार्यकारी समिति को कोई भी मनोनीत सदस्य का स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव की श्रेणी से कम नहीं होगा।
38. (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कर्तव्य : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-
- (i) इस आदेश के पैराग्राफ 5 में दिए गए सिद्धांतों और उसमें दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करना,
- (ii) राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों और निदेशों का अनुपालन करना और इसके द्वारा अनुमोदित गंगा बेसिन प्रबंधन योजना का राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्देशानुसार कार्यान्वयन करना,
- (iii) समयबद्ध तरीके से नदी गंगा परिषद के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए सभी कार्यकलापों को समन्वित करना।
- (iv) सभी अन्य कार्य करना अथवा कुछ कार्य नही करना जो गंगा नदी और इसकी उप नदियों के पुनरूद्धार और संरक्षण के लिए आवश्यक हों।

39. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य..... (1) इस आदेश के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित की पहचान करेगी अथवा पहचान का कारण बनेगी।

(क) सीबरेज और औद्योगिक अपशिष्ट, शवों को जलाने और गाड़ने तथा पशुओं के अवशेषों के निपटान और वाणिज्यिक, मनोरंजन और धार्मिक कार्यकलापों से खतरे सहित गंगा और उसकी उप नदियों के पास जिले के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी के लिए विशिष्ट खतरे।

(ख) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे सभी जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में प्रत्येक गांव में ऐसे खतरों का सामना करने के लिए अपेक्षित उपायों के प्रकार।

(ग) वे विशिष्ट क्षेत्र जहां गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए ऐसे उपचारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(घ) वे उपाय, जो शोधित जल के पुनः उपयोग के लिए आवश्यक होंगे तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों जैसे रेलवे, पावर और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि राज्य सरकारों, केन्द्र और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और सभी अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन करना, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सही समझे।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के पास ऐसे विनिर्दिष्ट जिलों के प्रत्येक गांव और कस्बे में गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और संरक्षा के लिए अन्य वस्तुओं में लागत, समयबद्धता और उत्तरदायित्वों के आवंटन के साथ गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना बनाएगा अथवा बनाने का कारण, बनेगा और इसके लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा :-

(क) जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण रूप से स्थायी संरक्षण, गंगा नदी और उसकी उप-नदियों का संरक्षण और प्रबंधन और इसे अधिसूचित करना तथा पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी उपायों को लेने अथवा निर्देशित करने के लिए सभी समयों पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विदुओं पर रखे जाने के लिए अपेक्षित गंगा नदी और उसकी उप-नदियों में पारिस्थितिकीय प्रवाह और परिणाम के निर्धारण का कारण बनेगा।

(ख) ऐसे स्थानों को पहचानने का कारण बनना; जहां गंगा नदी के जल के पर्यावरणीय प्रवाह को आशोधित किया गया है तथा इसके मुद्धार के लिए उपाय करना ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए जल के सतत प्रवाह को बनाए रखा जा सके।

(ग) जल के इंजीनियर्ड डाइवर्जन अथवा जल के भंडारण अथवा किसी अन्य साधन के कारण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के अंतराल के स्थान पहचानना और इनके संबंध में योजनाएं लागू करना अथवा इसके लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना।

(घ) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में जल के प्रवाह और प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करने के लिए एक प्रणाली तैयार करना।

(ङ.) ऐसे सभी उपाय करना, जो राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक हों ताकि गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में पर्याप्त पारिस्थितिकीय प्रवाह बनाये रखा जा सके।

(च) राज्य सरकारों, विशिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा किसी व्यक्ति अथवा निकाय, किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निगम को प्रदूषण के उपशमन और संरक्षण गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने अथवा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किमी एग्रेसी द्वारा महायत्ता प्रदान करना अथवा सहायता का कारण बनना।

W.M.

J

(द) प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के संबंध में ज्ञान आधार तथा विशेषज्ञतात्मक उपकरणों के शोध, विकास और प्रसार के लिए एक या अधिक मौजूदा केंद्रों की स्थापना करना या स्थापना को सुकर बनाना अथवा नामोद्दिष्ट और निर्देशित करना।

(ज) कोई अन्य उपाय करना, जो जल के सतत प्रवाह और गंगा और इसकी उप-नदियों में प्रदूषण के उपशमन के लिए आवश्यक हो।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पैराग्राफ 7 में बताए गए सभी ऐसे अन्य आपात उपाय करेगा।

40. गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के किनारे किसी उपयुक्त स्थान पर गंगा नदी मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना----- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी बेसिन से स्थानों को पहचानेगा अथवा ऐसे स्थानों पर स्थापना करेगा अथवा किसी मौजूदा प्रयोगशाला अथवा केन्द्र अथवा संस्थान को केन्द्र के रूप में नामोद्दिष्ट करेगा जिसे 'रिवर गंगा मॉनीटरिंग सेंटर' कहा जाएगा, जो अन्य बातों में इस आदेश के अंतर्गत यथापेक्षित जल के लगातार प्रवाह और प्रदूषण के स्तर को मॉनीटर करेगा और वहां उपनारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को तुरंत रिपोर्ट करेगा।

41. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां----- (1) राष्ट्रीय गंगा परिषद के पर्यवेक्षण और निर्देश के अंतर्गत गंगा नदी और उसकी उप-नदियों के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के कार्य को सुकर बनाने की भूमिका, उत्तरदायित्व और शक्तियों से युक्त राष्ट्रीय एजेंसी होने के कारण राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद अथवा केन्द्र सरकार को सिफारिश करेगा अथवा स्वयं ही राज्य गंगा समितियों अथवा जिला गंगा समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी व्यक्ति संस्था, समूह अथवा एजेंसी को अपने निर्णयानुसार निर्देश जारी करेगा तथा इसके पास ऐसे सभी उपाय करने और कार्य करने की शक्तियां होंगी, जो यह गंगा नदी तथा इसकी उप-नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक अथवा उचित समझे, जिनसे गंगा नदी को इसकी प्राकृतिक तथा पुरातन स्थिति तक संरक्षित किया जा सके तथा गंगा नदी तथा इससे संबंधित मामलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए गंगा नदी में जल के सतत तथा पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।

2. विशेष रूप से तथा उप-पैराग्राफ 1 के प्रावधानों की सामान्यतया के पूर्वाग्रह के बिना तथा इस आदेश में यथा अन्यथा उपबंधित ऐसे निर्देश गंगा नदी के प्रबंधन के सभी अथवा किसी मामले को शामिल कर सकती हैं, नामतः-

(क) पैराग्राफ 4 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार में इस आदेश के पैराग्राफ 55 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करना;

(ख) केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रदूषण के उपशमन तथा गंगा नदी के संरक्षण, संरक्षा और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति बनाना।

(ग) गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण, संरक्षा, प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन के लिए गंगा बेसिन प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन से किसी देश अथवा विदेशी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन करना।

(घ) आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना नदी गंगा बेसिन प्रबंधन योजना को अनुमोदित करना और सीधे संशोधन, यदि कोई हो, उस पर करना;

(ङ.) प्रगति रिपोर्ट का पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना और राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों को बुनियादी प्रबंधन योजना और गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के मामलों से संबंधित किसी अन्य मामले पर निर्देश जारी करना।

(च) सीवरेज के बढ़ने और बहिस्साव शोधन अवसंरचना, आवाह क्षेत्र उपचार, वाह मैदानों के संरक्षण, जन-जागरूकता सृजन करना, जलीय और राइपेरियन जीवन और जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी नदी संरक्षण के संवर्धन के लिए ऐसे अन्य उपायों सहित गंगा नदी में प्रदूषण के उपशमन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, विल्लपोषण और कार्यान्वयन अनुमोदित करना।

- (छ) प्रदूषण के निषेध, नियंत्रण और उपशमन तथा गंगा नदी और इसकी उप-नदियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों अथवा कार्यकलापों के कार्यान्वयन का समन्वय, मॉनीटरिंग और समीक्षा करना।
- (ज) नदी की पारिस्थितिकी को पुनः बहाल करने और नदी गंगा बेसिन राज्यों के प्रबंधन से संगत उपायों को करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्देश देना।
- (झ) स्पेशल पर्यटन वेहिकल के सृजन के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करना (चाहे कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा मोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में अथवा भारतीय न्याय अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन एक न्यास के रूप में) जैसाकि इस आदेश अथवा उक्त आदेश के प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त हो।
- (ञ) प्रदूषण के प्रभावी निषेध, नियंत्रण और उपशमन, गंगा नदी और इसकी उप-नदियों में संरक्षण और संरक्षा और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे उपाय करना, जिसे आवश्यक समझा जाए।
- (ट) परियोजनाओं के उपयुक्त तथा शीघ्र कार्यान्वयन के लिए किसी संगत व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी करना अथवा ऐसी परियोजनाओं को निरस्त करना अथवा निधियों के जारी रखने को रोकना अथवा पहले से जारी की गई धनराशि को सीधे रिफंड करना और किसी अन्य व्यक्ति अथवा बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन को इसे शीघ्र कार्यान्वयन हेतु सौंपना।
- (ठ) पहले से जारी किसी भी कानून के प्रति पूर्वाग्रह रखे बिना लेखों या अन्य दस्तावेजों के रख-रखाव से किसी संबंधित या प्राधिकरण को निर्देश देना जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ड) ऐसे अन्य उपाय करना जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण के बचाव, नियंत्रण और उपशमन की उपलब्धि, संरक्षण और निवारण और प्रबंधन के लिए आवश्यक है;
- (3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को मुद्दों पर निर्देशों को जारी करने की शक्ति होगी जोकि अधिनियम की धारा 5 में निर्धारित किए गए हैं।
- (4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु तथा राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करे।
- (42) कतिपय मामलों में पूर्व अनुमोदन देना---- प्रत्येक व्यक्ति राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा संरक्षण समितियां और स्थानीय प्राधिकरण तथा अन्य प्राधिकारी गंगा नदी से संबंधित तथा गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों के दायरे में आने वाले क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर, यदि राष्ट्रीय गंगा नदी के निर्णयों को कार्यान्वित करना अपेक्षित है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। नामतः-
- (क) गंगा नदी के डाउन स्ट्रीम जल के प्रवाह को प्रभावित किए बिना गंगा नदी में जल के भण्डारण के डाइवर्जन की प्रणाली;
- (ख) गंगा नदी या नदी के तट पर या इसके वाड़ योजना क्षेत्रों पर पुलों और सहायक सड़कों तथा तटों का निर्माण;
- (ग) घाटों का निर्माण अथवा किसी भी मौजूदा घाट का विस्तार;
- (घ) घाटों का निर्माण;
- (ङ) जल के संग्रह अथवा डाइवर्जन या नियंत्रण के लिए स्थायी जलीय संरचनाओं का निर्माण अथवा गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों का चैनलीकरण;
- (च) पहाड़ी ढलानों और अधिसूचित वन तथा अन्य पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों का वन कटाव;
- (छ) कोई अन्य कार्यकलाप जो कि पैराग्राफ 4 में सिद्धांतों के विपरीत निर्धारित किए गए हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

43. वित्तीय ढांचा ---- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा बजटीय आवंटन अपने कार्यों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने से संबंधित व्यय तथा स्थापना व्यय को बहान करने हेतु उपयोग किया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि अनुदान, ऋण और उधार के रूप में प्राप्त धन उन्हीं में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए बहान किया जाएगा जिनके लिए यह अनुदान, ऋण और उधार प्राप्त हुआ है।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन लेखों तथा अन्य संबद्ध रिकार्डों का उपयुक्त रूप से रख-रखाव रखेगा और वार्षिक व्यय विवरण तैयार करेगा।

(3) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और वार्षिक लेखा परीक्षा पूरी होने के पश्चात लेखा परीक्षा एजेंसी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजेगी।

(4) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नियंत्रण में हैं और सतर्कता संबंधी मामलों की देख रेख के लिए एक सतर्कता अधिकारी होगा।

(5) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक व्यय विवरण प्रति वर्ष अधिकार प्राप्त कार्यचल को भेजा जायेगा और केन्द्र सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करेगी।

44. कानून विशेषज्ञों को कार्य पर लगाना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पास एक उपयुक्त विधायी व्यवस्था होगी जिसके लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कानूनी विशेषज्ञ परामर्शदाता और विधायी फर्म की सेवाएं लेगी जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को विधायी मामलों पर सलाह देने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सहयोग प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

45. रिपोर्टों की समीक्षा इसके कार्यकलापों से संबंधित सभी रिपोर्टें तथा राज्य गंगा समिति, जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्टों की राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा समीक्षा की जायेगी और इन रिपोर्टों में बताए गए मामलों पर अपने विचारों के साथ यह रिपोर्ट राष्ट्रीय गंगा परिषद के सम्मुख दिशा-निर्देश हेतु प्रस्तुत की जायेगी, यदि ऐसा आवश्यक है।

46. गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा रिपोर्टों का समेकन ----- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी की गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षा की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राष्ट्रीय गंगा परिषद को उन पर उपचारात्मक कार्रवाई के साथ प्रस्तुत करेगा तथा इसे मार्चजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा और इसे वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा।

47. सूचना, निरीक्षण आयोजित करने, रिपोर्टें प्रकाशित करने इत्यादि के संबंध में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शक्तियां ---
---- (1) जहां राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अधिनियम की धारा 5 के तहत इसे आवश्यक समझे उसे वह लिखित में आदेश देकर यह कह सकता है---

(ए) किसी भी राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या व्यक्ति जिसे भी किसी भी परियोजना के कार्यनिष्पादन या ऐसी परियोजना से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है या किसी भी समय निधियों के उपयोग के बारे में सूचना या परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए आवंटित ऐसी परियोजना से संबंधित स्पष्टीकरण या कार्यनिष्पादन या आवंटित निधि के उपयोग के बारे में सूचना को लिखित में या सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार करने हेतु पूछा जा सकता है जैसा भी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपेक्षित समझे; अथवा

(बी) एक या एक से अधिक व्यक्ति या किसी प्राधिकरण को नियुक्त करना जो कार्य करने अथवा कार्यनिष्पादन के लिए आवंटित परियोजना तथा आवंटित निधि के उपयोग के संबंध में पूछताछ कर सके।

(सी) अपने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी आवंटित परियोजना के कार्यकरण अथवा कार्यनिष्पादन अथवा निधि के उपयोग के संबंध में राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा संबंधित व्यक्ति से उनके लेखों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु निर्देश देना।

(डी) ऐसा कोई व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण अपेक्षित है जो इसे संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट, रिटर्न, सांख्यिकी और अन्य सूचना भेजे और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी, राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण को यह कार्य करना वाध्य होगा।

48. वित्त पोषण और कार्यान्वयन मॉडल - (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का विकास होगा और यह निरंतर अपने वित्तीय मॉडलों को मंशोधित करेगा जिसमें परियोजनाओं के कार्यानिष्पादन और सततता में सुधार होगा और जिसे प्रदूषण के उपशमन और गंगा नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए राज्य गंगा समितियों, जिला गंगा संरक्षण समितियों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है।

49. समेकित रिपोर्टों को तैयार करना - (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा समितियों, स्थानीय प्राधिकरणों, अन्य प्राधिकरण, बोर्ड, निगम अथवा व्यक्ति द्वारा भेजी गयी रिपोर्टों और अन्य सूचना के आधार पर एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक जिले के द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पान के क्षेत्रों के संबंध में सूचना दी जायेगी।

(ए) उनके द्वारा कार्यानिष्पादित की जा रही योजनाओं की स्थिति और उनके द्वारा किए गए उपाय तथा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्थिति से संबंधित अन्य कार्यकलाप की स्थिति;

(बी) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में जल की गुणवत्ता और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई;

(सी) गंगा नदी में जल की किसी भी रूप में रूकावट और उसके कारण;

(डी) विनिर्दिष्ट जिले में नदी तट और बाढ़ मैदान और आवास की स्थिति;

(अ) जिला गंगा समिति या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों पर किए गए उपचारात्मक उपाय;

(एफ) प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के साथ आने वाले शेष बाधाओं का पता लगाना;

(जी) रिपोर्ट यदि कोई है, जैसा कि गंगा सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा सूचित किया गया है;

(एच) गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की दशा के बारे में संबंधित अन्य सभी सूचना;

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपपैराग्राफ -1 में उल्लिखित समेकित रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात कार्यबल को उपचारात्मक कार्रवाई के साथ उसे प्रस्तुत करेगा।

50. वार्षिक रिपोर्ट- (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अगले वर्ष से तुरंत पहले अपने द्वारा और गंगा नदी के संबंध में अधिकार प्राप्त कार्यबल, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों की समेकित वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के अंत के 3 माह में तैयार करेगा।

(2) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने द्वारा किए गए तथा गंगा नदी संबंधी अधिकार प्राप्त कार्यबल, राज्य सरकारों, विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समितियों, विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समितियों, संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों अथवा अन्य प्राधिकरण अथवा बोर्ड अथवा निगम अथवा व्यक्तियों द्वारा किए गए सभी कार्यों उपपैरा-1 में उल्लिखित इसकी समेकित वार्षिक रिपोर्ट में अनग-अलग भागों के तहत शामिल करेगी और इस समेकित वार्षिक रिपोर्ट को राष्ट्रीय गंगा परिषद और केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करेगी तथा इसे सार्वजनिक क्षेत्र में भी उपलब्ध कराया जायेगा। इसे वेबसाइट पर भी दर्शाया जायेगा।

51. समितियों का गठन - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अपने सदस्यों में से एक या ज्यादा गंगा नदी प्रबंधन समितियां बनाना और नदियों अथवा जल के क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ इस आदेश के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

W/M

W

52. मार्गदर्शन प्राप्त करना- राष्ट्रीय गंगा परिषद के निर्णयों अथवा इस आदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन में यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो यह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय गंगा परिषद का मार्ग दर्शन प्राप्त करें और तदनुसार उपयुक्त कार्रवाई करें।

53. जिला गंगा संरक्षण समितियों का गठन --- (1) केन्द्र सरकार गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए इस आदेश के प्रारम्भ से एक निश्चित समय के भीतर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति के परामर्श से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा ऐसे अन्य राज्यों में, जहां गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रत्येक जिले में (इस आदेश में इसके बाद विनिर्दिष्ट जिला कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा(3) के अंतर्गत "जिला गंगा संरक्षण समितियों" के नाम से एक प्राधिकरण का गठन करेगी।

(2) प्रत्येक विनिर्दिष्ट गंगा जिले में प्रत्येक जिला गंगा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामतः --	
(ए) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर।	अध्यक्ष, पदेन
(बी) विनिर्दिष्ट जिले में नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा नामित दो से अधिक प्रतिनिधि सदस्य।	
(सी) राष्ट्रीय नदी गंगा के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले में कार्यरत लोक निर्माण, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और ग्रामीण पेयजन विभाग, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रत्येक का एक प्रतिनिधि जो जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जाएगा। सदस्य, पदेन	
(डी) विनिर्दिष्ट जिले में जिला कलेक्टर द्वारा नामित गंगा संरक्षण कार्यकलापों से संबद्ध दो पर्यावरणविद और स्थानीय उद्योग मंच का एक प्रतिनिधि। सदस्य।	
(ई) विनिर्दिष्ट जिले का एक डिविजनल वन अधिकारी।	सदस्य, पदेन
(एफ) एक जिला अधिकारी जिसे जिला कलेक्टर लिए नामित करें।	सदस्य

(2) जिला कलेक्टर जिला गंगा समिति के अध्यक्ष होंगे और डिविजनल वन अधिकारी जिला गंगा समिति के संयोजक होंगे।

(3) जिला गंगा समितियों की बैठक का समय और स्थान का निर्धारण उस समिति के अध्यक्ष करेंगे और इस आदेश के तहत प्रदत्त की गई शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे।

वशत कि जिला गंगा समिति की कम से कम एक बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी।

(4) कोई गैर पदेन सदस्य सरकार को अथवा संबंधित जिला कलेक्टर के, जैसा भी मामला हो, लिखित नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और सरकार द्वारा अथवा जिला कलेक्टर द्वारा, जैसा भी मामला हो, उसका त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के बाद सदस्य नहीं रहेगा।

54. जिला गंगा संरक्षण समिति का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण - जिला गंगा संरक्षण समिति के प्रबंधन (वित्तीय और प्रशासनिक मामलों सहित) प्रबंधन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण इस आदेश में किसी बात के होते हुए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में विहित होगा, जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनिर्दिष्ट राज्य गंगा समिति अथवा इसके किसी अधिकारी अथवा इसके द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य किसी प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

55. जिला समितियों के कार्य और शक्तियां- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति पैराग्राफ चार में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार पैराग्राफ छः और सात में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रत्येक विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए कार्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) विशेष रूप से गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के साथ लगने वाले डिग्रेडेड क्षेत्रों के पुनरुद्धार, संरक्षण, मरम्मत और पुनर्वासन के लिए उप-पैराग्राफ 1 के सामान्य प्रावधानों के अलावा और इस आदेश और अधिनियम के अन्य प्रावधानों तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक गंगा समिति को विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां और अधिकार प्राप्त होंगे नामतः :-

(ए) गंगा नदी अथवा इसकी सहायक नदियों अथवा रिवर बेड के संरक्षण के लिए गंगा नदी के साथ लगने वाले विनिर्दिष्ट जिले के क्षेत्रों में संभावित खतरों की पहचान करना और उसके संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की योजना बनाना और कार्रवाई करना।

(बी) विनिर्दिष्ट जिले में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अथवा इसके रिवर बेड के संरक्षण के लिए अपनी ओर से सुधारात्मक कार्रवाई करना (इस आदेश के प्रावधानों को छोड़कर)।

(सी) उपचारात्मक कार्रवाई करने की स्थिति में सक्षम न होने पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और संबंधित राज्य सरकार, गंगा राज्य समिति, जैसा भी मामला हो, को गंगा नदी के बचाव के लिए निर्देश जारी करने हेतु रिपोर्टिंग (इलेक्ट्रॉनिक और लिखित में) हाई क्राफ़ी भेजकर) और उपयुक्त प्रबंधन अथवा उपचारात्मक कार्रवाई तैयार करना।

(डी) इस आदेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और अन्य उपाय करना ताकि इस आदेश के प्रावधानों से अलग न होते हुए या किसी भी कानून को कुछ समय के लिए लागू करने की बजाए गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सके।

(3) यदि जिला गंगा संरक्षण समिति का यह मत है कि इस अधिनियम के तहत विसंगतियां की गयी हैं या कोई अन्य कानून कुछ मामूले के लिए लागू किया जा रहा है या इस आदेश के प्रावधानों से अलग है तो इसे कुछ समय के लिए कानून के अनुरूप करके उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

(4) जिला गंगा संरक्षण समिति पैराग्राफ 7 में विनिर्दिष्ट ऐसे सभी आपातकालीन उपाय करेगी।

56. नोडल अधिकारी का पदनाम----- (1) प्रत्येक जिला गंगा समिति निम्नलिखित को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी--

(ए) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रत्येक गांव के ग्राम सभा के सरपंच

(बी) ऐसे मामले में जो गांव गंगा नदी से सटे हुए नहीं हैं, नगरपालिका योजना समिति या महानगर योजना समिति के अध्यक्ष या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष को इस आदेश के प्रयोजनों हेतु, जिला गंगा संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक नोडल अधिकारी जो उप-पैराग्राफ के तहत मनोनीत हुआ है (1) गंगा नदी की और उसकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकने हेतु कदम उठा सकते और स्वयं गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं के संरक्षण हेतु उपचारात्मक उपाय कर सकते या उनके नदी तटों जो ऐसे गांवों के साथ सटे हुए हैं या अन्य क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए वह नोडल अधिकारी है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस आदेश की अवहेलना को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के ध्यान में ला सकते हैं।

(3) उप-पैराग्राफ (2) के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जिला गंगा समिति का अध्यक्ष गंगा नदी या इसके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकते हैं।

57. योजनाओं की तैयारी-- (1) प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों के संरक्षण हेतु अपनी आयोजना की तैयारी करेगा और उक्त को उसके बाद एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-पैराग्राफ (1) के तहत योजना में विनिर्दिष्ट जिला गंगा संरक्षण समिति द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायिकाओं और उनके नदी तटों से सटे विनिर्दिष्ट जिलों से पर्यावरणीय प्रदूषण से संरक्षण, नियंत्रण और उसे हटाने हेतु उठाए गए कार्यकलाप शामिल होंगे, जिसे राज्य सरकार, राज्य गंगा समितियों या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड और ऐसी योजना हेतु शामिल व्यय संस्तुत किया जा सकता है और समय जिसमें ऐसे कार्यकलापों को पूर्ण किया जाएगा।

(58) बजट की तैयारी और लेखों का रखरखाव— प्रत्येक जिला गंगा संरक्षण समिति प्रत्येक वित्त वर्ष में अपेक्षित फंडों को और उन उद्देश्यों जिसके लिए फंड खर्च किया जाएगा, और समय सीमा जिसके भीतर बजट में उल्लेख किए गए कार्यक्रमों को पूरा किया जाएगा को दर्शाते हुए अपने बजट को तैयार करेगी और संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सूचना देते हुए संबंधित राज्य गंगा समिति को प्रस्तुत करेगी और यह समिति, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अथवा सीएजी द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निर्धारित लेखों का उपयुक्त रखरखाव सुनिश्चित करेगी और यह लेख राष्ट्रीय गंगा परिषद, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राज्य गंगा समिति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी संस्था द्वारा निरीक्षण के शर्ताधीन होंगे।

(59) मासिक और वार्षिक रिपोर्ट— (1) प्रत्येक गंगा संरक्षण समिति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य समितियों जैसा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्धारित किया गया है, राष्ट्रीय गंगा परिषद को मासिक और वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी।

(2) उप पैरा (1) में उल्लेख की गई वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त जिला गंगा संरक्षण समिति राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को ऐसे समय और ऐसे फॉर्म और तरीके से रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी जिससे विनिर्दिष्ट जिले में उसके आसपास के क्षेत्र में गंगा नदी बेसिन योजना हेतु अन्य रिटर्न, विवरण और कोई प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में अन्य ब्यौरे हेतु निर्देश दें।

60. बजट आवंटन— राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन बजट आवश्यकता को समेकित और तैयार कर सकता है और उक्त जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

61. केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश— इस आदेश में दी गई विली भी यात के बावजूद, केंद्रीय सरकार के लिए यह विधिपूर्ण हो कि वे मंत्रालय या भारत सरकार के विभागों या राज्य सरकारों तथा राज्य गंगा समितियों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या जिला गंगा समितियों या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण तथा सांविधिक निकायों या उनके अधिकारी या कर्मचारी, जैसा भी मामला हो लिखित में निर्देश जारी करे जिससे वे गंगा नदी और उसके सहायिकाओं के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन में सहायता प्रदान कर सके और ऐसा मंत्रालय या विभाग या प्राधिकरण या मिशन या बोर्ड या सरकार और सांविधिक निकाय, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निर्देशों के अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

62. अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत करना— इस आदेश के तहत गठित सभी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरणों द्वारा प्राधिकृत किए गए उनके अधिकारी कोर्ट के समक्ष उक्त धारा के अंतर्गत किसी उल्लंघन को संज्ञान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत कर सकते हैं।

63. अन्य दायित्वों के अतिरिक्त आदेश— इस आदेश के प्रावधान किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या कॉरपोरेशन या किसी व्यक्ति द्वारा गंगा नदी में कुशल प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार के प्रयोजन से उपाय करने हेतु अपने कार्यों के निर्वाह में और उसके संरक्षण और प्रबंधन और अभी लागू कोई अन्य कानून में अपने कार्यों के बिना किसी पक्षपात के है।

अनुसूची

(पैराग्राफ 20 देखें)

राज्य और प्रबंधन समितियों की संरचना

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन का नाम	राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समितियों की संरचना
(1)	(2)	(3)
1.	(नाम) राज्य गंगा संरक्षण और प्रबंधन समिति	(क) मुख्य सचिव, राज्य सरकार (नाम) पदेन सदस्य
		(ख) प्रधान सचिव, वित्त विभाग राज्य सरकार (नाम) सदस्य, पदेन
		(ग) प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, (नाम) सरकार-सदस्य, पदेन
		(घ) प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, राज्य सरकार (नाम)-सदस्य, पदेन
		(ङ) प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार (नाम)-सदस्य, पदेन

777

56

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-3

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2

Others

.....RESPONDENTS

WMI
W

778

57

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 89 of 2013
(M.A. NOS. 489/2013, 491/2013, 565/2013, 609/2013,
15/2014, 55/2014, 57/2014, 64/2014, 94/2014, 151/2014, 210/2014,
211/2014, 304/2014 & 305/2014)

Akash Vashishtha & Anr. Vs. Union of India & Ors.

**CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE SWATANTER KUMAR, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. BIKRAM SINGH SAJWAN, EXPERT MEMBER
HON'BLE MR. RANJAN CHATTERJEE, EXPERT MEMBER**

Present:

Applicant:	Ms. Ritu Garg, Adv. Mr. Kailash Pandey, Adv. in M.A.
Respondent No. 1:	Mr. Mukul Singh, Adv. for MoEF & CC
Respondent No. 2-4 & 8:	Mr. Abhishek Yadav, Adv.
Respondent No. 3 :	Mr. Raman Yadav and Mr. Dalsher Singh, Adv. on behalf of Irrigation Dept.
Respondent No. 9 & 12 :	Ms. Reena Singh, AAG of Uttar Pradesh
Respondent No. 10 :	Mr. Sudhir Kulshaeshtha, Adv.
Respondent No. 11 :	Mr. M.P. Shorawala, Adv. and Ms. Geetan Dua, Adv.
Respondent No. 14 :	Mr. Ravi P. Mehrotra and Mr. Abhinav Kumar Malik, Advocates for DDA
Respondent Nos. 20-22:	Mr. G.S. Raghav, Adv. Mr. Raj Kumar, Adv. with Ms. Niti Choudhary, LA, CPCB

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
<p align="center">Item No. 16</p> <p align="center">February 10, 2017 sn</p>	<p>The prayer in this Application was for issuance of the direction to the Respondents to implement Environmental Laws and its agency to prevent new farmhouses, concrete construction to come up in the Flood Plain Area of Yamuna and Hindon. Further, it is prayed for registration of an FIR.</p> <p>Learned Counsel appearing for the Respondents, State and Ministry of Environment, Forest and Climate Change have brought to our notice that the Notification dated 7th October, 2016 has been issued by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation which provides for protection of flood plain,</p>

<p>Item No. 16</p> <p>February 10, 2017 sn</p>	<p>fixation thereof and the activity which can be carried out in the flood plain.</p> <p>In the light of the above, the present Application has been rendered infructuous. The parties are free to take appropriate steps in furtherance thereof including, if anybody wishes to challenge the same in accordance with law. The States and Centres are free to act with the Notification in accordance with law.</p> <p>With the above direction, Original Application No. 89 of 2013 stands disposed of without any order as to cost.</p> <p><u>M.A. Nos. 489/2013, 491/2013, 565/2013, 609/2013, 15/2014, 55/2014, 57/2014, 64/2014, 94/2014, 151/2014, 210/2014, 211/2014, 304/2014 & 305/2014</u></p> <p>These Applications do not survive for consideration as the main Application itself stands disposed of. Thus, M.A. Nos. 489/2013, 491/2013, 565/2013, 609/2013, 15/2014, 55/2014, 57/2014, 64/2014, 94/2014, 151/2014, 210/2014, 211/2014, 304/2014 & 305/2014 stand disposed of accordingly.</p> <p>.....,CP (Swatanter Kumar)</p> <p>.....,EM (Bikram Singh Sajwar)</p> <p>.....,EM (Ranjan Chatterjee)</p>
--	---

Wm- K

780

59

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-4

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2
Others

.....RESPONDENTS

WM- J

781

60

उत्तर प्रदेश सरकार
 उद्योग अनुभाग-11
 संख्या 2042 भाउ/18-11-1231एन/85
 लहानका दिनांक: 11/7 जून, 1989

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण सभ अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) की धारा 21 के तहत पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सं 1976) की धारा 2 के खण्ड 1(घ) के अधीन अधिनियम का प्रयोग करते हुए सरकार अधिसूचना संख्या 57 भाउ/प्रकारह-11 दिनांक 17 जून, 1976, संख्या 2691 भाउ/18-11-27 (नोड्डा/77, दिनांक 18-5-78 और संख्या 6277 भाउ/18-11-27 (नोड्डा/77, दिनांक 26 जून, 1978) का अतिक्रमण करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि गाँवियाबाद जिले में टाटरी तहसील के नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम औद्योगिक विकास क्षेत्र होंगे जो "नए औद्योगिक विकास क्षेत्र" का अंग होंगे:-

अनुसूची

जिला	तहसील	क्रम संख्या	ग्राम	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1	2	3	4	5
		1.	नया बाँस	1769
		2.	हरौला मकनपुर	970
		3.	रघुनाथपुर	339
		4.	चौड़ा साटातपुर	1280
		5.	गिडोड	492
		6.	मामूरा	1002
		7.	सरफाबाद	584
		8.	मगही मगही	708
		9.	बाजीपुर	748
		10.	गढ़ी चौखण्डी	302
		11.	हेवतपुर	1442
		12.	परथला/खंजरपुर	1019
		13.	सोरबा/मिहडाबाद	2533
		14.	मोरना	518
		15.	हुठारी	971
		16.	भनेर/भनेर	1668
		17.	नांसा/बाद/बादर	213
		18.	तारपुर	1638
		19.	आगाहपुर	658

90

24/7/89

11/7/89

SECRETARY
 1089
 21/7/89

1400
 24/7

W.M.

1	2	3	4	4-अ	5
		Kalson / कलस		29 म	0-1-0
				30 म	0-1-0
				31 म	0-1-0
				32 म	0-1-0
				33	7-19-0
				34	0-8-19
				35 म	0-16-6
				36	2-5-0
				37	0-10-0
				38	0-5-0
				39	0-6-0
				40	0-7-19
				41	1-15-0
				42	0-19-0
				43	0-17-0
				44	1-8-0
				45	1-5-0
				46	2-12-0
				47	2-11-0
				48	2-8-0
				50	1-2-0
				51	1-7-0
				53	0-5-0
				54 म	3-17-14
				55	4-14-13
				58	0-12-10

योग 137-11-19 या
86-0 रकम

आज्ञा मे,

प्रधान कारर
प्रमुख कारर, उदयपुर

संख्या 204211143/18-11-1231रत/85

प्रतिलिपि, अग्रेजी अनुवाद सहित निम्नलिखित को सुधनाई एवं आस्तक
का ब्यापारी हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, वृद्ध एवं वृद्धा वृद्धा, उत्तर प्रदेश, बाराबंका जिला, अयोध्या
मार्ग प्रेषित कि वे कृषि अधिसूचना को मंच के आगामी एक में प्रकाशित
करें व उसकी मुद्रित 200 प्रतियाँ जमान के उदयपुर अनुभाग-11 को प्यासीय
उपान में लाने का कार्य करें।
- 2- अ.प्र. एवं वृद्ध कार्यालय अधिकारी, मोहना, बरेल्ल, पोस्ट-नोएडा कामपुलेख,
बिना-वाणिज्यवादी।
- 3- क्लरिफिकारी, वाणिज्यवादी।
- 4- उदयपुर निदेशक, उत्तर प्रदेश, कामपुर।
- 5- नए बिना अनुभाग-5
- 6- रा.स. अनुभाग-13

आज्ञा मे,

(Handwritten Signature)

प्रधान कारर
सुधनाई विभाग

(Handwritten Signature)
45-
2/1/95

783

62

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-5

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2
Others

.....RESPONDENTS

XIII

178

कार्यालय
पत्रांक 1058/सी0आर0ए0-आपदा प्रबंधन/2020-21

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

दिनांक 01 अक्टूबर 2020

कार्यालय आप

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप गौतमबुद्धनगर में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30.09.2020 को सम्पन्न हुई। उपरोक्त बैठक में जनपद में पूर्व में घटित आपदा सम्बन्धित घटनाओं और भविष्य में प्राकृतिक/मानव सृजित सम्भावित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कतिपय निर्णय लिये गये हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनपद के सम्बन्धित विभागों के लिए कतिपय अनुसंशा की गयी है जो उपरोक्त बैठक दिनांक-30.09.2020 के कार्यवृत्ति के प्रस्तर-30 के बिन्दु ए0 और बी0 पर वर्णित है।

अतः कार्यवृत्ति की प्रति संलग्न करते हुए सम्बन्धित का अनुपालनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप आपदा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय एवं अनुसंशा के क्रम में तत्काल अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

प्रातिभाषि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक एवं अवस्थापना विभाग, 30वां फ्लोर, 30वां फ्लोर।
- 02- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, सी0-36 नोएडा।
- 03- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
- 04- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
- 05- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
- 06- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 07- समस्त सदस्य जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
- 08- समस्त इन्टीग्रेटेड कमिश्नर/उपजिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 09- अधिशासी अभियन्ता सिविल निर्माण सप्ले, गौतमबुद्धनगर।
- 10- सहायक आयुक्त एवं सहायक महानिरीक्षक, स्टाफ् पजोयन् (प्रथम, गौतमबुद्धनगर)।
- 11- समस्त उपनिर्देशक, गौतमबुद्धनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
गौतमबुद्धनगर

Wm-1

179

जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एकतप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बड़े पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.09.2020 का कार्यवृत्त।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जिलाधिकारी कार्यालय के कार्यालय जाप संख्या 1033/सी0आर0ए0/2020-21, दिनांक 29.09.2020 द्वारा पुनर्गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.09.2020 को अपराह्न 01:00 बजे जिलाधिकारी, जैम्य कार्यालय, सेक्टर-27, नौएडा पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में आहूत की गयी, जिसमें जनपद गौतमबुद्धनगर में नौएडा/ग्रेटर नौएडा/यमुना एकतप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डब-क्षेत्र (Flood Plain Zone) में प्राधिकरणों की अनुमति एवं मानचित्र स्वीकृत कराये बिना बड़े पैमाने पर हो रहे अन्धाधुंध अवैध एवं अनधिकृत बहुमंजिले भवन/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के दृष्टिगत पूर्व में घटित मानवजनित आपदाओं एवं भविष्य में सम्भावित मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तथ्यों/विन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया-

- 1- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहबेरी में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति एवं भवन मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध एवं अनधिकृत तरीके से निर्मित निर्माणपीन बहुमंजिले भवन एवं उसके समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के दिनांक 17.07.2018 को अकस्मात गिरने से 08 व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त घटना के क्रम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या-ग्रे0नौ0/प्रोजेक्ट /दर्ज संकिल-4/2019/423, दिनांक 29.07.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं दरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर को अवगत कराया गया था कि ग्राम शाहबेरी के क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.10.2014 के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले सभी 431 बिल्डरों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो एवं जिला प्रशासन द्वारा एन0एस0ए0/गैंगस्टर की कार्यवाही कर जेल भेजा जाए। प्राधिकरण की सूचना अनुसार 428 अवैध बिल्डर भवनों में 1567 परिवार रह रहे हैं। शेष गलैट/भवन को सील कराने एवं अवैध निर्माण न कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।
- 2- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के पत्र संख्या-ग्रे.नौ./मु.का.अ./2019/डब्ल्यूसी-4/1619, दिनांक 30.04.2019 द्वारा जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर से अपेक्षा की गयी थी कि अधिग्रहण लक्षित होने एवं प्ररनगत प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित के स्थगन आदेश के दृष्टिगत सभी प्रकारों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये। विशेष परिस्थितियों में कोई भी रजिस्ट्री जिलाधिकारी के लिखित अनुमति के न की जाये।
- 3- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक प्राधिकरण के उपरोक्तानुसार लिखित पृच्छाओं के क्रम में दिनांक 17.07.2018 को ग्राम शाहबेरी में कमजोर अवैध निर्माण के स्वतः ध्वस्त हो जाने के कारण घटित घटना में जान-माल की हुई क्षति के दृष्टिगत धाना विसरख में मु0अ0सं0-586/18, धारा-304/427/288/337/338/34 भादवि च 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया था। ग्राम शाहबेरी में हुए अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक 75 अभियोग पंजीकृत कराये जा चुके हैं, जिनमें 52 अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 के सुपुर्द की गयी तथा 23 अभियोगों की विवेचना में 03 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट तथा 18 अभियोगों में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में 30 अभियोगों की विवेचना एस0आई0टी0 में प्रचलित है, 05 अभियोगों में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग रट किया गया है एवं 02 अभियोगों की विवेचना थाना विसरख स्तर पर प्रचलित है। इसके

180

- अतिरिक्त 16 गैंगस्टर अधिनियमों के अभियोगों के 48 अनियुक्तों व उनकी कम्पनियों के विरुद्ध पंजीकृत किये गये हैं। मा० उच्च न्यायालय के आदेश से गैंगस्टर के 02 अभियोगों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 03 अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। 13 अभियोग विवेचनाधीन हैं, 02 प्रकरणों में गैंगस्टर के अतिरिक्त एन०एस०ए० की कार्यवाही की गयी है। एन०एस०ए० की कार्यवाही 1- सलीम उर्फ शहबुद्दीन पुत्र स्व० महमूद नि० लिसवी रोड मेरठ, 2- जसवीर मान पुत्र भुववीर मान नि० 218बी, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध की गयी है। गैंगस्टर अधि० के 05 अभियोगों (69 फ्लैट्स, 02 फ्लॉट व 01 चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही की गयी है। वर्तमान में गैंगस्टर अधि० के 08 अभियोगों (152 फ्लैट व 11 दो पहिया व चार पहिया वाहन) में 14(1) की कार्यवाही के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।
- 4- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या-सीए/सीपी-45/2020, दिनांक 30 जून, 2020, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को सन्वोधित है, में उल्लेख किया गया है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के संज्ञान पत्र संख्या-ग्रे०नो०/प्रोजेक्ट/वर्क/सर्किल-1/2020/310, दिनांक 04.06.2020 के माध्यम से उ०प्र० शासन द्वारा ग्राम शाहबेरी में अवैध रूप से 87 अर्धनिर्मित अचोमानक भवन, जिसमें कोई निवास नहीं कर रहा है, में कोई भवननिर्माण न होने पाये/नया परिवार आकर निवास न करने पाये एवं 163 भवनों को विनष्ट करते हुए सम्बन्धित बिल्डरों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत प्रापर्टी अटैच करने की कार्यवाही किये जाने हेतु ग्राम शाहबेरी स्थित पुलिस चौकी को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा 163 भवनों को विनष्ट किये जाने हेतु टीम का गठन किया गया है।
- उपरोक्त सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा गठित टीम ग्राम शाहबेरी में जाकर प्राधिकरण की पास ले आउट व आई०आई०टी० रिपोर्ट के अनुसार निलान करते हुए 163 भवनों को विनष्ट किया जाना है। साथ ही गैंगस्टर एक्ट में जल्दीकरण की कार्यवाही हेतु मासिकाना हक के सम्बन्ध में प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम में राजस्व विभाग के तहसील दादरी के लेखपाल श्री अमित कुमार भी शामिल कराना समीचीन होगा, जिन्हें शाहबेरी गांव का पूर्व का अनुभाग प्राप्त है। उपरोक्त 163 भवनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने हेतु प्राधिकरण/प्रशासन स्तर से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
- 5- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश जिला आपदा विकास अनुभाग-4, लखनऊ के पत्र संख्या-1660(1)/शासन, औद्योगिक विकास, दिनांक 18.07.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा 11-4-18-19जीएन/18, दिनांक 18.07.2018 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा एवं जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर ग्राम शाहबेरी में निर्माणाधीन भवन एवं समीप स्थित एक अन्य नवीन निर्मित भवन के अकस्मात गिरने की घटना घटित होने पर निर्देश दिये गये थे कि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कोई भी अवैध निर्माण न हो। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण संज्ञान में आए तो इस सम्बन्धित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए उचित दायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे नाविध्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- 6- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या-नोएडा/भूलेख/2020/2853, दिनांक 24.07.2020 द्वारा नोएडा के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम नंगली-नगला, दोस्तपुर दिनेश त्यागी पुत्र श्री वेदप्रकाश त्यागी नि० ग्राम ददसिया, हरियाणा व कुलदीप, शर्मा नि० पलेट नम्बर-1804, टावर नम्बर-02 लोटस जिक, सेक्टर-135 नोएडा तथा श्री यदवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनूप सिंह हाल निवासी ग्राम नंगली-नगला, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर व मूल निवासी ग्राम करहैडा, जिला गाजियाबाद द्वारा अवैध रूप से फार्म हाउसों का कय-विकय बाहरी व्यक्तियों को भ्रामक जानकारी देते हुए किया जा रहा है। अवैध फार्म हाउसों पर रोक लगाने एवं पुरते की सुरक्षा के दृष्टिगत संशोधित के विरुद्ध ऊठोरतम, विधिवत यथा-भूमिकिया/गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही जिला प्रशासन एवं पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर से किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

181

- 7- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर ने अपने पत्र संख्या-सीए/सीपी-05/2020, भगस्त, 2020 द्वारा हिण्डन नदी का डूब क्षेत्र में जो पुस्ता कॉला से प्रारम्भ होकर ग्राम लखनावली क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की आबादी लगभग 10,000 है, जिसमें नदी में कभी भी जल स्तर बढ़ने पर सभी लोगों को जन-धन की हानि होने की सम्भावना है। इसलिए ऐसे स्थानों पर रह रहे लोगों द्वारा जिस प्रकार से अवैध कब्जा खर निर्माण/विस्तार किया गया है, के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग से यथावश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।
- 8- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) नौएडा, ग्रेटर नौएडा व धनुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है, किन्तु प्राधिकरणों द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र(Flood Plain Zone) की भूमि पर नियोजित विकास का कार्य नहीं किया जाता है और इन डूब क्षेत्रों में स्थित भूमि के निकट तक प्राधिकरण अवसंरचनात्मक/नियोजित विकास कार्य कराते हैं, अतएव अनधिकृत कॉलोनी/प्लाटिंग करने वाले भूमाफिया एवं भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले तत्त्वों को भोली-भाली जनता को सस्ते प्लॉट का झोंसा देकर ठगी करने का अवसर प्राप्त होना स्थानाधिक है क्योंकि ऐसी डूब क्षेत्र की भूमि के निकट तक प्राधिकरणों के पहुँच मार्ग उपलब्ध रहते हैं, इसलिए अनधिकृत एवं अवैध कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग/निर्माण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। यद्यपि प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर ऐसे अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती रहती है, परन्तु इसके बावजूद भी हर पर पूर्णविराम लगाना सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद-गौतमबुद्धनगर में सस्ती आवास सुविधा के लालच में आम जनमानस डूब क्षेत्र में भूमाफियाओं द्वारा फैलाए जा रहे अवैध एवं अनधिकृत कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग के जाल में आसानी से फंस जाता है। विगत कई वर्षों से यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब-क्षेत्र में हुए अवैध एवं अनधिकृत निर्माण कार्यों के मानव सृजित आपदा के रूप में जनधन की हानि के प्रतिकूल स्थिति के उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है।
- 9- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अधिशाही अभियन्ता सिंचाई/निर्माण खण्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3366/सिंचाई/जी, दिनांक 29.12.2017 में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में भू माफियाओं द्वारा अवैध/अनधिकृत कोलोनाइजेशन/प्लाटिंग करके हिण्डन एवं यमुना नदी के प्रवाह (नदी की घास) तक स्थायी मकान व व्यवसायिक उद्देश्य से टुकान आदि के रूप में स्थायी निर्माण कर लिये गये हैं, जिससे वहाँ पर आबादी नदी की पानी की घास तक पहुँच गयी है, जिससे हिण्डन एवं यमुना नदी का बैंक-फ्लो एवं वर्षा के समय अधिक पानी की मात्रा आने पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहेगा। जैसाकि वर्ष 2013 के जून माह में उत्तराखण्ड में हुई मूसलाधार वर्षा ने नदी के साथ बसी आबादी में भारी तबाही मचाई थी तथा इसी तरह वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आने से नदी के डूब क्षेत्र में बसे ग्रामों व शहरी क्षेत्र में जन-धन की व्यापक हानि हुई थी। हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में किये जा रहे अनियोजित, अनधिकृत एवं अवैध निर्माण के मानव सृजित कारणों से आपदाओं की विषम स्थिति में बढ़ते-पैमाने पर जन-धन की हानि की प्रबल सम्भावना है।
- 10- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में अनियोजित विकास होने से उन इलाकों में मलिन वस्तियाँ बढ़ जाएंगी, जिनमें वांछित अवरस्थापना एवं नागरिक सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होना स्वाभाविक है। इसके साथ डूब क्षेत्र में कराये जा रहे अनियोजित/अनधिकृत एवं अवैध निर्माणों से ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों में भू माफिया तत्व भू सम्पत्तियों के अवैध कारोबार को

182

गलत ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। इससे मौल-माले निवासियों को आपदा की विपत्तियों का भारी क्रमित चुकानी पड़ सकती है। साथ ही आपदा प्राधिकरण के सदस्य मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर भूकम्पीय गतिविधियों की दृष्टि से सीस्मिक जोन-IV में स्थित है और अधिसूचित क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृत न कराने के कारण नूतन जिले इमारतों में भूकम्परोधी तकनीकी का पालन नहीं किये जाने की सम्भावना है, जिससे भविष्य में किसी आपदा के आने पर बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है।

- 11- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्राधिकरणों के महायोजना में हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में तिराजित किया गया है। जैसे कि नीएडा महायोजना-2031 में उपरोक्त नदियों के डूब क्षेत्र की भूमि को रिवर फ्रन्ट डेवलपमेन्ट के रूप में तिराजित करने के संबंध में निम्नवत् प्राविधान किये गये हैं-

"Noida is bounded by the two embankments of river Yamuna and Hindon. Urbanisation is proposed broadly within the area between these two embankments. Development of urban activities has not been proposed in more than 5000 hectare land situated in the river front area of both the rivers because this is basically a flood effected area. The river Yamuna suffer from inadequate flow and quantum of water during majority time of the year. Rapid urbanization, encroachment on the river bank and over exploitation of water in Delhi has resulted in the dwindling of water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water flow in the river. The river is highly polluted due to discharge of untreated waste water through drains. However, the river Yamuna generates very high level of water flow during rainy seasons and some times due to discharge of rainy water from dams cause floods in the areas of Delhi and Noida. Conservation of flood prone area is essential. Therefore, urban activities have not been proposed in the river front areas of both the rivers. This entire area is proposed to be kept as green and open. However, it is proposed that the river front areas shall be developed for recreational and tourist activities with the provision of some temporary and removable structure on 1 percent area of a specific development project. A detailed plan of the development of river front areas is proposed to be prepared after a detailed study of its environmental conditions and potentials of development. It is a sensitive area and needs a detailed study to understand the cycle of flood occurrence, the ground water recharge potential and requirements of reclamaton and the potential of making this area physically accessible and functional."

- 12- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत यमुना एवं हिण्डन नदियों का डूब क्षेत्र नीएडा, ग्रेटर नीएडा व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में ही है और इस सम्पूर्ण क्षेत्र का सभी प्रकार के विकास एवं रख-रखाव के दायित्व का निर्वहन भी तीनों प्राधिकरणों द्वारा किया जा रहा है।
- 13- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Application-no 80/2013, आकाश वशिष्ठ एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20, मई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यमुना एवं हिण्डन नदियों के डूब क्षेत्र में अस्थायी एवं स्थायी प्रकृति के अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों को रोकने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 मई 2013 का सारवात अंश निम्नवत् है-

".....It is conceded before us by all learned counsel appearing for respective Authorities, Corporations, NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana that there are

W.M. J

183
 unauthorized and illegal constructions raised on the flood plain of river Yamuna. These constructions have been raised without permission of any competent authority. On the contrary, these Authorities including the Irrigation Department of State, of Uttar Pradesh and other Authorities claim to have issued Notices to the persons who have raised unauthorized and illegal constructions upon the flood plain of river Yamuna, but rarely of any effect.

It is an admitted position in law that construction upon flood plain area is prohibited. It not only affect the natural flow of the river but even causes environment problems besides raising risk to human life and property.

In view of the above circumstances, we hereby issue an interim injunction restraining any illegal and unauthorized construction, be it temporary or permanent, on the flood plain zone of river Yamuna in the NCT of Delhi, State of Haryana and State of Uttar Pradesh. All Authorities of the respective States including the Police, Irrigation Department, Environment Department and PWD and all the public Authorities and Corporations shall ensure that no illegal and unauthorized construction is raised upon the flood plain zone of river Yamuna. Wherever unauthorized and illegal constructions have been raised steps should be taken to demolish the same in accordance with law.

We hereby direct the NCT of Delhi, State of Uttar Pradesh and State of Haryana to specifically file Plans/Maps showing extent of one in 25 years flood plain zones.

- 14- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-5188/2011, मूल चन्द बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 26.04.2016 को आदेश पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है-

".....Once there is nothing on record to demonstrate that constructions have been carried out after map has been sanctioned then this Court cannot come to the rescue and relieve of the petitioner and writ of mandamus cannot be issued by this Court directing the respondents not to demolish any constructions over the land in dispute i.e. residential house of the petitioners in their land situated at village Mamura district Gautam Buddha Nagar. Even if the land was not acquired by the State, the constructions were raised without seeking permission and the petitioner will have no right to claim any protection for such illegal constructions."

मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश से स्वतः स्पष्ट है कि अपेक्षित निर्माण का विधिक स्वरूप आरम्भतः शून्य (void ab initio) है।

- 15- इस संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1417बी(1) 00-27-सि-02-18/वाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, सिंचाई के पत्र दिनांक 10.09.2012 एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासन स्तर पर हुई बैठक दिनांक 20.08.2013 के अनुक्रम में जारी कार्यवृत्त दिनांक 27.06.2013 में दिये गये दिशा निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि जनपद-गीतमबुद्धनगर में प्राधिकरणों के अधिसूचित

184
 क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (Flood Plain Zone) में होने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्थानीय प्राधिकरणों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

- 16- इसके अतिरिक्त प्रसंगत मामलों में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण अनुमत्त नहीं है। इस संबंध में विशेष सचिव उ०प्र० शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-5923(1) एफ-8-21सि-6/बाद/71 दिनांक 03.02.1992 तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुक्त एवं प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं अन्य के साथ-साथ प्रमुख सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-1417बी (1) 09-27-सि०-2-18/बाद दिनांक 16.03.2010, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र संख्या-1560/12-27-सि०-3-43एल/08टी०सी०, दिनांक 19.09.2012 के द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या-1560/12-27-सि-3-43एल/08टी०सी०, दिनांक 19.09.2012:-

".....जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के उक्त पत्र द्वारा यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया है कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण करते हुए 318 फार्म हाऊस 124 437 हे० में बनाये गये हैं। कतिपय प्रकरणों में जिला पंचायत द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने एवं सिंचाई विभाग की अनापत्ति भी जारी की गयी है। प्रकरण अत्यन्त गंभीर हैं। ऐसी स्थिति में उक्त डूब क्षेत्र में बनाए गए अवैध फार्म हाऊस/अतिक्रमण तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा प्रकरण में अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण न होने पाए। यदि उक्त क्षेत्र में कोई अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण होता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी/कर्मचारीगत व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी....."

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

"..... यमुना नदी के किनारे डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से रोकने और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नौएडा, ग्रेटर नौएडा, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह घटित हुए हैं, की है।....."

- 17- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने तथा नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(घ), 6(घ), 9(1) व 10 में निम्नवत् प्राविधान किया गया है:-
- 2(घ)- "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे।
- 6(घ)- मयनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को शिथिल करना;

8(1)- कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अन्तर्गत बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

10 - यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहाँ सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तर्गति या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात ऐसा अन्तर्गति या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तर्गति या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

18- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 2159/77-4-10-284म/91 दिनांक 20.12.2010 द्वारा जारी ग्रेटर मोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया विरिडिंग रेगुलेशन, 2010 के नियम 20.2 व 20.3 के संबंध में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन हैं, जो संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हैं तथा अस्वास्थ्यकर हैं या जिनमें विकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवप्रदूषण के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णोद्धारिता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनाधिकृत विकास- अनाधिकृत विकास के मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-
(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरुद्ध अभियोग धलाया जाना एवं दण्डक कार्यवाहियाँ किया जाना सम्मिलित है।
(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

19- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या- 2213/77-4-10-158एन/85, दिनांक 30.11.2010 द्वारा जारी नवीन ओखला विकास क्षेत्र भवन विनियमवर्ती-2010 के नियम 20.2 व 20.3 में निम्नवत प्राविधान किये गये हैं-

20.2 "असुरक्षित भवन" असुरक्षित भवन वे भवन हैं, जो संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हैं तथा अस्वास्थ्यकर हैं या जिनमें विकास के पर्याप्त साधन न हो या जिनमें आग लगने का खतरा हो या जो मानवप्रदूषण के लिए अन्यथा रूप से खतरनाक हो या जो विद्यमान उपयोग के सम्बन्ध में अपर्याप्त अनुरक्षण, जीर्णोद्धारिता या निषिद्धता के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या लोककल्याण के प्रति संकटकारी हो गये हों।

20.3 "अनाधिकृत विकास- अनाधिकृत विकास के मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी-
(अ) ऐसी समुचित कार्यवाही करेगा जिसमें अनाधिकृत निर्माणों को ढहाया जाना, परिसरों का बन्द किया जाना तथा प्रवृत्त संगत अधिनियमों के अनुसरण में अपराधियों के विरुद्ध अभियोग धलाया जाना एवं दण्डक कार्यवाहियाँ किया जाना सम्मिलित है।
(ब) संबंधित तकनीकी व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करेगा।"

20- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि THE NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AREA BUILDING REGULATION, 2010 के नियम 24.1 में निम्नवत प्राविधान स्थापित किये गये हैं-

24.1 Residential Buildings on plots (Other than flatted group housing)

(1) Ground coverage, Floor Area Ratio, height and setbacks shall be as per Table-I appended to these regulations. However, the set back shall be applicable as per regulations prevailing at the time of Initial allotment of sector.

(2) Other provisions:

- 186
- (i) The directions of site, set back and gate shall be as per the Setback Layout Plan and directions prepared by the Authority from time to time.
 - (ii) In case of plots being amalgamated with the approval of the Authority, the set back lines in front and adjoining property are to be followed as per Setback Plan.
 - (iii) Subdivision of individual residential plot or building constructed on it shall not be allowed.
 - (iv) Only two dwelling units and a servant quarter shall be allowed upto a plot size of 100sqmtrs. For plots above 100 sqmtrs and upto 500sqmtrs maximum three dwelling units shall be allowed. For plots above 500 sqmtrs. maximum four 12 dwelling units shall be allowed. In density calculation 4.5 person per dwelling unit shall be considered in all kind of residential plots. Each servant quarter shall be counted as half dwelling unit.
 - (v) Stilt parking shall be allowed upto maximum height of 2.4 mtrs upto bottom of beam free from FAR for plot size of 112 sq mtrs and above. However, in case stilt is not provided, parking may be allowed in the setbacks.
 - (vi) No construction of any kind shall be permitted beyond the building envelope (on setbacks) except—
 - (a) A chajja (projection) of maximum width of 0.75 metres at lintel or rooflevel. No construction of any type shall be permitted over such projections.
 - (b) Underground water tanks with top flush with the adjoining ground level.
 - (c) In plots of 200 square metre and above, if required, a temporary guard room of porta cabin 1.5 metre x 1.5 metre shall be permitted after approval by the Authority.

TABLE o. 1 (See regulation 24.1)

Ground Coverage, FAR and Setbacks In Residential Plots

S.No	Size of Plot(Sqmtr.)	Ground Coverage(In %age)	Front Setback(Mtr.)	Rear Setback (Mtr.)	Side Setback (Mtr.)	Maximum FAR
1	Upto 50.0	75	1.5	1.5	-	1.8
2	51 to 75	75	1.5	2.0	-	1.8
3	76 to 120	75	2.0	2.4	-	1.8
4	121 to 200	75	3.0	2.4	-	1.8
5	201 to 300	75	3.5	3.0	-	1.8
6	301 to 400	65	4.0	3.0	3.0	1.8
7	401 to 500	65	4.5	3.5	3.0	1.8
8	501 to 760	60	5.0	3.5	3.0	1.5

- (i) Maximum building height in all size of plots shall be 15 Metres.
- (ii) Total height shall be counted from top of drain to top of building without exception.
- (iii) In case the permissible ground coverage is not achieved within setbacks, the setbacks of the preceding category may be followed. In special cases where ground coverage is not achieved in the preceding category also, then Chief Executive Officer may relax the setbacks to the extent he considers fit.
- (iv) In the Residential Plots with in the permissible FAR and Ground Coverage equivalent of 40 % area of rear Set Back construction shall be allowed on either side/both side in the rear set back.

107

- 21- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र भवन(चतुर्थ संशोधन) विनियमावली, 2016 के अध्याय-नौ में प्राविधान है कि-
प्राधिकरण की ग्रामीण सम्पत्तियों का प्रबन्धन

- 30.0 ग्रामीण आबादी में भवन निर्माण- इस विनियमावली में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण(नौएडा) में अधिसूचित ग्रामीण आबादी का क्षेत्रफल प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में ग्रामीण आबादी की अवधारण के लिए मानदण्ड निम्नवत् होंगे:-
1. अधिसूचित नौएडा महायोजना-2031 के 'विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र' में दर्शायी गयी ग्रामीण आबादी का चित्रण।
 2. नौएडा महायोजना-2031 के 'विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र' में लिये गये उपबंध के आलोक में मानचित्र स्वीकृति हेतु भू-उपयोग की छानबीन व संवीक्षा की जानी चाहिए।
 3. मानचित्र की स्वीकृति पर विचार करने से पूर्व उपरोक्त संख्या-1 व 2 के मानदण्डों का पूर्ण रूप से अनुसरण किया जाना चाहिए तथापि उपरोक्त के अतिरिक्त सभन प्राधिकारी द्वारा अभिहित समिति में नियोजन, भूलेख, अभियान्त्रिकी, विधि तथा वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारी और जिला गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। उक्त समिति को इस सीमा तक यह सुनिश्चित करने और पता लगाने के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना चाहिए कि प्रस्तुत मानचित्र उपरोक्त मानदण्ड संख्या-1 एवं 2 में निर्दिष्ट ग्रामीण आबादी से संबंधित है।
 4. उपरोक्त मानदण्ड-3 में निर्दिष्ट समिति को प्रस्तुत किये गये मानचित्र के संबंध में निर्दिष्ट आबादी मूमि के पूर्ण और वादमुक्त हक/स्वामित्व/कब्जा की संवीक्षा भी करनी चाहिए।

30.1 सेटबैक

भूखण्ड का आकार	अग्र सेटबैक	पृष्ठ सेटबैक	कोने के भूखण्ड हेतु पार्श्व सेटबैक
200 वर्ग मी० तक	2.0मी०	...	1.2मी०
201 से 500 वर्ग मी०	3.0मी०	1.2मी०
500 से 1000 वर्ग मी०	4.5मी०	3.0मी०	3.0मी०
1001 से 2000 वर्ग मी०	10.0मी०	4.5मी०	4.5मी०
2001 से 4000 वर्ग मी०	12.0मी०	8.0मी०	6.0मी०
4000 वर्ग मी० से अधिक	15.0मी०	8.0मी०	6.0मी०

*500 वर्ग मी० से अधिक आकार के सभी भूखण्डों के दोनों ओर पार्श्व सेटबैक प्रयोज्य होंगे(कोने के भूखण्ड सहित)।

30.2 भू-आच्छादन एवं फर्श क्षेत्रफल अनुपात

भूखण्ड का आकार	अधिकतम भू-आच्छादन	अनुमन्य	अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात (मी०)
200 वर्ग मी० तक	80%		1.8
201 से 500 वर्ग मी०	75%		1.8
500 से 1000 वर्ग मी०	70%		1.8
1001 से 2000 वर्ग मी०	65%		1.8
2001 से 4000 वर्ग मी०	60%		1.8
4000 वर्ग मी० से अधिक	55%		1.8

- 30.3 ऊँचाई
अधिकतम ऊँचाई 16.0 मीटर

188

टिप्पणी- यहाँ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पर्याप्त जमीन और आवादी वाला मुख्य भू-विभाग है यहाँ 2.0 मी. स्थल सटबैक छोड़ने के पर्याप्त भवन की सीमा के अन्तर्गत भू-गोह की अनुमति प्रदान की जायेगी। भू-गोह (फर्श से छत तक) की आन्तरिक ऊँचाई न्यूनतम-2.4 मी. और अधिकतम 4.0 मी. होगी और इसके उपयोग पार्किंग और भण्डारण के लिए ही किया जायेगा।

- 22- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध एवं अनधिकृत ढंग से ग्राम-शाहबेरी में निर्मित बहुमंजिले भवन के अकस्मात गिरने से घटित घटना से मानवजनित हुई आपदा के कारण जनधन की क्षति और हिण्डन एवं नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माण/कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग के संबंध में शासन के विभिन्न स्तरों से निर्गत निर्देशों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा/नोएडा एवं पुलिस आयुक्त के पत्रों से दो प्रकार की स्थितियों दृष्टिगोचर हो रही हैं-

- (i) जहाँ एक ओर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम-शाहबेरी में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के कारण जो घटना घटित हुई थी, वह मानव सृजित आपदा की श्रेणी में आती है, जिसमें जानमाल का नुकसान भारी मात्रा में हुआ था, वहीं दूसरी ओर हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब क्षेत्र में हो रहे अनियंत्रित अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण, जो उपरोक्तानुसार उल्लिखित मा10 नेशनल ग्रान टिब्यूनल, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के विरुद्ध भी किये गये हैं, जों कारण न केवल मानवजनित आपदा भविष्य में सम्भावित है बल्कि इस मानवजनित अवैध एवं अनधिकृत कृत्य के कारण भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की भी सम्भावना बलवती रहेगी, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर जनधन की क्षति सम्भावित है, इसलिये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ऐसी सम्भावित मानवजनित/प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत जनधन की क्षति को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।
- (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा के पत्र दिनांक 30.04.2020 के अन्तिम प्रस्तर के बिन्दु संख्या-1 में अपेक्षा की गयी है कि चूंकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के नही रुकने के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब ऐसे अवैध/अनधिकृत निर्माणों से संबंधित भवनों/प्लेटस के विकय पत्रों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी जाये।
- (iii) इस संबंध में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की जो विनियमावली भी बनाई गयी है, जिसमें स्वतः स्पष्ट प्राविधान है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की अनुमति के बिना उनके अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की कार्यवाही नहीं हो सकती है अर्थात् यह एक mandatory प्राविधान है।
- (iv) उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत जहाँ एक ओर न केवल भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए किये जाने वाले अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को रोक जाना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के भवन नियमावली का उल्लंघन करते हुए एवं डूब-क्षेत्र में सैद्धान्तिक रूप से आवासीय गतिविधियाँ अनुमत्त न होने बावजूद आवासीय उद्देश्य से अवैध एवं अनधिकृत ढंग से की जाने वाली कॉलोनाईजेशन/प्लाटिंग/निर्माण को भविष्य में मानवजनित/प्राकृतिक जनित आपदाओं की सम्भावनाओं के दृष्टिगत जन धन की क्षति को बचाने के लिए न केवल अवैध एवं अनधिकृत निर्माण बल्कि इस प्रकार के निर्माण की उत्पत्ति के श्रोत कथ-विकय को भी नियंत्रित किया जाना समीचीन होगा, ताकि भविष्य में किसी मानवजनित/प्राकृतिकजनित आपदा के कारण जन धन की क्षति को सम्भावना को समाप्त किया जा सके।

- 23- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदियों डूब क्षेत्र (Flood Plain Zone) में अवैध एवं अनधिकृत निर्माण के फलस्वरूप सम्भावित मानव/प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली जन धन की क्षति को ध्यान में रखते हुए कथ-विकय को नियंत्रित करने हेतु ऐसे विकय दस्तावेजों को नियन्त्रण के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों के साथ कार्यालय आदेश संख्या-627 (1-10)

189

एस0टी0-डी0एम0/2019, दिनांक 20.06.2019 निर्गत किया गया था, जिसमें निम्नवत् उपबन्ध स्थापित किये गये थे-

"....पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जन-धन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये सूब क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लॉट/भवन) के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित विलेखों के निम्नवत् हेतु प्रस्तुतिकरण के समय मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 1417डी-27-सि0-2-83/बा0/09, दिनांक 16.03.2010 केता पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा प्ररनगत आवासीय सम्पत्ति (प्लॉट/भवन) के विलेख को निम्नवत् हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा-

1- सिचाई विभाग, द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्ररनगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लॉट/भवन) पर निर्माण किया जाना अनुमत्य होगा।

2- सम्बन्धित प्राधिकरण (नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एकाप्रसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र कि प्ररनगत विक्रीत आवासीय सम्पत्ति (प्लॉट/भवन) का भू-मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों को पूर्ण होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा यमुना एवं हिण्डन नदी के डूब-क्षेत्र में आवासीय सम्पत्ति (प्लॉट/भवन) के विलेख को गंजीकरण हेतु स्वीकार किया जाएगा।.."

- 24- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अवमानना वाद संख्या-6320/2019 श्रीमती राजन यादव बनाम श्री ब्रजेश नारायण सिंह, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रमशः दिनांक 18.11.2019 व 05.12.2019 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया था-

Order dated on 18-11-2019

"....In the instructions dated 1.11.2019, the respondent has admitted that he has flouted the writ court order by restraining the Registrar, Registration from registering the transfer/sale deed. In view thereof, the respondent-Sri Brijesh Narain Singh, District Magistrate, Gautam Buddh Nagar, shall show cause as to why charge may not be framed under the Contempt of Courts Act. List on 5 December 2019."

Order dated on 05-12-2019

".....Shri Sudhanshu Srivastava, learned counsel appearing for the opposite party submits that the order dated 20 June 2019, restraining the public to get the sale deed registered has been withdrawn vide order dated 5 December 2019. The report of the Sub Divisional Magistrate, Dadri, Gautam Buddh Nagar, dated 24 November 2019, has been placed on record, wherein, it has been noted that the owner/ purchaser of the land have raised constructions in violation of the writ court order without obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities..."

- 25- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 08.03.2018 को पारित आदेश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उक्त अवमानना वाद योजित किया गया था। याचिका संख्या 70786/2011 श्रीमती राजन यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2018 का सारवान अध निम्नवत् है-

190

(A) ".....For the aforesaid reasons, the writ petition is allowed. The order of the District Magistrate dated 20.5.2011 placing restriction on transfer of property by the owners of the land in the area between River Hindan and the embankments constructed by the Irrigation Department, is set aside. The petitioners will be free to execute the agreement or transfer deeds, which will be registered by the registration authorities in accordance with law. The petitioners or the purchasers will, however, not raise any constructions, except after obtaining approval from the concerned local bodies or development authorities. Costs are made easy....."

It is clear from the above Hon'ble Allahabad High Court order which envisaged that person buying property in "area under consideration" shall seek permission and approval from competent authorities before raising any construction. Order of Hon'ble High Court with regards to seeking permission from competent authorities has been repeatedly violated by persons buying properties. Also it's clear from the records placed before this committee, misuse of liberal interpretation of right to property has resulted in organised crime of illegal colonization, which in turn has resulted in "disaster" of huge proportions.

(B) ".....Art.300-A of the Constitution of India provides that no person shall be deprived of his property saved by authority of law. The right to hold property, which include right to sale the property, ceased to be a fundamental right, when it was transposed from Part-III to Part-XII and Inserted as Chapter-IV by 10 Constitution (44th Amendment) Act, 1978, w.e.f. 20.6.1979. It is now a constitutional right vide Zilubhai Nanbhai Khachar v. State of Gujarat, 1995 Supp. (1) SCC 596, subject to restrain and regulations by the State vide State of Bihar v. Project Uchcha Vidya Shikshak Sangh, (2006) 2 SCC 545. The restrain and regulations, however, it was held must be fair and reasonable and should not violate the fundamental rights guaranteed in Part-III of the Constitution of India....."

In light of facts discussed above restrictions being placed are not only fair and reasonable, but in fact try to protect fundamental right namely right to life Hon'ble S.C has repeatedly held "Extraordinary circumstances require extraordinary measures." In such circumstances considering the facts placed before us, necessary steps must be taken to prevent disaster and loss of life and property.

26. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम - 2005 की धारा-2(d) में आपदा को निम्नवत् परिभाषित किया गया

"Disaster" means a catastrophic, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

Handwritten signature or mark at the bottom center.

191

27- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम-2005 की धारा-30, जिसमें जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्य एवं शक्तियाँ निम्नवत् परिभाषित हैं-

- 2(xx) Coordinate with, and give guidelines to, local authorities in the district to ensure that measures for the prevention or mitigation of threatening disaster situation or disaster in the district are carried out promptly and effectively;
- 2(xxii) Review development plans prepared by the Departments of the Government at the district level, statutory authorities or local authorities with a view to make necessary provisions therein for prevention of disaster or mitigation;
- 2(xxiii) Examine the construction in any area in the district and, if it is of the opinion that the standards for the prevention of disaster or mitigation laid down for such construction is not being or has not been followed, may direct the concerned authority to take such action as may be necessary to secure compliance of such standards;

28- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अधिनियम-2005 की धारा-34 में सम्भावित आपदा की स्थिति होने की दशा में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कर्तव्य एवं शक्तियाँ निम्नवत् परिभाषित हैं:-

"Recommend to any Department of the Government of the State or any authority or body under that Government at the district level to take such measures as are necessary in its opinion;"

29- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34(h) में प्राविधान है कि Recommended to any Department of the Government of the State or any authority or body under that Government at the district level to take such measures as are necessary in its opinion," के दृष्टिगत भविष्य में उपरोक्तानुसार वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत मानव/प्राकृतिकजनित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जन धन की क्षति को बचाने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपरोक्त प्रावधान में अपनी अनुशंसा आवश्यकतानुसार दृष्टिगत रखते हुए कर सकती है।

30- उपरोक्तानुसार वर्णित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश, विभिन्न उ0प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/कार्यवृत्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, में विहित प्राविधानों, उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के प्राविधानों, नोएडा/ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया विज्डिंग रेगुलेशन, 2010 में उल्लिखित नियमों के आलोक में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह नत अधधारित करता है कि जनपद-गौतमबुद्धनगर में नोएडा/ग्रेटर नोएडा/पीडा के अधिसूचित क्षेत्र में आपदाओं की पुनरावृत्ति को रोकने एवं डूब क्षेत्र में अन्धाधुंध एटाटिंग/कॉलोनाइजेशन के फलस्वरूप अनवरत हो रहे मानव जनित अवैध/अनधिकृत निर्माणों के कारण भविष्य में मानवजनित कारणों से प्राकृतिक आपदाओं की सम्भावना को समाप्त करने एवं जन-धन की क्षति को बचाने की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में अब यह आवश्यक हो गया है कि मानव जनित कारणों से होने वाली आपदा से जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, में उपरोक्तानुसार उल्लिखित प्राविधानों के आलोक में त्वरित कार्यवाही की जाए। अतएव इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर मानव जनित आपदाओं के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल स्थितियों की सम्भावना को समाप्त करने एवं जनसामान्य के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से निम्नवत् निर्णय लेता है:-

- A. ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित प्राविधानों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार भविष्य में मानव/प्राकृतिक जनित आपदाओं से जन धन की हानि को बचाने के लिए अवैध एवं अनधिकृत तरीके से किये जा रहे भवनों के निर्माण/ कॉलोनाइजेशन/प्लाटिंग को नियंत्रित करने एवं विधिसम्मत कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं पुलिस विभाग के द्वारा अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- B. जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत तथा यमुना एवं हिण्डन नदियों के ड्यू क्षेत्र (Flood Plain Zone) में मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, की धारा-30 व धारा-34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सम्पत्ति के क्रय/विक्रय विलेख को संबंधित उपनिबन्धक के समक्ष निबन्धन हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व निम्नवत अनिवार्य उपबन्ध स्थापित किया जाये -

(i) जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(घ), 6 (ख), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगुलेशन-2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के क्रय-विक्रय विलेखों के पंजीकरण हेतु उपनिबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करने के समय यह अनिवार्य होगा कि विलेख में भवन की ऊंचाई और तलों की संख्या का अंकन कराया जाय। ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के विक्रय विलेख, जो किसी भवन में स्थित हैं और उनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अथवा औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) चार तल से ऊपर हैं, तो ऐसी दशा में नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगुलेशन-2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही संबंधित उपनिबन्धकों द्वारा किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के क्रय-विक्रय विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) जिनकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अथवा 4 से अधिक तल हैं और प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में ऐसे औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/फ्लैट) के किसी भी तल के क्रय-विक्रय विलेख के पंजीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा नहीं की जाएगी, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से हाने वाली जन धन की हानि के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।


(ii) जनपद-गौतमबुद्धनगर के ग्रेटर नौएडा/नौएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत हिण्डन एवं यमुना नदियों के ड्यू-क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत/आवासीय (भवन/ फ्लैट/आवासीय भूखण्ड) सम्पत्ति के क्रय-विक्रय विलेखों के पंजीकरण की कार्यवाही उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(घ), 6 (ख), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एरिया बिल्डिंग, रेगुलेशन-2010 के नियम 20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्राधिकरणों की अनुमति/भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित अभिलेखों के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित उपनिबन्धक द्वारा पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी, जिससे भविष्य में किसी


भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से होने वाली जनघन की क्षति के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।


- (iii) जनपद-गौतमबुद्धनगर के अंतर्गत प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्र में हिण्डन एवं यमुना नदियों के डूब-क्षेत्र में कृषि भूमि के क्रय/विक्रय विलेख के निबंधन के पूर्व उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-2(घ), 6 (ख), 9(1) एवं 10 में दिये गये प्राविधानों और नौएडा/ग्रेटर नौएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया बिल्डिंग, रेगुलेशन-2010 के नियम-20.2, 20.3 एवं 24.1 में उल्लिखित नियमों के अलावा में सम्बन्धित प्राधिकरणों से इस आशय का प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्राप्त की जायेगी कि प्रश्नगत कच की जाने वाली कृषि भूमि पर कोई अवैध/अनधिकृत निर्माण नहीं है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की मानव जनित कारणों के फलस्वरूप आपदाओं से होने वाली जन घन की क्षति के उत्पन्न होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।


नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-नौएडा/भूलेख/2020/3411, दिनांक 26.09.2020 द्वारा अन्य बिन्दुओं के साथ प्रस्तर-30 के बिन्दु-2, जो बिन्दु B से प्रदर्शित है, के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की गयी है।


उक्त बैठक में सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्तर-30 के बिन्दु संख्या-A व B में दर्शित बिन्दुओं का अनुमोदन किया गया साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तर-30 के बिन्दु संख्या-A व B में उल्लिखित एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बिन्दुओं के दृष्टिगत आदेश/निर्देश निर्गत करने के लिए अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/प्रमारी अधिकारी-आपदा, जनपद गौतमबुद्धनगर को अधिकृत किया जाता है।



(चरणजीत सिंह)
जिला शासकीय अधिकारी
(राजस्व), गौतमबुद्धनगर/
विशेष आमन्त्रित सदस्य



(नीरज शर्मा)
जिला शासकीय अधिकारी
(दीवानी), गौतमबुद्धनगर/
विशेष आमन्त्रित सदस्य



मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।


(एस.के. त्रिपाठी)
सहायक महानिरीक्षक
निबन्धक, प्रथम/द्वितीय,
गौतमबुद्धनगर/ विशेष
आमन्त्रित सदस्य


(वी०के० पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता, ईड वर्क
खण्ड, आगरा नहर ओखला,
नई दिल्ली/ विशेष आमन्त्रित
सदस्य



(नीरज कुमार)
अधिरासी अभियन्ता,
सिंघाई निर्माण खण्ड,
गाजियाबाद/ विशेष
आमन्त्रित सदस्य


(विमल कुमार)
अधिरासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गौतमबुद्धनगर।


(डा० ए.के. ओहरी)
मुख्य चिकित्साधिकारी,
गौतमबुद्धनगर पदेन सदस्य,
जिला आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण


(परमप्रीत सिंह)
अपर जिलाधिकारी
(वि/रा)/पदेन सदस्य,
जिला आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण


(हरीश चन्दर)
प्रतिनिधि पुलिस आयुक्त
डी०सी०पी० (सेन्ट्रल)
गौतमबुद्धनगर।


(सुहास सिंह)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर/अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण

800

79

IN THE HIGH COURT OF JUDICATRE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. CA-6

IN

COUNTER AFFIDAVIT

(ON BEHALF OF RESPONDENT No. 1)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 10021 OF 2023

(Under Article 226 of the Constitution of India)

(DISTRICT - GAUTAM BUDH NAGAR)

Ratna Mitra

.....Petitioner

Versus

New Okhla Industrial Development Authority & 2
Others

.....RESPONDENTS

st

W/M-


801

80



PRODUCED BY A.R.P. 1970

WMA




PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PROMOST

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PROMOST

WMA

THE HINDON FLOODING IN NUMBERS



The impact of fake news on World Politics

Earlier that day, the black stream flowing meekly a few paces away had edged slightly closer, making her flinch. But she didn't dwell on it. It would be fine, she told herself.

Three years ago, just after the first lockdown ended and the pandemic had upended lives, Madhubala was grateful for the house. It was the last plot of Sorkha village, right next to the naala, but she wasn't complaining. JD bhai was offering a steep discount. She and her husband, a tailor, could own the 311 sqft plot for Rs 3.5 lakh and build a house there.

"We had struck a deal for a different plot in the same village, but at a better location. But we could not pay our instalment to JD bhai, so he offered us this one. It was a lot cheaper. We agreed," says Madhubala.

On July 22, when the Hindon began to heave, Madhubala's house - almost half a kilometre beyond the Hindon's embankment - was the first to be swallowed by the river.

By next morning, the river had swallowed half of it and the

Handwritten signature or mark.

settlement from the relief camp later, only roofs and windows stood above the water, peering out like periscopes. The house, Madhubala feared, would be washed away.

Over decades, local land dealers like 'JD bhai' have made a killing selling off the Hindon, square feet by square feet, to buyers looking for cheap plots.

The National Capital Region is a migrant magnet because of jobs, so demand is always high and the Hindon always contained to its narrow channel - overrun by hyacinth in stretches, almost dry in others - appearing as a drain rather than a river.

When it overflowed its normal course on July 22 - the first time the rain fed river, a tributary of the Yamuna that originates in Saharanpur and meets the Yamuna in Noida, flooded since 1978, acquiring a form few have seen or remember - the extent of encroachment of its floodplains became obvious.

Along the Hindon's 103km course in the NCR districts of Ghaziabad and Noida, the river's perennially dry floodplains have been carved up and sold in most of the 55 villages that it threads through. Some don't have a demarcated embankment. In those that do, like Sorkha, Kulesra and Chotpur, for example, there's dense overgrowth of concrete beyond the embankment.

The owners of many of these houses have also managed to register them with the government. Madhubala's house, deep inside the river's course, is registered too. "JD bhai helped us with the registry process. We didn't know this is 'doobkshetra' (floodplain) of the Hindon. Besides, hundreds of people own plots next to us, where they have constructed two to four-storey houses," says Madhubala, who returned to her single-storey house a week later to find little other than the white plastic water tank that sits atop the roof intact.

'A mistake, a trap...'

In 18 villages most affected by the flooding of the Hindon - 12 in Noida and six in Ghaziabad - this is a story that repeats itself. People bagging cheap plots from agents realising their mistake, and the unpredictability of a rain-fed river as extreme weather events become more frequent because of climate change dawning on them. The flooding of the Hindon this week displaced at least 12,000 people. Many of them continue to live in relief camps with the river receding, but slowly.

Prem Kumar, who owns a house on the floodplains in Chotpur colony, says he is in a trap - his house at risk from the river and property in the proper colonies unaffordable. "I earn Rs 15,000 a month. The government has not made affordable housing for people of lower income groups. I managed to buy this plot for Rs 5 lakh and build a house. But this flood has changed things. I want to sell and leave. But who'll buy this now?" he asks.

Arti, who shifted from a rented 'makaan' in Mayur Vihar to her own house in Greater Noida's Kulesra in 2019, found the river lapping at her porch on July 22. The plot, which she and her husband bought for Rs 10 lakh, was large enough to accommodate a four-room house. They knew they were right next to a river, but there was nothing to worry about, they were assured. "Yeh to bus naala hai (this is just a drain)," the agent told them. Hundreds of others have built houses here - "just look around" it was a decision Arti was glad they took till they had to evacuate or  were bundled into relief camps.

do dealers shy away from telling a buyer that these are on the floodplains. "So many people are buying, what's the problem," asks one.

Sanjit Kumar, a dealer functioning out of Karhera in Ghaziabad, advised these correspondents to wait it out when we enquired about cheap plots for sale in the village, somewhere near the river. "The prevailing rate for plots in the area is Rs 9,000 per gaj to Rs 16,500 per gaj. But hold on to your plans for a few months as the flood has caused a problem. Once this is solved, I'll try to get the plots at an even cheaper rate," he said over the phone.

Asked if these were illegal plots, he retorted, "There are over 500 houses in Karhera, you tell me how could it be illegal? We will ensure that the registry of the plot is done in your name and then you can make the payment."

Illegal sales, valid registries

Dealers have seen their illegal trade legitimised and propelled by registries. Sanjit's is no boast. When they strike deals, dealers facilitate registry of the plots, capitalising on a system that doesn't check legality of land while registering it. "Our department is basically a facilitator in executing a contract between a buyer and a seller," says Pushpendra Kumar, assistant inspector-general (AIG), stamp and registration, in Ghaziabad. "As per the registration manual, there is absolutely no say on whether the property that has come for registry is legal or illegal, lawful or unlawful. That is for the civil court to decide," he adds.

In December 2018, Ritu Maheshwari, who was then Ghaziabad DM, had ordered a stop to property registrations in 321 illegal colonies. The orders, issued after a building collapse, didn't concern the floodplains but sought to create a filter for registries. The stamp and registry department, however, held its ground, citing clause 241 of the Registration Manual that says "registering officers should bear in mind they are in no way concerned with the validity of the documents brought to them for registration and it would be wrong for them to refuse to register on any such ground..".

The same happened in Noida till 2020 when registration of properties on the floodplains was stopped. B S Verma, AIG, stamp and registration, says, "In 2020, the district disaster management committee had issued an order mandating an NoC from the Noida Authority and irrigation department for sale and purchase of properties in floodplain areas. Since construction is illegal on floodplains, NOCs are not issued. So, properties cannot be registered now."

Twenty-seven petitions have, meanwhile, been filed in the high court by people living in the floodplains for registry of properties along the Hindon and Yamuna, Verma adds.

Ambiguity over the definition of floodplain has played into the hands of the land sharks, as has the inconsistency in building embankments (though that itself has hardly been a deterrent). The irrigation department has constructed 52.5km of embankment or 'bund' along the Hindon in Noida and Ghaziabad, which is 50% of the river's course.

"The area between two bunds, through which the river flows, is defined as floodplain but we do not have bunds all along the course of the river and the confusion starts here," admits Subash Sharma, zildar, irrigation department.

According to a 2016 notification of the ministry of water resources, river development and  nation, 'floodplain' is defined as "such areas of Ganga or its

NEWS CITY NEWS NOIDA NEWS
<https://timesofindia.indiatimes.com> <https://timesofindia.indiatimes.com/city> <https://timesofindia.indiatimes.com/noida>

TRENDING

- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/food/news/food-water-to-ayaz-ul-haq>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/news/politics/india/maharashtra-cabinet-extension>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/mumbai/mumbai/mumbai-maharashtra-news-politics>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know>

- [https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know](#)
- [https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know](#)
- [https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know](#)
- [https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know](#)
- [https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/successful-100-days-of-all-you-need-to-know](#)

'Will move to top floor': Some reluctant to leave farmhouses unguarded

Shafaque Alam
<https://timesofindia.indiatimes.com/Toipreporter/Author/Shafaque-Alam/47923460.cms> / 1NN / Updated: Jul 14, 2023, 09:17 IST

156 PTS SHARE

HOT DEALS

Search for iPhone 13

<https://click.doubleclick.net/clk?1>

'Will move to top floor': Some reluctant to leave farmhouses unguarded
Noida: Around 150 people have been shifted from farmhouses so far




'Will move to top floor': Some reluctant to leave farmhouses unguarded
<https://timesofindia.indiatimes.com/noida/news/politics/noida/will-move-to-top-floor-some-reluctant-to-leave-farmhouses-unguarded>



ISB Applied Business Analytics Drive business growth with the power of data
<https://timesofindia.indiatimes.com/business/insights/story/isb-applied-business-analytics-drive-business-growth-with-the-power-of-data>



Aqua Line ridership soaks
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/andhra-pradesh/andhra-pradesh/aqua-line-ridership-soaks>



Nearly 150 people have been shifted from farmhouses so far

NOIDA: Around 150 people stranded in submerged farmhouses and nurseries along the Yamuna floodplains were evacuated on Thursday, but rescuers said others are still stuck, including those reluctant to leave the properties unguarded.

People who refused to move despite rising water levels in Yamuna insisted that they would take shelter on the first or second floors of their bungalows. Many of them are caretakers employed by the farmhouse owners, officials said.

"We have shifted around 150 people from the farmhouses and nurseries into community centres in Wajidpur, Chaprauli, Nagla Nagli and Sector 135. We are making arrangements for food and other necessities. A total of 1,500 people are taking shelter at these four centres," said district magistrate Manish Kumar Verma.

Asked about those unwilling to evacuate, the DM said NDRF, SDRF and Noida police are visiting each farmhouse to check on the occupants.

IFB 8 Kg 5 Star Front Load..

amazon ₹ 43

₹ 38,890 ₹ 46,999

No Cost EMI | Bank Offer | Partner Offers

GET THIS

Mi 108 cm (43 Inches) 5A Series..


amazon ₹ 43

₹ 24,999 ₹ 36,999

No Cost EMI | Bank Offer | Partner Offers

GET THIS

ALSO WATCHED VIRAL VIDEOS



<https://timesofindia.indiatimes.com/videos/news/andhra-pradesh/water-level-crosses-mark/show/0265216.cms>

<https://timesofindia.indiatimes.com/videos/news/andhra-pradesh/water-level-crosses-mark/show/0265216.cms>

VIEW MORE VIDEOS

ADVERTISEMENT





Areas along the Yamuna have been inundated after river water crossed the danger mark on Thursday. A visit to the area showed that the ground-floor of farmhouses was almost completely under water while people were rushing to fetch their valuables and pets.

At the Wajidpur community centre, 400 people were taking shelter in an open hall. Though equipped with fans, washrooms and mats to sleep on, the shelter was crowded as people had also parked their two-wheelers and e-rickshaws at the spot.

Haripal, who was at the centre, said he had been working as the caretaker of a farmhouse in Sector 135 for the past decade for a salary of Rs 9,000 per month. "Yamuna water started rising on Wednesday evening and it reached our farmhouse late at night. We fled to the Pushta Road at and spent the night there. We moved to the shelter today," the native of Hardoi said.

A number of people were also staying in the open at Pushta Road on Thursday. Some of them alleged that the administration hadn't reached out to them.

Vimlesh Kumar, a resident of Wajidpur, said: "There is no drinking water here. We have made temporary tents on the Pushta Road, but another spell of rain will worsen the situation."

Four teams of the NDRF, two teams of State Disaster Response Force (SDRF), one team of the Provincial Armed Constabulary (PAC), eight medical teams and Noida police personnel have been deployed for rescue efforts.

The administration has also set up a flood control room, with a helpline 0120-2974274. Additional DM (finance) Atul Kumar is the nodal officer to oversee the relief work.

Some NGOs are assisting the administration in distributing food. Guru Munesh Sinha, founder of Param Pranyog, and a group of volunteers were distributing rice, dal, and mustard oil outside the shelters. "We received information that a number of people have been displaced and that's why we came to help," he said.

Members of the Amit Mehra Foundation were also distributing rice and vegetables to those evacuated

READ NEXT:

Rajasthan: Schoolgirl's 'urine' claim ignites communal clash In...



What does Hindenburg make from Adani's misery?

TOI CLASSIC

Shiv Sena, Congress crib, last-ditch bid to deter Sharad Pawar-PM...



Manipur viral video case: Supreme Court halts CBI from recording...

What Indians must do to fight West's bias against Gita & Quran



With Sharad Pawar on dais, PM Modi receives Lokmanya Tilak Award...

TOI

TRENDING STORIES

IN CITY ENTIRE WEBSITE

- How perfect layout of Chandigarh and its roads make it a city to watch
- Dalhi Foods live a water gun in Yamuna Bazaar
- Chandigarh: X-Launch Countdown Live Update: Countdown begins for...
- Live Yamuna water level crosses danger mark again: Waterlogging in Chandigarh: Launch today, landing expected at 5:47pm Aug 23

ADVERTISEMENT

LATEST FROM BUSINESS NEWS

- 1 ED searches Hero Moto Chairman Munja's residence, seizes tank
- 2 India's July GST collections rise 11% to ₹1.65 lakh cr
- 3 Adani stocks gain over ₹71k cr. Check the top gainers

ADVERTISEMENT

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

8/1/23 3:18 PM

NDRF rescues 500 workers from illegal farm houses in Noida amid flood | Watch - Hindustan Times

Home Latest News Cricket Education India World Bengali Entertainment Lifestyle A

Live Score Asia Cup 2023 Schedule Wimbledon 2023 G20 HT Premium World Cup 2023 Schedule V

Home / Cities / Noida News / NDRF rescues 500 workers from flooded illegal farmhouses in Noida | Watch

NDRF rescues 500 workers from flooded illegal farmhouses in Noida | Watch

By [Lingamgunta Nirmitha Rao](#)

Jul 15, 2023 06:18 PM IST

These farmhouses are situated near Nagli Wajidpur village in Sector 135, around two kilometers away from the Noida-Greater Noida Expressway.

Story continues below advertisement

Amid the flood-like situation caused by heavy rainfall in the hills and subsequent rise in the Yamuna, the National Disaster Response Force (NDRF) conducted a rescue operation to save around 500 workers living in illegal farmhouses in Noida, part of Delhi-NCR. These workers were hired to work in the farmhouses, which were built illegally in low-lying areas near the Yamuna River. They were affected, along with thousands of others residing along the riverbanks.



Home Latest News Cricket Education India World Bengaluru Entertainment Lifestyle

Live Score Asia Cup 2023 Schedule Wimbledon 2023 G20 HT Premium World Cup 2023 Schedule

Also Read | Nation floods: NDRF rescues bull priced over 1 crore

These farmhouses are situated near Nagli Wajidpur village in Sector 135, around two kilometers away from the Noida-Greater Noida Expressway, on the other side of the embankment facing the Yamuna River. A video shared by news agency ANI showed NDRF personnel rescuing the workers from the knee-deep floodwater that had engulfed the entire area.

ANI_HindiNews @AHindinews Follow

#WATCH उत्तर प्रदेश: यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से नोएडा में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। NDRF द्वारा जानवरों का बचाव कार्य जारी है।

(वीडियो सेक्टर 135 की है)

Watch on Twitter

OPEN APP

9:06 AM · Jul 15, 2023

258 Reply Copy link

Story continues below advertisement

Handwritten mark

Handwritten mark

Home Latest news Cricket Education India World Bangalore Entertainment Lifestyle AI

Live Score Asia Cup 2023 Schedule Wimbledon 2023 G20 HT Premium World Cup 2023 Schedule V

future with a better...

Rank #1

DataScience...

Ranked #1

DataScience...

"Over 500 individuals were evacuated from the farmhouses on Thursday and Friday. As the water level rose, many of the stranded people, including women, sought refuge on the second floor of the farmhouses. They carried limited food and water supplies, which were running out," said an officer involved in the rescue and relief operations. Many of these stranded people were discovered on Thursday when police officers and administration officials took a boat ride deep into the flooded areas.

Government officials acknowledged that despite issuing advisories well in advance, the workers and staff members of these farmhouses, numbering in the thousands, were not moved to safety on time before the area became flooded.

Illegally constructed farmhouses

Noida Authority CEO Ritu Maheshwari told news agency PTI that most of the structures in the floodplains are illegally constructed. In the recent past, over 250 farmhouses were demolished as part of an anti-encroachment drive. "A survey estimated presence of around 500-600 more such illegal structures against which action would be ensured in coming days," she said.

Story continues below advertisement



Also Read | In Himachal Pradesh, diesel to cost ₹3/litre more as govt increases VAT

Many farmhouse owners have approached the court to obtain a stay order preventing the demolition of their structures. District magistrate Manish Kumar Verma said that 550 hectares of land in Gautam Buddha Nagar have been submerged due to the floods. The floods have also affected people in the Jewar area of Greater Noida along the Yamuna River, as well as those settled along the Hindon River. However, the most severely impacted are the residents of Noida.

Flood situation in Delhi

The Delhi government announced on Saturday that the flood situation is improving, pointing to the decreasing level of Yamuna water at the Old Ra... ge. As a result, several roads in the national capital, which were closed due to the deluge, were opened for traffic on Saturday as the floodwaters...

Home Latest News Cricket Education India World Bengaluru Entertainment Lifestyle Ar

Live Score Asia Cup 2023 Schedule Wimbledon 2023 G20 HT Premium World Cup 2023 Schedule V

Earlier in the day, chief minister Arvind Kejriwal took to Twitter and informed that the water level of the Yamuna is receding now. "The water level in Yamuna is decreasing gradually. If it does not rain heavily again, the situation will return to normal soon. We have started withdrawing water from Chandrawal and Wazirabad water treatment plants. After this, the machines will be kept for drying. Both the plants will be operational only by tomorrow," said CM Kejriwal.

Meanwhile, the Indian Meteorological Department on Friday predicted that Delhi will likely receive light to moderate rain accompanied by thunderstorms during the next 4-5 days.

(With ANI, PTI inputs)

ABOUT THE AUTHOR



Lingamgunta Nirmitha ..

Follow

Trainee Content Producer at Hindustan Times Digital Stream. India's regional languages attract me.

TOPICS

Noida Authority

Noida

Flooding

You May Like

Born Between 1970-1995? Get ₹2Cr Term Insurance from Max Life

Free Term Insurance Calculator

OPEN APP

Data Science MS from Germany. Get 18-month Work Visa

Intellipaati



Learn More

Handwritten signature

Handwritten signature

814



93





W/M

815

94



W/M




X

Wm

817

96



OK

Wm

818

97





87-

W/M-


819

98



x

-M-
W



Noida Floods

Sector 135 Inundates As

Yamuna Overflows

x

-M/A

NEW OKHLA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
 DEPARTMENT OF INDUSTRIES
 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

CODE NO 3912
 NAME DEVENDRA PRATAP SINGH
 DESIGNATION OSD, Noida (P.C.S)
 DATE OF BIRTH 20/09/1978
 DATE OF ISSUE 01/9/2023
 VALID UPTO 01/9/2027
 EXTENDED UPTO
 SIGNATURE OF DEVENDRA SINGH
 CONTROLLING OFFICER IAS.
 ADDITIONAL CHIEF EXECUTIVE OFFICER



RESIDENTIAL ADDRESS HOUSE NO.-13A, SEC-14A
NOIDA, GAUTAM BUDDH NAGAR - 201301
 TELEPHONE NO. (RESI).....(OFF.) 9205003937
 PERMANENT ADDRESS 03 F, MAPPLE RESIDENCY
MINTO ROAD, CIVIL LINES, ALAMGARH, U.P.
 SIGNATURE OF HOLDER

INSTRUCTION

1. Please ensure safe custody of identity card and report immediately, if lost to issuing authority. The charges of duplicate identity card shall be done by the holder.
2. The identity card must be displayed by the holder upon entering the office premises and on demand.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**822**
PROOF OF SERVICE

152

Service from applicants in Original application no. 641/2023 (Suman Chauhan and 49 others VS Govt of Uttar Pradesh and others) in Hon'ble NGT

1 message

manoj@synergyinfracon.com <manoj@synergyinfracon.com>

Wed, May 7, 2025 at 10:26 PM

To: csup@nic.in, ceodelhi.djb@nic.in, ceifcd@gmail.com, csdelhi@nic.in, fciwrd@gmail.com,
ceo@noidaauthorityonline.com, eincididuplu-up@nic.in, contactdfccil@dfcc.co.in, dmgnb@nic.in
Cc: abhay gupta <tony51aoc@rediffmail.com>, rahulsgkumar@gmail.com

Dear Sirs,

You are respondents in the above matter. Please find enclosed:

PDF of response dated 21.04.2025 by petitioner no. 2

<Response 21.04.2025>

Regards
Manoj Singh
(Applicant)